सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

109वाँ प्रतिवेदन

गृह विभाग

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 22-07-2026 को सदन में उपस्थापित)

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में गृह विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से नवम् सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य मो० इसराईल मंसुरी, स०वि०स०, मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०, श्री इजहारूल हुसैन, स०वि०स०, श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स०, मो० कामरान, स०वि०स०, श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स०, श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०, श्री मिश्री लाल यादव, स०वि०स०, श्री विजय कुमार, स०वि०स०, श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०, श्री विजय कुमार मंडल, स०वि०स०, श्री विनय कुमार, स०वि०स०, श्री हरि भूषण ठाकूर 'बचोल', स०वि०स०, श्री भूदेव चौधरी, स०वि०स०, श्री ऋषि कुमार, स०वि०स०, श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स०, श्री रणविजय साहू, स०वि०स०, श्री राणा रणधीर, स०वि०स०, श्री राम रतन सिंह, स०वि०स०, श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०, श्री राम विलास कामत, स०वि०स०, श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स०,- श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री राजवंशी महतो, स०वि०स०, श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री राजेश कुमार गुप्ता, स०वि०स०, मो० शमीम अहमद, श्री संतोष कुमार मिश्र, स०वि०स०, श्री संजय सरावगी, स०वि०स०, श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०, श्री सूदामा प्रसाद, स०वि०स०, श्री सुर्यकान्त पासवान, स०वि०स०, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०, श्री चेतन आनन्द, स०वि०स०, श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स०, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स०, श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स०, श्री अवध बिहारी चौधरी, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०, श्री ललन कुमार, स०वि०स०, श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स०, श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०, श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०, डॉ० निक्की हेम्ब्रम, स०वि०स०, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०, श्री कृष्ण नन्दन पासवान, स०वि०स०, श्री कुन्दन कुमार, स०वि०स०, श्री महानन्द सिंह, स०वि०स०, श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स०, श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०, श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह, स०वि०स०, श्री विजेन्द्र चौधरी, स०वि०स०, श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०, श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०, श्री प्रहलाद यादव, स०वि०स०, श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, श्री शम्भु नाथ यादव, स०वि०स०, श्री शाहनवाज, स०वि०स०, श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स०, श्री सुधाकर सिंह, स०वि०स०, श्री अरूण सिंह, स०वि०स०, श्री अनिल कुमार, स०वि०स०, श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०, श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०, श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०, श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०, श्रीमती मंजू अग्रवाल, स०वि०स०, श्रीमती निशा सिंह, स०वि०स०, श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स०, डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०, डॉ० सी० एन० गुप्ता, स०वि०स०, श्री नीतिन नवीन, स०वि०स०, श्रीमती प्रतिमा कुमार, स०वि०स० एवं श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 109वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

गृह विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

ख

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा	स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स0वि0स0
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स0वि0स0
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स0वि0स0
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स0वि0स0
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स0वि0स0
6. श्री अरूण सिंह	स0वि0स0
7. श्री आलोक रंजन	स0वि0स0
8. श्री देवेश कांत सिंह	स0वि0स0
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स0वि0स0
10. श्री नीरज कुमार सिंह	स0वि0स0

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से नवम् सत्र तक में गृह विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं में से प्राप्त कुल–161 शून्यकाल सूचनाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर शून्यकाल समिति के विभागीय/समीक्षात्मक बैठकों में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक / दिनांक।
1	मोहम्मद इसराईल मंसुरी	मेरे कांटी विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड मड़वन महम्मदपुर खाजे के हसन रजा एवं कांटी छपरा जद्दु निवासी योगेश कुमार सहित तमाम फंसे बिहारी छात्रों को यूक्रेन से सकुशल घर वापसी की माँग के संबंध में ।	02.03.2022	03/22–959 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–363, दिनांक 22.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–01
2	मोहम्मद इजहार असफी	किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत विशनपुर बाजार में 16.08.2018 को एन0जी0 ओ0 (गौ ज्ञान फाउन्डेशन) के संस्थापक शिवानी शर्मा के गलत नियती के कारण एक अप्रिय घटना घटित हुई थी। जिसमे लगभग 76 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना की जिला प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय जाँच हो ताकि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, के संबंध में ।	29.07.2021	26/21–2521 18.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–9010, दिनांक 17.08.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–02
3	श्री इजहारूल हुसैन	किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र नहीं रहने से आग लगने पर जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 कि0मी0 रहने के कारण गाड़ी आने तक पूरा गाँव जलकर राख हो जाता है। पोठिया प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र खोलवाने के संबंध में।	02.03.2022	03/22–953 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–7576, दिनांक 29.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–03
4	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर थाना के मकन्दपुर निवासी प्रशांत कुमार राय के पुत्र शुभम राय सोमवार 28 मार्च से ही लापता है। थाने में केस दर्ज है लेकिन अभीतक पता नहीं चला है। शुभम राय की सकुशल बरामदगी की मांग के संबंध में ।	31.03.2022	24/22–2025 13.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–1157, दिनांक 30.01.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–04

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
5	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	जहानाबाद जिला में गोविन्द मांझी को 19 जुलाई को पारसविगहा पुलिस ने गिरफ्तार की, 22 जुलाई को जेल में मृत्यु हो गयी। उल्टे महिला पुलिस के मृत्यु के आरोप में महादलित को तंग कर रही है। तत्काल दोषी पुलिस पर जांच एवं कार्रवाई करने के संबंध में।	28.07.2021	25/21-2301 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-9234, दिनांक 22.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-05
6	श्री महबूब आलम	गया जिला के बेलागंज प्रखंड के आढतपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदों को तोड़ने वाली तथा बालू माफिया की संरक्षक गया की एस0एस0पी0 पर कार्रवाई की मांग के संबंध में ।	02.03.2022	03/22-955 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-13120, दिनांक 26.12.20 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-06
7	श्री मोहम्मद कामरान	नवादा जिला के रोह प्रखण्ड अंतर्गत अनैला निवासी श्री सुबोध कुमार चालक को गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया। इस निर्मम हत्या का मैं निगरानी से जाँच का दोषी पर कार्रवाई एवं परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग के संबंध में ।	17.03.2022	15/22-1420 04.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-14629, दिनांक 30.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-07
8	श्री मुरारी मोहन झा	केवटी विधान सभा के सिरहुल्ली ग्राम निवासी शंकर साह की पुत्री की हत्या उसके ससुराल में कर दी गई। जिसका केस सं0 161/21 कमतौल थाना में दर्ज है लेकिन सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है जो कि संदेहास्पद है। इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को सजा की मांग के संबंध में ।	30.07.2021	27/21-2367 11.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-3676, दिनांक 11.04.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-08

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक /दिनांक ।
9	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	नवरत्न ज्वेलर्स बोरिंग रोड पटना के धीरज कुमार द्वारा दर्जनों लोगों से पैसा ठगा गया है। ललन कुमार द्वारा दिया गया आवेदन के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पटना मे प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने की मांग के संबंध में ।	28.07.2021	25/21–2305 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–9337, दिनांक 24.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–09
10	श्री मनोज मंजिल	बिहार के नौजवान सेना मे जाने वाली अग्रणी राज्यों में है। तीनो सेना मे 1,22,555 पद खाली है। भर्ती नही होने से सेना में जाने का सपना देख रहे नौजवान हताश है। भर्ती के लिए सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की मांग के संबंध में।	24.03.2022	17/22–1780 25.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6511, दिनांक 24.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–10
11	श्री मिश्री लाल यादव	पटना जिला के दनियावॉं प्रखण्ड मुख्यालय मे आई0 टी0 सहायक के पद पर श्री अरविन्द कुमार यादव कार्यरत है। इन्हे दिनांक 27.07.2021 को अपराधियों ने गोली मार दिया है। थाना–दनियावॉं की पुलिस निष्क्रिय है। अतः अपराधियों की गिरफ्तारी एवं समुचित इलाज के संबंध में।	30.07.2021	27/21–2363 11.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–5626, दिनांक 02.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–11
12	श्री विजय कुमार	शेखपुरा जिला के जय कुमार पिता श्री विजय कुमार, मो0–बंगालीपुर, आशीष आनंद, पिता–श्री सुभाष सिंह,ग्राम–डिहकुसुम्भा, दानिश खान, पिता–मो0 राशिद खान, बरूआवा, अंजन कुमार, पिता–मनोज कुमार, ग्राम–परसाँबीघा सहित सभी भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी हेतु केन्द्र सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग के संबंध में।	04.03.2022	05/22–1317 31.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–398, दिनांक 06.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–12
13	श्री विजय कुमार खेमका	अंतराष्ट्रीय सीमा नेपाल बांगलादेश से घुसपैठ मादक पदार्थ पशु तस्करी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर रोक हेतु सीमावर्ती पूर्णिया के गुलाबबाग बरसौनी मे एस0 एस0बी0 कैम्प स्थापित करने की योजना लंबित है। सीमांचल मे राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर रोक लगाने हेतु उक्त स्थान पर एस0 एस0बी0 कैम्प शीघ्र निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा की मांग के संबंध मे।	30.03.2022	21/22–1979 12.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–7041, दिनांक 05.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–13

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
14	श्री विजय कुमार मण्डल	रोहतास जिला के दावत प्रखण्ड के दावत बाजार में आये दिन जाम लगा रहता है, कभी–कभी जाम दिन भर लग जाता है, जिससे आमजनता को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है, दावत बाजार में ट्रैफिक पुलिस लगाकर जाम से मुक्त कराने के संबंध में ।	09.03.2022	08/22–1598 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–12609, दिनांक 13.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–14
15	श्री विनय कुमार	युक्रेन में बसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेहा कुमारी, परैया एवं रवि रंजन कुमार चंचल, गुरारू को भारत लाने की अविलंब व्यवस्था करने के संबंध में।	02.03.2022	03/22–960 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–112, दिनांक 17.02.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–15
16	श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल"	कांड सं0–33/2021 नया रामनगर थाना मुंगेर, भाजपा प्रवक्ता अजफर शम्सी को दिन दहाड़े जमालपुर कॉलेज कैम्पस में गोली मारी गयी थी लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शूटर को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। स्थानीय पुलिस शूटर को पकड़ने में सक्षम नहीं है, के संबंध में।	28.07.2021	25/21–2307 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10828, दिनांक 26.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–16
17	श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल"	मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखण्ड के डुमरी ग्राम में श्रीमद्भगवत कथा में दिनांक 26.02.22 को रहिका थाना पुलिस–प्रशासन द्वारा पंडाल में जाकर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया है। इसकी जाँच करवाकर दोषी पुलिस–कर्मियों के ऊपर कार्रवाई के संबंध में।	28.02.2022	01/22–747 07.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–12499, दिनांक 09.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–17
18	श्री भूदेव चौधरी	बांका जिला में वर्ष 2011 में गृह रक्षकों की बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर कुल रिक्ति–282 सीटों पर मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की जनहित में अविलंब नियुक्त करने की मांग के संबंध में ।	24.03.2022	17/22–1779 25.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6865, दिनांक 30.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–18

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
19	श्री ऋषि कुमार	गया जिलान्तर्गत कोच थाना कांड संख्या–110/21 घटित घटना का करीब एक वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में।	28.02.2022	01/22–751 07.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–7670, दिनांक 02.08.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–19
20	श्री पवन कुमार जायसवाल	राज्य सरकार बिहार के छात्रों/परिजनों से संपर्क स्थापित करने एवं घर वापसी हेतु विदेश मंत्रालय से सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य के अनुभवी पदाधिकारी को अधिकृत करने के संबंध में	28.02.2022	01/22–744 07.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–378, दिनांक 05.06.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–20
21	श्री पवन कुमार जायसवाल	इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी में कॉलेज प्रशासन के लापरवाही के कारण दिनांक 02.03.2022 को छात्र अभिषेक रंजन की मृत्यु हो गई। मृतक छात्र के भाई पीयुष रंजन द्वारा छतौनी थाना कांड सं0–188/2022 दर्ज कराया गया है। कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने तथा मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा देने एवं निर्दोष छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की मांग के संबंध में ।	08.03.2022	07/22–1523 04.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–8950, दिनांक 05.09.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–21
22	श्री पवन कुमार जायसवाल	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के लालबेगिया निवासी सह–शिक्षक राम विनय सहनी की निर्मम हत्या दिन–दहाड़े अपराधियों द्वारा कर दी गई। अपराधियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जाँच तथा पीड़ित परिजनों को सुरक्षा एवं 20 लाख रूपया मुआवजा देने की मांग के संबंध में ।	28.03.2022	19/22–1803 26.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–7882 दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–22
23	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	विधान सभा क्षेत्र रक्सौल अन्तर्गत भेलाही ओ0पी0 से 10 कि0मी0 एवं पलनवा थाना से 8 कि0मी0 एवं नेपाल सीमा के समीप डिम्नी घाट के आसपास आये दिन घटनायें होती रहती है अभी कुछ पूर्व दोहरे हत्या हुई है। उपरोक्त स्थल पर थाना/ओ0पी0 बनाने की मांग के संबंध में ।	24.03.2022	17/22–1738 20.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10609, दिनांक 26.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–23

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक।
24	श्री रणविजय साहू	समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड को स्थापित हुए 67 वर्ष बीत चुके है परन्तु अग्निशामक यंत्र नही होने के कारण अगलगी की घटनाओं मे फसल, झोपड़ी एवं जानमाल, की काफी क्षति हो जाती है। जनहित मे मोरवा प्रखण्ड मे अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने की माँग के संबंध मे।	07.03.2022	06/22—1353 01.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—7514, दिनांक 27.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—24
25	श्री रणविजय साहु	मधुबनी जिला के मधवापुर थाना निवासी बासुकी बिहारी उत्तरी के मुखिया श्री विजय कुमार साह को दिनांक 11.03.2022 को अपराधियो ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसका मधवापुर थाना कांड संख्या—36/22 है। पीड़ित मुखिया जी को सुरक्षा एवं घटना मे शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग के संबंध मे।	24.03.2022	17/22—1734 20.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—7671, दिनांक 02.08.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—25
26	श्री रणविजय साहू	गया जिला के परैया थाना निवासी किराना व्यवसायी मृतक शिवनजन साव को दिनांक 21.03.2022 को अपराधियो ने घर मे घुसकर पीट—पीटकर हत्या कर दिया। जिसका परैया थाना कांड सं0—79/22 है। घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीडित परिवार को सुरक्षा की मांग के संबंध में।	29.03.2022	20/22—1899 11.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—11040, दिनांक 04.11.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—26
27	श्री राणा रणधीर	पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल मे पकड़ीदयाल थाना अन्तर्गत शेखपुरवा बाजार पर पुलिस ओ0पी0 निर्माण की मांग के संबंध में।	30.07.2021	27/21—2385 12.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—9125, दिनांक 18.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—27
28	श्री राम रतन सिंह	बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा विधान सभा मे तेघड़ा के पकठौल पंचायत में थाना नं0—404, मौजे तुलसीपुर मेखित कब्रिस्तान का घेराबंदी (गेट सहित) कराने की मांग के संबंध में।	26.03.2022	18/22—1840 27.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—7961, दिनांक 26.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—28

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
29	श्री रामबली सिंह यादव	होमगार्ड की बहाली के लिए वर्ष 2011 में आवेदन लिए गये थे, कई जिलों में बहाली सम्पन्न करा ली गई, लेकिन अभी भी कई जिलों में आज तक बहाली नहीं हुई । आवेदकों को बहाल करने की मांग के संबंध में ।	08.03.2022	07/22–1522 04.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6180, दिनांक 20.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–29
30	श्री रामबली सिंह यादव	नालंदा जिला, हिलसा प्रखंड अंतर्गत नदहा निवासी बिरेस चन्द्रवंशी की हत्या 18 मार्च को कर दी गई। उल्टा गरीबों पर ही पुलिस द्वारा मुकदमा और दमन किया गया, जिसका शिकार 3 साल तक के बच्चों को भी बनाया गया है। उच्चस्तरीय जांच एवं एस0पी0 की निलंबन की मांग के संबंध में ।	24.03.2022	17/22–1742 20.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–1158, दिनांक 30.01.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–30
31	श्री रामविलास कामत	दरभंगा जिला के दरभंगा विश्वविद्यालय थाना में अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित लक्ष्मी कुमारी पिता–त्रिलोक प्रसाद साह वार्ड नं0–11 सुपौल निवासी का निधन संदिग्ध अवस्था में दिनांक 09.10.21 को हो गया, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना कांड सं0 402/21 दिनांक 12.12.21 दर्ज है, उक्त महिला पुलिस पदाधिकारी के संदिग्ध मौत का उच्चस्तरीय जाँच की मांग के संबंध में।	11.03.2022	10/22–1565 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10786, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–31
32	श्री रामवृक्ष सदा	नालंदा जिला के हिलसा अंतर्गत शराब कांड संख्या–808/18 जिसमें शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, पुलिस ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज किया था। मुख्य अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रहा है, प्रशासन के सहयोग से अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग के संबंध में ।	09.03.2022	08/22–1599 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10787, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–32

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
33	श्री राज कुमार सिंह	बेगूसराय जिले के पूर्व सैनिकों को अपने नियमित विभागीय कार्य हेतु मुंगेर जाना पड़ता है, जिसमें उनका ऊर्जा एवं समय नष्ट होता है पूर्व सैनिको के लिए यह असुविधाजनक है। बेगूसराय मुख्यालय में सैनिक कल्याण केन्द्र की एक इकाई खोलने की मांग के संबंध में।	07.03.2022	06/22-1338 01.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-1358, दिनांक 24.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-33
34	श्री राजवंशी महतो	बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमण्डल के पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारी दोनों आपसी रिश्तेदार होने से आमजनता को न्याय नहीं मिलता है। आमजनों के न्याय के निमित्त दोनों का स्थानांतरण जनहित में अविलंब कराने की मांग के संबंध में ।	24.03.2022	17/22-1777 25.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-7445, दिनांक 26.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-34
35	श्री राजवंशी महतो	बेगूसराय जिला के बछवाड़ा बाजार में 7 जनवरी 2022 के रात्रि में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में भीषण डकैती हुई, जो बछवाड़ा थाना काण्ड सं0-06/22 दर्ज है, दो महीना बीत जाने के बाद भी उक्त घटना का उद्भेदन नहीं हुआ न ही सामान की बरामदगी हुई। उक्त घटना का उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए संलिप्त दोषी पर कार्रवाई की मांग के संबंध में ।	26.06.2022	18/22-1837 27.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-13181, दिनांक 27.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-35
36	श्री राजेश कुमार सिंह	राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना आकाशी बिजली या सर्पदंश से मृत परिवारों को पाँच लाख रूपया आपदा आकस्मिक अनुदान राशि देने का प्रावधान है। उसी प्रकार से जघन्य हत्या एवं जान से मार दिये जाने के मामले मे भी वर्णित अनुदान देने की मांग के संबंध में।	09.03.2022	08/22-1626 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-5436, दिनांक 01.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-36

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
37	श्री राजेश कुमार गुप्ता	रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत गौरक्षणी मुहल्ला मे शुभम कमार पिता-सिव पाल उम्र-06 वर्ष का अपरहरण दिनांक 17.12.21 को हुआ और 28.12.21 को उनकी हत्या कर दिया गया, पर आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नही हुई न मुआवजा ही मिला, सरकार हत्यारो को गिरफ्तार कर मुआवजा दिलाने के संबंध में ।	04.03.2022	05/22-1299 31.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-5157, दिनांक 28.04.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-37
38	श्री शमीम अहमद	पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखण्ड के चैनपुर थाना अन्तर्गत राजकीय मध्य विद्यालय खडुआ में सहायक शिक्षक श्री राम बिनय सहनी को अपराधियों ने दिनांक 25.03.22 को गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य सरकार से आश्रित परिवार को 50 लाख रूपये देने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में।	26.03.2022	18/22-1844 27.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-7912, दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-38
39	श्री संतोष कुमार मिश्र	रोहतास जिलान्तर्गत करगहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी-सह-दवा व्यवसायी श्री उमाशंकर शर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार शर्मा यूक्रेन के खारकीव शहर मे NEI की पढ़ाई कर रहे हैं, तथा अभी युद्ध की स्थिति मे वहाँ कि किसी बंकर में शरण लिये हुए हैं। उचित माध्यम से संपर्क कर उनके सकुशल वापसी को सुनिश्चित करने की मांग के संबंध में ।	03.03.2022	04/22-1152 21.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-397, दिनांक 06.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-39
40	श्री संजय सरावगी	30 मार्च, को दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत बलभद्रपुर निवासी जटाशंकर चौधरी एवं पटना सिटी चौक थानान्तर्गत प्रमोद बागला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी एवं स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग के संबंध मे ।	31.03.2022	24/22-2024 13.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-11968, दिनांक 21.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-40

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक।
41	श्री समीर कुमार महासेठ	मधुबनी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शहर के मार्ग अतिक्रमित रहने और सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने के कारण नित्य जाम की समस्या बनी रहती है। मधुबनी शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमणमुक्त कराने एवं सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराने के संबंध में ।	02.03.2022	03/22—954 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—9909, दिनांक 28.09.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—41
42	श्री समीर कुमार महासेठ	दिनांक 25.02.2022 को मधुबनी जिला मुख्यालय मे बस स्टैंड के पास रिश्तेदार के साथ जा रही युवती को रिक्शा से उतारकर पांच व्यक्तियों द्वारा गैंग रेप किया गया। अभीतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शेष एक अपराधी की गिरफ्तारी एवं विधि व्यवस्था दुरूस्त करने की मांग के संबंध मे ।	03.03.2022	03/22—1119 21.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—2490, दिनांक 23.02.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—42
43	श्री समीर कुमार महासेठ	राज्य मे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की हत्या की घटनाएं अत्यधिक हो रही हैं। इनको सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदत्त नही है। पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य को अंगरक्षक प्रदान किये जाने की मांग के संबंध में ।	04.03.2022	05/22—1261 31.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—6151, दिनांक 17.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—43
44	श्री समीर कुमार महासेठ	मंडल कारा, हाजीपुर सहित राज्य के सभी काराओं मे निविदा मैनेज करने सहित विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही है। राज्य के काराओं मे हो रही अनियमितताओं की जाँच कराने की मांग के संबंध मे ।	24.03.2022	17/22—1743 20.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक—6856, दिनांक 23.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—44
45	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के बैसाडीह मे 23 जुलाई की रात विजय राम तथा 24 जुलाई की सुबह सावित्री देवी की बर्बर हत्या अपराधियों ने कर दी। अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कोर्ट मे स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा देने के संबंध मे ।	30.07.2021	27/21—2365 11.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—3980, दिनांक 26.04.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—45

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
46	श्री सुदामा प्रसाद	बिहार के सभी थानों के थानेदारों की चल-अचल संपति की जाँच की माँग के संबंध में।	28.02.2022	01/22-757 07.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-7386, दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-46
47	श्री सुदामा प्रसाद	बेगूसराय जिला के बलिया शहर का मु0 सिनियर मोदरसी बल्द नूर आलम यूक्रेन के खारकीव मे नेशनल यूरो स्पेस यूनिवर्सिटी का अंतिम सेमिस्टर का विद्यार्थी है। उसके सकुशल घर वापसी की मांग के संबंध में।	02.03.2022	03/22-963 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-779, दिनांक 14.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-47
48	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिलान्तर्गत आरा मुफस्सिल थाना के बाधी पाकड़ गाँव के बिरेन्द चन्द्रवंशी को अपराधियों ने गोली मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। आरा में जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे घायल की सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के संबंध में।	07.03.2022	06/22-1337 01.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-11973, दिनांक 21.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-48
49	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिलान्तर्गत बिहटा के ददन पासवान को अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजा देने की मांग के संबंध में।	08.03.2022	07/22-1521 04.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-13888, दिनांक 13.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-49
50	श्री सुदामा प्रसाद	गया जिला के खिजरसराय थाने के अकौनी की सुशीला देवी और उनकी बेटी की चाकू से गेंगरेप कर हत्या करने वाले अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग के संबंध में।	14.03.2022	11/22-1713 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-5906, दिनांक 13.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-50
51	श्री सुदामा प्रसाद	बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अब्बू महमदपुर में आंगनबाड़ी सेविका इशरत परवीन की मंगलवार रात को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उनके परिजन को मुआवजा देने और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के संबंध में ।	17.03.2022	15/22-1427 04.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-13886, दिनांक 13.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-51
52	श्री सुदामा प्रसाद	जिला मोतिहारी के कसिद्धि के आर०टी०आई० कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को न्याय नहीं मिलता देख उसे उसके 14 वर्षीय पुत्र रोहित अग्रवाल ने आत्महत्या कर लिया, जल्द से जल्द उसे न्याय दिलवाने की मांग के संबंध में ।	29.03.2022	20/22-1858 11.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-11966, दिनांक 21.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-52

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
53	श्री सूर्यकान्त पासवान	मात्र 23 साल की उम्र में देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बेगूसराय निवासी शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की माँग के संबंध में।	28.02.2022	01/22–761 07.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–1434, दिनांक 01.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–53
54	श्री सूर्यकान्त पासवान	बिहार के हजारों नौजवान सेना में अपनी सेवा देते हैं, तीनों सेनाओं मे सवा लाख के करीब पद रिक्त होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों से बहाली नहीं होने के कारण युवाओं में निराशा व्याप्त है। बहाली के लिए सदन मे प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की मांग के संबंध मे ।	31.03.2022	24/22–2023 13.05.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6165, दिनांक 17.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–54
55	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	बिहार के समस्तीपुर में मौब लींचिंग, दरभंगा और समस्तीपुर मे भू–माफियाओं के आतंक, वैशाली में महिला उत्पीड़न और गया बेलागंज में बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को कठपुतली बनाए जाने के घटनाओं के राजनीति संरक्षण की जाँच के संबंध में।	03.03.2022	04/22–1118 21.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–12052, दिनांक 26.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–55
56	श्री चेतन आनंद	बक्सर जिलान्तर्गत सोनवर्षा थाने के कड़सा गाँव में 21 जुलाई, 2021 को अपराधियों द्वारा शिव नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। पूर्व में भी इन्हीं अपराधियों द्वारा स्व0 सिंह के पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई थी। घटना की उच्चस्तरीय जाँचकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ।	30.07.221	27/21–2368 11.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–8988, दिनांक 19.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–56
57	श्री चन्द्रहास चौपाल	गांधी मैदान थाना कांड–150/17 के सी0आई0डी0 द्वारा दिये गये निर्देश का वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा पूर्णतः आदेश का पालन/पटना पुलिस पुनर्अनुसंधान कर या सी0आई0डी0 द्वारा पुनर्अनुसंधान करने के माँग के संबंध में ।	28.07.2021	25/21–2302 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–9339, दिनांक 24.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–57

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
58	श्री अरूण शंकर प्रसाद	मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के सीमावर्ती पंचायतों की दूरी अधिक रहने से विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में कठिनाई को ध्यान में रखकर एन0एच0 227 पर अवस्थित छतौनी में अस्थायी पुलिस कैम्प की तत्काल व्यवस्था करने की मांग के संबंध में ।	11.03.2022	10/22–1571 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–2798, दिनांक 28.02.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–58
59	श्री अरूण शंकर प्रसाद	जयनगर थाना क्षेत्र में 11 मार्च, 2022 को अपराधियों ने मो0 जहुर ग्राम सिसही निवासी बासोपट्टी से 40 हजार रुपया छीन लिया । जयनगर थानाध्यक्ष आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर गाली–गलौज देकर पीड़ित को भगा दिया। थानाध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग के संबंध में।	14.03.2022	11/22–1716 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6235, दिनांक 27.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–59
60	श्री अख्तरूल ईमान	जिला समस्तीपुर, ग्राम–अख्तारपुर के सनोवर खातुन एवं अनवर की भीड़ द्वारा हत्या एवं सरवण राय की राह चलते हत्या कर दी गई है जो कि प्रशासनिक विफलता है। मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी एवं बच्चों के मुफ्त पढ़ाई की मांग के संबंध में ।	29.07.221	26/21–2520 18.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–2020, दिनांक 16.02.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–60
61	श्री अख्तरूल ईमान	समस्तीपुर जिला निवासी खलील रिजवी पिता–मो0 अयुब, उम्र 35 वर्ष को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिन्दा जलाकर हत्या की गई। सदन के माध्यम से पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं परिवार के सदस्य को सरकारी तथा हत्यारे को फाँसी की सजा दिलाने की माँग के संबंध में ।	02.03.2022	03/22–961 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–9011, दिनांक 17.08.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–61
62	श्री अमरजीत कुशवाहा	सिवान जिलान्तर्गत पचरूखी (तगाढ़) एकमात्र दौड़ मैदान में थाना और छात्रावास के निर्माण होने से छात्र नौजवान के खेलने, विभिन्न सैनिक, अर्द्धसैनिक, पुलिस आदि के भर्तीयों हेतु शारिरीक दक्षता की तैयारी अवरूद्ध हो जायेगी। छात्रावास एवं थाना निर्माण के स्थान परिवर्तन की माँग के संबंध में ।	02.03.2022	03/22–957 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10753, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–62

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
63	श्री अवध बिहारी चौधरी	पूरे बिहार राज्य मे विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियो पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों हेतु तैनात अंगरक्षको को यात्रा–भत्ता एवं ठहराव भत्ता देना उचित होगा। सभी अंगरक्षको को यात्रा–भत्ता एवं ठहराव भत्ता देने की मांग के संबंध में।	07.03.2022	06/22–1339 01.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6150, दिनांक 17.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–63
64	श्री अजय कुमार	समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड के चांच सुरारी निवासी आशीष कुमार एवं पटपारा निवासी आर्यन कुमार, दोनों यूक्रेन में मेडिकल स्टुडेन्ट है। दोनो विद्यार्थियों के सकुशल वतन वापसी कराने माँग के संबंध में ।	03.03.2022	04/22–1060 16.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–396, दिनांक 06.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–64
65	श्री अजीत कुमार सिंह	बक्सर जिला के चौगाई महादलित बस्ती के सुरेश मुसहर पिता स्व0 टेंगर मुसहर के विक्रमगंज उप–कारागृह में हुई मौत की न्यायिक जाँच एवं आश्रितो को अविलंब मुआवजा का भुगतान करने के संबंध में ।	28.07.2021	25/21–2304 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–9807, दिनांक 29.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–65
66	श्री ललित कुमार यादव	दरभंगा जिला के अरविंद कुमार नालंदा जिला मे दनियावां प्रखंड में पद स्थापित थे। 11.00 बजे दिन में उनको गोली मार दिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस पदाधिकारी को गाड़ी नंबर भी दिया। महोदय, अभीतक पीड़ित मौत से जूझ रहे है पी0एम0सी0एच0 में, अभीतक पुलिस, सरकार लापरवाह है। महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाये ।	28.07.2021	25/21–2306 06.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–13657, दिनांक 05.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–66
67	श्री ललित कुमार यादव	दरभंगा जिला निवासी साकिउर रहमान ग्राम पैठानपवई गृहरक्षक सं0–301674 जो कैवटी थाना में कार्यरत थे को दिनांक 16.07.21 को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस कांड की जाँचकर आश्रितो को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा की मांग के संबंध में।	30.07.2021	27/21–2364 11.08.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–8446, दिनांक 02.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–67
68	श्री ललन कुमार	कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अंचल के कमालपुर, बैद्यनाथपुर मौजा मे सरकार से स्थायी पुलिस कैम्प स्थापित करने की माँग के संबंध में ।	02.03.2022	27/21–2364 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6963, दिनांक 13.02.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–68

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
69	श्री ललन कुमार	बड़े अग्निशमन वाहन के आभाव मे प्रतिवर्ष भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड में आग लगने से हजारों घर जल कर राख हो जाता है। पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय में पर्याप्त एवं बड़े अग्निशमन वाहन की स्थायी व्यवस्था करने की मांग के संबंध में ।	26.03.2022	18/22–1838 27.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10754, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–69
70	श्रीमती भागीरथी देवी	बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के रूपवलिया पंचायत के दो महिला के जंगली भालु काट–काट कर लहु–लुहान कर दिया। जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन आज तक सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नही मिला है। मुआवजा दिलाने की मांग के संबंध में।	26.03.2022	18/22–1843 27.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–11967, दिनांक 21.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–70
71	श्रीमती शालिनी मिश्रा	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के नारायणपुर की भौगोलिक स्थिति एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर में ओ०पी० की स्थापना की मांग के संबंध में ।	02.03.2022	03/22–952 14.03.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–341, दिनांक 09.01.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–71
72	श्रीमती शालिनी मिश्रा	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखण्ड के घुसियार गांव के तिवारी टोला में सुरक्षार्थ ओ० पी० की स्थापना और शहीद आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी के नाम पर जनता चौक, घुसियार पर स्मृति द्वार का निर्माण कराने की मांग के संबंध में ।	09.03.2022	08/22–1629 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10811, दिनांक 26.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–72
73	श्रीमती गायत्री देवी	आज दिनांक 07.02.2022 को रात के एक बजे सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा थाना प्रभारी ने बिना केस के रविन्द्र राय, पिता –पंचेलाल राय, ग्राम–बसनपुर को घर से उठा कर लॉकअप मे बंद कर दिया है। बिना किसी वजह के रविन्द्र राय को गिरफ्तार करने वाले थाना प्रभारी सोनवरसा पर उचित कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	07.03.2022	06/22–1373 01.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–10701, दिनांक 21.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–73

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
74	डॉ० निक्की हेम्ब्रम	बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत में पुलिस थाना के सृजन की स्वीकृति ज्ञापांक-3231, दिनांक 11.04.14 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। भवन निर्माणाधीन न होने तक निजी भवन में थाना को कार्यरत करें। क्योंकि दिनांक 21.03.22 को ज्योतिष मंडल की मृत्यु जैसी कोई अप्रिय घटना ना घटे के संबंध में ।	24.03.2022	17/22-1736 20.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक-7446, दिनांक 26.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-74
75	श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव	एस०आर०ई० योजना आच्छादित जिलों में प्रस्ताव के आधार पर 2013 से थाना में कार्यरत कर्मचारी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव एस०पी० द्वारा डी०एम० को नहीं भेजने से अनुमोदन नहीं होने के कारण नियुक्ति लंबित है। एस०आर०ई० नियुक्ति हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देने के संबंध में ।	04.03.2021	10/21-775 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-10387, दिनांक 22.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-75
76	श्री कृष्णनंदन पासवान	पूर्वी चम्पारण जिला के मटियरिया पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या 16 मार्च, 11 बजे दिन में गोली मारकर की गई, पुलिस और आक्रोशित जनता के बीच झड़प में निर्दोष परिजन एवं जनता को पुलिस हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार निर्दोषों को रिहा कराने की मांग के संबंध में ।	18.03.2021	19/21-1416 13.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7290, दिनांक 30.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-76
77	श्री कुंदन कुमार	दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को कार्रवाई में मारे गये बेगूसराय जिला के शहिद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन जी को सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि और निकटतम आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की माँग करने के संबंध में ।	30.11.2021	30/21-3371 21.12.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-435, दिनांक 25.02.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-77
78	श्री कुमार शैलेन्द्र	भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के मड़वा निवासी ई० आशुतोष पाठक की बिहपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार के द्वारा 24.10.20 को बुरी तरह से पिटाई की गई। जिसकी मृत्यु 25.10.20 को हो गई। थाना प्रभारी रंजीत कुमार की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अविलंब गिरफ्तारी के संबंध में ।	22.02.2021	02/21-535 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7085, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-78

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
79	श्री महबूब आलम	एक मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहे छात्र युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज व प्रदूषित पानी से हमला हुआ। आंदोलनकारियों के समर्थन में गए विधायकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हुआ । कई लड़के गंभीर रूप से घायल है। घटना की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग के संबंध में।	02.03.2021	08/21-787 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-6942, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-79
80	श्री महबूब आलम	समस्तीपुर जिलान्तर्गत आधारपुर पंचायत में 21 जून, 2021 को एक शिक्षिका सनोवर खातून, पति मो0 हसनैन एवं मो0 अनवर की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी। दोनों मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे की माँग करने के संबंध में।	30.11.2021	30/21-3410 22.12.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-10923, दिनांक 01.11.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-80
81	श्री महा नंद सिंह	28 फरवरी, 2021 को अरवल में थाना से सटे दिन में बेखौफ अपराधी दो गैरेज मिस्त्री को गोली मार दी। थानेदार की लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के कारण जनता को भारी आक्रोश है। घायल व्यक्ति का समुचित इलाज एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने एवं थानेदार को हटाने की मांग के संबंध में।	02.03.2021	08/21-790 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7289, दिनांक 30.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-81
82	श्री मुकेश कुमार यादव	सीतामढ़ी प्रखंड-परिहार ग्राम-गोरहारी में दिनांक 29.11.21 को पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच हुयी झड़प के बाद 30.11.21 को रात्री में की गयी पुलिस कार्रवाई का न्यायिक जाँच करने के संबंध में।	03.12.2021	33/21-3325 17.12.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-5907, दिनांक 13.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-82
83	श्री मुकेश कुमार रौशन	वैशाली जिला नगर थाना वैशाली में दिनांक 20.12.2019 को राकेश कुमर यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन निष्क्रय एवं मूकदर्शन बनी है। नगर थाना काण्ड संख्या 1144/19 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका की जाँच कराने के संबंध में।	03.03.2021	09/21-897 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7590, दिनांक 29.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-83

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
84	श्री मनोज मंजिल	भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना क्षेत्र के गांव नाढ़ी में 27 अगस्त 2018 को रामाकांत राम की हत्या कर दी गयी थी। अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग के संबंध मे ।	15.03.2021	16/21–1085 25.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6941, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–84
85	श्री मिथिलेश कुमार	दिनांक 28.02.2021 को सीतामढ़ी के पुपरी थाना के बगदे मे पथिक लूट के शिकार हो गये, सीतामढ़ी मे अपराधी बाज नहीं आ रहे है। सीतामढ़ी जिले मे हो रहे अपराध पर नियंत्रण हेतु एस0एस0 पी0 (अभियान) की पूर्व की तरह नियुक्ति की मांग के संबंध मे।	03.03.2021	09/21–888 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–5011, दिनांक 26.07.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–85
86	श्री मिथिलेश कुमार	सीतामढ़ी जिला के खोपी गांव में 02 मार्च की शाम लालबाबू साह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। लगातार क्रमित घटना प्रशासन के खोते हुए इकबाल का द्योतक है। शीघ्र सशक्त युवा पुलिस कप्तान की नियुक्ति की मांग के संबंध मे ।	04.03.2021	10/21–784 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक--3931, दिनांक 21.06.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–86
87	श्री मिथिलेश कुमार	सीतामढ़ी नगर के विगत कई महीनों से जाम के समस्या के कारण कई लोगो के कई कार्य बाधित हो चुके है। दिनांक 04.03.21 को आजाद चौक से मेहसौल चक तक तीन घंटे का जाम रहा। अविलंब प्रशासन को जाम से निजात दिलाने के संबंध में ।	05.03.2021	11/21–944 15.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7083, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–87
88	श्री मिथिलेश कुमार	विगत 08.03.2021 को सीतामढ़ी के शिक्षक सुनील कुमार को छुरा से घायल कर दिया गया तथा रीगा के व्यवसायी दीपक कुमार के दुकान मे डकैती की घटना की गई। सीतामढ़ी जिलावासी कैसे जीवन जी सके ? अपराध पर गंभीर होने के संबंध में ।	09.03.2021	13/21–1044 19.03.221	गृह विभाग के ज्ञापांक–5590, दिनांक 02.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–88
89	श्री मिथिलेश कुमार	सीतामढ़ी जिले मे विगत 10 दिनों के लगातार क्रमिक आपराधिक घटना के क्रम मे कल दिनांक 09.03.21 को अपराधी द्वारा खुंखपुरी के गुड्डू मिश्रा को गोली मारी गई। सीतामढ़ी की जनता कैसे जीवन बसर करे ? अपराध नियंत्रण को गंभीरता से लेने के संबंध मे ।	10.03.2021	14/21–987 18.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–5625, दिनांक 02.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–89

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
90	श्री मिश्री लाल यादव	दरभंगा जिला के अली नगर प्रखंड के ग्राम धमुआरा में श्मशान के घेराबंदी की मांग के संबंध में।	19.03.2021	20/21-1344 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-3358, दिनांक 25.06.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-90
91	श्री मिश्री लाल यादव	गृहरक्षकों को पुलिस के समान भत्ता के अलावे अन्य सभी सुविधाओं की मांग के संबंध में।	23.03.2021	21/21-1453 28.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-5021, दिनांक 05.08.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-91
92	श्री विद्या सागर केशरी	अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगरपरिषद् के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी स्व0 पवन केडिया की निर्मम हत्या 28 दिसम्बर 2020 को शाम के 07:30 बजे दुकान से घर आने के क्रम में कर दी गयी। फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 1035/20 दर्ज है। दो माह बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नही हुई। अपराधियो की त्वरित गिरफ्तारी की मांग के संबंध में ।	25.02.2021	05/21-544 02.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-10784, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-92
93	श्री विद्या सागर केशरी	अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के नामचीन परवाहा हाट अलग-अलग थाना क्षेत्र के सीमा पर अवस्थित है। इस नामचीन हाट एवं आसपास गाँव में चोरी, डकैती व अपराधिक घटना घटित होती रही है। वर्तमान में सुविधाविहिन अस्थायी पुलिस बल की तैनाती को स्थायी रूप से ओपी बनाये जाने की मांग के संबंध में ।	17.03.2021	18/21-1583 10.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-12996, दिनांक 27.10.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-93
94	श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह	जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बारुन में रेलवे अन्डरपास के गेट को नीचे करवा देने से स्कूली एवं अन्य बसों का रास्ता अवरूद्ध हो गया। इसका विरोध करने पर आमजन एवं जनप्रतिनिधियों पर 04.02.21 को मुकदमा कर दिया गया। इसकी उच्चस्तरीय जाँच की मांग के संबंध में ।	24.02.2021	04/21-533 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-2656, दिनांक 12.04.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-94
95	श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह	औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है। नवीनगर बजार के व्यापरियो तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए नवीनगर बाजार में एक पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग के संबंध में ।	18.03.2021	19/21-1414 13.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-9705, दिनांक 02.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-95

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
96	श्री विजेन्द्र चौधरी	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर के वार्ड नं0—1, महावीर निवास के सामने से दिनांक 16.02.21 के 8:57 बजे पूर्वा0 से खुशी खुशी कुमारी, पिता—श्री राजन साह जिसकी उम्र मात्र पाँच वर्ष है अभीतक लापता है। उक्त बच्ची को खोजकर सकुशल लाने हेतु मांग के संबंध मे ।	09.03.2021	13 / 21—1040 19.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—6948, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—96
97	श्री विनय कुमार चौधरी	श्रीमती कमल देवी, धव पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्व0 शोभानन्द झा, ग्राम+पोस्ट—नारायणपट्टी, राजनगर, जिला—मधुबनी को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली पेंशन मार्च, 2017 से नहीं मिल रहा है। जिसका भुगतान करने के संबंध मे ।	03.03.2021	09 / 21—896 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—17, दिनांक 19.01.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—97
98	श्री निरंजन कुमार मेहता	मधेपुरा के गालपाड़ा प्रखंड के पीरनगर पंचायत के ललिया गांव मे हरखेश मंडल स्व0 कामेश्वर मंडल एक ही परिवार के सदस्यो को निरन्तर वर्ष 2009 से 15.03.21 तक तीन लोगों की हत्या कर दिया गया है उस परिवार एवं ग्रामीणों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु ललिया गांव मे पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध मे ।	19.03.2021	20 / 21—1338 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—7387, दिनांक 23.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—98
99	श्री भूदेव चौधरी	बांका जिला अंतर्गत बौंसी प्रखंड के भगैया गांव एवं बिशनपुर गांव के कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है। अतः उक्त गांव मे अवस्थित कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसकी घेराबंदी जनहित मे अविलम्ब कराने के संबंध मे ।	02.12.2021	32 / 21—3501 30.12.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—7285, दिनांक 12.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—99
100	श्री पवन कुमार जायसवाल	पूर्वी चम्पारण जिला के लखौरा निवासी दारोगा दिनेश राम की सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज मे शराब कारोबारियो ने गोली मारकर हत्या कत्ल कर दी। इस हृदय विदारक एवं जघन्य अपराध मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग के संबंध मे ।	25.02.2021	05 / 21—545 02.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक—6358, दिनांक 25.08.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट—100

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
101	श्री प्रहलाद यादव	लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा स्थित बैंक ऑफ इण्डिया में कार्यरत कर्मचारी ऋषि देव को 17.03.21 की संध्या बाइक से घर जाने के क्रम में गोली मार कर हत्या कर दी। मृतक के परिवार की सुरक्षा एवं अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार करने के संबंध में ।	19.03.2021	20/21–1340 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6571, दिनांक 13.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–101
102	श्री रणविजय साहू	समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अन्तर्गत एक विवाहित महिला के साथ दिनांक 27.01.21 को दुष्कर्म किया गया जिसका थाना काण्ड संख्या 24/21 है। इस घटना की उच्चस्तरीय जाँचकर अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग के संबंध में ।	26.02.2021	06/21–652 05.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10785, दिनांक 25.10.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–102
103	श्री रणविजय साहू	समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना कांड संख्या–61/21 व्यवसायी शशि शर्मा को अपराधियों ने दिनांक 20.03.21 को घर में घुसकर एवं पीट–पीटकर हत्या करने के बाद छत से सड़क पर फेंक दिया। सभी नामदर्ज अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग के संबंध मे।	24.03.2021	22/21–1531 03.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6245, दिनांक 24.08.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–103
104	श्री राकेश कुमार रौशन	नालंदा जिला के इस्लामपुर थाना अध्यक्ष द्वारा अवैध खनन एवं शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे राजस्व की क्षति तथा सरकार की शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इस्लामपुर थाना प्रभारी के उक्त कार्यों का जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में।	01.03.2021	07/21–711 09.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–2792, दिनांक 25.03.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–104
105	श्री राकेश कुमार रौशन	नालंदा जिला के इस्लामपुर बाजार मे दिनांक दिनांक 01.03.21 को अवैध शराब 900 लीटर जप्त करने के बाद अध्यक्ष द्वारा बेच दिया गया है। थानाध्यक्ष इस्लामपुर द्वारा जप्त शराब को बेचने की जांच कर कार्रवाई करने के संबंध मे ।	04.03.2021	10/21–779 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–11974, दिनांक 21.10.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–105

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
106	श्री रामबली सिंह यादव	जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी थाना के खेमचन्द बिगहा निवासी अजय कुमार का लापता होने की सूचना थाना को 17.01.21 को दी गई है जिसका घोसी थाना कांड संख्या 38 दर्ज है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में उदासीनता बरती जा रही है। अजय कुमार को शीघ्र परिजनों को सौंपे जाने की मांग के संबंध में ।	02.03.2021	08 / 21–788 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–3957, दिनांक 19.04.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–106
107	श्री रामबली सिंह यादव	जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी, काको, मेदनगंज और हुलासगंज प्रखण्ड के किसान–मजदूर लगातार अगलगी के शिकार होते है। पानी की किल्लत और अग्निशामक दस्ता दूरी पर होने के कारण बचाव संभव नही हो पाता। चारो प्रखण्ड मे बड़ी गाड़ीयुक्त अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने के संबंध में ।	03.03.2021	09 / 21–889 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–3144, दिनांक 07.04.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–107
108	श्री रामबली सिंह यादव	सीमांचल का इलाका अन्तर्राष्ट्रीय व दूसरे राज्यों की सीमा से घिरा है उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान लाने की मांग के संबंध में ।	16.03.2021	17 / 21–1228 06.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–9177, दिनांक 24.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–108
109	श्री राजेश कुमार सिंह	गोपालगंज जिला में दिनांक 24.02.2021 को उचकागाँव में गैस एजेंसी के 3 कर्मियों को लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर लुटेरे भाग निकले। उक्त घटना से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करते हुए घायलों को 5–5 लाख रूपये सरकारी सहायता देने की मांग के संबंध में ।	03.03.2021	09 / 21–892 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10633, दिनांक 29.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–109
110	श्री शम्भुनाथ यादव	भोजपुर (आरा) और राजधानी पटना को जोड़ने वाला कोईलवर में सोन नदी पर बने हुए नये पुल पर प्रशासन की लापरवाही से विगत 15 दिनों से गिद्धा से बिहटा तक महाजाम लगा हुआ है जिससे आम जनता एवं मरीजों को पटना आने–जाने में कठिनाई हो रही है महाजाम से निजात दिलाने के संबंध में ।	02.03.2021	08 / 21–781 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7234, दिनांक 20.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–110

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
111	श्री शाहनवाज	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम–महसेली निवासी मो0 इमरान, पिता–मो0 लईक को बौसी थाना द्वारा दिनांक 27.02.2021 को हत्या के संदेह के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 28.02.21 को सुबह मे हाजत मे संदिग्ध अवस्था मे मृत पाया गया। उच्चस्तरीय जाँच की माँग के संबंध में ।	02.03.2021	08/21–786 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7422, दिनांक 01.10.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–111
112	श्री शाहनवाज	अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के ग्राम–बलवा के मो0 अशरफ अली, पिता–मो0 बसी अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से दिनांक 23.02.21 शाम से लापता है, के संबंध में ।	03.03.2021	09/21–893 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10783, दिनांक 25.10.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–112
113	श्री संदीप सौरभ	अरवल–आरा व आरा–छपरा पुल पर आये दिन अवैध बालू उत्खनन के कारण जाम लगता है। बड़हरा और डोरीगंज थाने की मिलीभगत से अवैध खनन चलता है। माफियाओं द्वारा हथियारों के बल पर दाहिने साइड से ट्रकों को निकलवाया जाता है। त्वरित कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	08.03.2021	12/21–969 17.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7064, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–113
114	श्री संदीप सौरभ	पटना के पीरबहोर थाना प्रभारी दवाई, प्रिंटिंग, शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिंग आदि के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, दूसरी ओर वे विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से 307 जैसी संगीन धारायें लगाकर उत्पीड़न करते है व मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी है। तत्काल बर्खास्तगी व कार्रवाई की मांग के संबंध मे।	18.03.2021	19/21–1417 13.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–11108, दिनांक 07.11.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–114
115	श्री संतोष कुमार मिश्र	रोहतास जिलान्तर्गत परसथुआँ थाना के ग्राम–कथराई के निकट दिनांक 15.03.2021 को बेखौफ अपराधियों से आभूषण व्यवसायी श्री रमाशंकर सेठ को दिनदहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर आभूषण लेकर फरार हो गये। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए अपराधियोंकी अविलंब गिरफ्तारी तथा गरीब व्यवसायी को समुचित इलाज की मांग के संबंध में।	18.03.2021	19/21–1415 13.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7292, दिनांक 30.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–115

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
116	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी बक्सर में लगातार धार्मिक मेला लगते हैं जिसमें उस दौरान जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक सुचारू रहे इसके लिए मैं ट्रैफिक थाना का निर्माण के संबंध में।	01.12.2021	31/21-3518 31.12.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-9911, दिनांक 08.09.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-116
117	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	रोहतास जिला कबड्डी संघ सचिव रवि भूषण पाण्डेय जी के पुत्र आदित्य नारायण पाण्डेय जो कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी था की हत्या सासाराम में 22 फरवरी 2021 को जहर देकर कर दी गयी जिसमें नामजद एफ0आई0आर0 शिवसागर थाना में थानाकांड सं0 48/2021 दर्ज की गयी है लेकिन आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, के संबंध में ।	05.03.2021	11/21-945 15.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7108, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-117
118	श्री सुधाकर सिंह	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आदापुर थानाध्यक्ष द्वारा पुलिसिया जुल्म उजागर करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा आन्दोलन तथा प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि आन्दोलन बन्द करो अन्यथा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घटना की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में ।	03.03.2021	09/21-890 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7235, दिनांक 20.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-118
119	श्री सुधाकर सिंह	कैमूर जिला में दुर्गावती थाना अन्तर्गत दिनांक 06.03.2021 की रात खिलखिली टोल प्लाजा पर ट्रक लदे बालू माफिआयों ने टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट कर बगैर टोल टैक्स दिए गाड़ी पार किए। घटना की उच्च स्तरीय जांच कर बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने के संबंध में।	09.03.2021	13/21-1042 19.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-6946, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-119
120	श्री सुधाकर सिंह	बिहार सैन्य पुलिस में नियुक्त मैट्रिकुलेट सिपाही 1986 से 1998 तक के जो हवलदार पद में पदोन्नति पा गए। उन्हें पुनः स्वेछा पत्र प्राप्त कर पुलिस मैनुअल 684 के तहत बिहार पुलिस के सदृष्य सैन्य पुलिस के हवलदारों/सिपाहियों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित करने के संबंध में ।	17.03.2021	18/21-1609 11.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-1566, दिनांक 21.02.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-120

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
121	श्री सुधाकर सिंह	सीवान जिला के प्रखंड दरौंदा अंतर्गत सिरसॉव पंचायत के मुखिया द्वारा सूचना दाता को विगत 22 जनवरी 2021 को जमकर पिटाई कर घायल किया गया। शिकायत करने पर भी प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मुखिया द्वारा शिकायत वापस लेने हेतु धमकी दिया जा रहा है। उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को दंडित करने के संबंध में।	23.03.2021	21/21–1457 28.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–3956, दिनांक 19.04.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–121
122	श्री सुदामा प्रसाद	शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया जिसमें माले विधायक संदीप सौरभ, मनोज मंजिल, अजित कुशवाहा सहित दर्जनों युवा घायल हो गये। दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए अपने वायदेनुसार 19 लाख स्थायी रोजगार की व्यवस्था कराने के संबंध में।	02.03.2021	08/21–780 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6949, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–122
123	श्री सुदामा प्रसाद	थानों में कार्यरत प्राईवेट ड्राईवरों को नियमित करने के संबंध में।	19.03.2021	20/21–1343 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7383, दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–123
124	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता	गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक एल०/एच०जी०–1703/02 के आलोक में पत्रांक–866, दिनांक 31.01.2011 को जिलावार पद 11,122 गृहरक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। जिसके अनुसार पश्चिम चम्पारण में भी बहाली की मांग के संबंध में।	17.03.2021	18/21–1584 10.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–5019, दिनांक 08.08.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–124
125	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता	बगहा पुलिस जिलान्तर्गत आदिवासी छात्रा बलात्कार व हत्याकांड के सभी दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी व स्पीडी ट्रायल, मृतका के परिजनों 20 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने की मांग के संबंध में।	23.03.2021	21/21–1454 28.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6490, दिनांक 24.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–125
126	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के हत्यारों के राजनीतिक संरक्षण और हत्याकांड का विरोध कर जनता को गिरफ्तार करने की घटना में दोषियों पर कार्रवाई के मांग के संबंध में ।	19.03.2021	20/21–1341 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7291, दिनांक 30.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–126

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक।
127	श्री चेतन आनंद	कोरोना संकट के साल पूरे हुए। सभी संस्थान खुल गए। जेलों मे बंदियों की मुलाकात पर रोक है। कोरोना के कारण उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया। वे अपने परिजनों–वकीलों से बातचीत और भेंट को मोहताज है। उनकी वापसी और मुलाकात शुरू करने की मांग के संबंध मे।	19.03.2021	20/21–1337 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6438, दिनांक 28.07.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–127
128	श्री अरूण सिंह	रोहतास जिलान्तर्गत संझौली थाना के तिलई गाँव के वकील पासवान 21.02.2021 को मारपीट व गोली लगने का FIR दर्ज करने थाने में गए लेकिन थानाध्यक्ष FIR दर्ज नही किया। FIR दर्ज करते हुए थानाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में।	22.02.2021	02/21–536 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7946, दिनांक 07.10.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–128
129	श्री अरूण सिंह	काराकाट विधानसभान्तर्गत सकला बाजार पर शिवजी साह की दुकान है। मिठाई खरीदने मे मोलभाव का बहाना बनाकर अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलियां चलाई, जिसमे रौशन साह की मौत व अरूण साह घायल हो गया। अपराधियों की गिरफ्तारी, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई सहित मुआवजे की मांग के संबंध मे।	09.03.2021	13/21–1039 19.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6949, दिनांक 22.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–129
130	श्री अरूण सिंह	काराकाट कांड सं0–176/20 दिनांक 15.11.2020 के अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट से कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी पुलिस कुर्की जब्ती नही की है। मुद्दालय डरे सहमे है। पुलिस निष्क्रियता की जांच व कुर्की जब्ती अविलंब कार्रवाई के संबंध में।	19.03.2021	20/21–1342 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7258, दिनांक 20.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–130
131	श्री अरूण शंकर प्रसाद	मधुबनी जिला के जयनगर थाना मे थानाध्यक्ष की लापरवाही से हाल के दिनो मे मोटरसाईकिल चोरी की घटना एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जयनगर थाना एवं आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। विधि व्यवस्था नियंत्रण हेतु ठोस कार्रवाई की मांग के संबंध में।	24.02.2021	04/21–538 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10635, दिनांक 20.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–131

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
132	श्री अरुण शंकर प्रसाद	मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर थाना के शहरी क्षेत्र में विगत एक सप्ताह के अन्दर दर्जनों गायों की चोरी हो चुकी है जिससे पशुपालक दहशत में है। अज्ञात पशु तस्करों के विरुद्ध थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। शीघ्र चोरी एवं तस्करी रोकने के संबंध में ।	04.03.2021	10/21–774 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–13658, दिनांक 06.12.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–132
133	श्री अखतरूल ईमान	किशनगंज जिला मेंकुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने हेतु क्षेत्र के मेहनतकश भारतीय नागरिक शेरशाह बादीयों को बंग्लादेशी घुसपैठ कहकर उन्हें डराने–धमकाने एवं वहाँ के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने एवं साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का आपराधिक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	16.03.2021	17/21–1233 06.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7853, दिनांक 11.10.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–133
134	श्री अनिल कुमार	सीतामढ़ी के मेहसौल पश्चिमी के वार्ड नं0–01 में थाना नं0–316, खेसरा नं0–582 में अवस्थित श्मशान की मिट्टीकरण एवं घेराबंदी कार्य जनहित में मानसून से पूर्व अतिशीघ्र कराने के संबंध में।	18.03.2021	19/21–1418 13.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–3356, दिनांक 25.06.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–134
135	श्री आनंद शंकर सिंह	मुफस्सिल थाना, औरंगाबाद काण्ड संख्या 196/2018, जिसकी अग्रिम जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21.05.19 को रद्द एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आत्म समर्पण करने के आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नही की गई है। उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द कराने की मांग के संबंध में।	17.03.2021	18/21–1533 03.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7086, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–135
136	श्री आलोक कुमार मेहता	दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार एवं दर्ज करना थाने का कर्तव्य है। पिछले वर्षों में थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करने से अपराधियों के मनोबल एवं कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने के संबंध में ।	02.03.2021	08/21–792 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–640, दिनांक 25.01.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–136

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
137	श्री अचमित ऋषिदेव	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ बाजार में स्थायी पुलिस आउट पोस्ट बनाने की मांग के संबंध में।	19.12.2022	34/22-183 12.01.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक-12997, दिनांक 27.10.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-137
138	श्री अजय कुमार	खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली थाना के बहादुरपुर निवासी श्री राम कुमार अरुणाचल प्रदेश के जिला च्यांगलांग स्थित क्यूपीसी ऑयल एंड गैस कम्पनी मैकर्पसत थे, जिन्हें 21 दिसम्बर, 2020 को उल्फा उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया, जिनका अभीतक पता नहीं है। श्री कुमार के सकुशल रिहाई कराने की मांग के संबंध में ।	03.03.2021	09/21-894 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-9783, दिनांक 07.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-138
139	श्री अजीत कुमार सिंह	डुमराँव किशन सभा अंतर्गत सोनवर्षा ओ०पी० (थाना-नावानगर) के प्रभारी सुबोध कुमार बाजार करने पहुँचे पुरुषों-महिलाओं के साथ गाली-गलौज कर जलील करते है तथा जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं और मना करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देने की धमकी देते है । सोनवर्षा ओ०पी० प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग के संबंध में।	24.02.2021	04/21-540 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7388, दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-139
140	श्री अजीत कुमार सिंह	जाति और धर्म के नाम पर भोजपुरी गीतों में अश्लीलता परोसा जा रहा है। जिससे सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा है। ऐसे गीतो पर अविलंब प्रतिबंध लगाने तथा इन्हे बनाने और गाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के संबंध में।	04.03.2021	10/21-785 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-7930, दिनांक 25.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-140
141	श्री गोपाल रविदास	फुलवारी प्रखंड स्थित परसा बाजार थाना के सीमरा मुसहरी के लिए 1 कि०मी० मुखिया कोष के लगेट ईट खरंजा को 13.03.2021 को जाति विशेष के दबंग उखाड़कर ईंट घर लेते गए । विरोध करने पर महादलितों को जलाकर मारने की धमकी दी । दबंग-अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	17.03.2021	18/21-1608 11.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक-9430, दिनांक 01.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट-141

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन मे उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
142	श्री ललित कुमार यादव	पवन कुमार सिंह, दिनांक 14.02.21 को दिल्ली से अपने घर सकरी जा रहे थे, अपनी भतीजी की शादी में। इनका अपरहण हो गया है, ए०टी०एम०से पैसा भी निकाल लिया, अभी तक उसका अपहरण का पता नहीं चला है।	26.02.2021	06/21–653 05.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–8987, दिनांक 19.11.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–142
143	श्रीमती मंजु अग्रवाल	बिहार राज्य अंतर्गत अधिकांशतः जिन जिलों में गृह रक्षा वाहिनी की नियुक्ति नहीं की गयी है, उन जिलों में नियुक्ति शीघ्र करने की मांग के संबंध में।	19.12.2022	34/22–156 12.01.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–3371, दिनांक 14.03.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–143
144	श्रीमती निशा सिंह	कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखण्ड के गौरीपुर पंचायत के सोनामोड़ से पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपराधकर्मी अनुसूचित जन–जाति महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे है। अनुसूचित जाति के महिलाओं पर अत्याचार रोकने एवं सोनामोड़ के पास पुलिस कैम्प की स्थापना की मांग के संबंध में ।	17.032021	18/21–1532 03.06.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक 3056, दिनांक 24.03.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–144
145	श्रीमती रेखा देवी	बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग की मुख्यालय से 20 कि०मी० दूरी पर रहने के पश्चात् यात्रा भत्ता देय है। किसी प्रतिष्ठान थाना या माननीय के यहाँ प्रतिनियुक्त रहने पर सिर्फ 6 माह ही यात्रा भत्ता देय होगा, उसके बाद भत्ता देय नहीं है, सभी को यात्रा भत्ता देने के संबंध में ।	15.03.2021	16/21–1086 25.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6799, दिनांक 08.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–145
146	श्रीमती रेखा देवी	पटना जिलान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत धनरूआ थाना द्वारा इस क्षेत्र के निरीह, गरीब, बेसहारा, अनुसूचित जाति सहित अन्य अज्ञात 500 निर्दोष व्यक्तियों पर दो–दो प्राथमिकी 356/17 एवं 357/17 दायर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना की पुलिसिया प्रताड़ना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के संबंध में ।	16.03.2021	17/21–1232 06.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7082, दिनांक 15.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–146
147	डॉ० रामानुज प्रसाद	दिनांक 14.03.21 को बिहार पुलिस एवं रेलवे की परीक्षा निर्धारित रहने के कारण बिहार के लाखों अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को अन्य तिथि को लिये जाने की मांग के संबंध में ।	04.03.2021	10/21–783 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6693, दिनांक 06.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–147

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
148	डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता	सारण जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पंचायत करीगा के ग्राम–बीनटोलिया के रितुजीत कुमार, पिता–कृष्ण कुमार चौधरी की हत्या गोली मारकर दिनांक–03.01.21 को कर दी गई है जिसका मुफस्सिल थाना कांड संख्या–6/21 है। उक्त कांड संख्या के अभियुक्तों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, के संबंध में ।	25.02.2021	05/21–547 02.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7591, दिनांक 29.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–148
149	डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता	सारण जिलान्तर्गत छपरा आरा पुल पर प्रत्येक दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। दिनांक 25.02.2021 को आरा पुल पर 06 कि0मी0 की दूरी 08 घंटे में तय की जा रही है। उक्त पुल पर जाम से मुक्ति करने के संबंध में ।	03.03.2021	09/21–899 13.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–7592, दिनांक 29.09.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–149
150	डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता	नालन्दा जिलान्तर्गत भीमनगर, थाना–बिहार में प्रवीण कृष्ण S/o स्व0 अरविन्द कृष्ण जिनका FIR नं0 149/2021 है दबंग अपराधियों द्वारा भूमि विवाद में 28/2/21 को नृशंस हत्या कर दी गयी है। हत्यारों की सजा के संबंध में।	04.03.2021	10/21–776 10.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–10566, दिनांक 27.12.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–150
151	श्री रणविजय साहू	नवादा जिले के रूपौ थाना निवासी युवा व्यवसायी अमरदीप कुमार साव को दिनांक 09.02.2023 को अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया, जिसका रूपौ थाना कांड संख्या–84/23 है। घटना में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग करने के संबंध में।	28.02.2023	08/23–514 06.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–6916, दिनांक 07.06.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–151
152	श्री सुदामा प्रसाद	भोजपुर जिला के तरारी थाना अन्तर्गत बोठवार में 26 जनवरी, 2023 को शिक्षक श्रीराम राम की बर्बर पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने के संबंध में ।	28.02.2023	08/23–512 06.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–13166, दिनांक 08.11.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–152
153	श्री अमरजीत कुशवाहा	नफरत की राजनीति से भड़के सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कारण तमिलनाडु में हिन्दी भाषी बिहार मजदूरों पर क्रूरतापूर्ण कायराना हमला किया जा रहा है, जिसमे दर्जनों जानें जा चुकी है। सदन से बिहार सरकार से तत्काल हमले पर रोक हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखने की मांग के संबंध में ।	03.03.2023	11/23–600 16.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–4789, दिनांक 20.04.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–153

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक ।
154	श्रीमती गायत्री देवी	सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड में दिनांक 03.03.2023 को बरहरवा गाँव मे हो रहे नवाह मे पुलिया प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर बन्द कराने एवं प्रशासन द्वारा महिलाओं वृद्ध एवं बच्चों के साथ बुरी तरह मार–पीट की गई और 32 लोगो को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़े लोगों को छोड़ने तथा पुलिस पर कार्रवाई की मांग के संबंध में । नोट–50 शब्दों से अधिक होने के कारण इसे आमान्य किया जा सकता है।	06.03.2022	12/23–680 23.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–7022, दिनांक 07.06.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–154
155	श्री नितिन नवीन	पटना के प्रतिष्ठित डॉ0 संजय कुमार पिछले120 घंटे से लापता हैं। पुलिस प्रशासन उनके संबंध में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक एकत्रित नहीं कर पाई है। पूरा चिकित्सा जगत जंगल राज वापसी से घबराया हुआ है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ठ करने की मांग के संबंध में ।	06.03.2023	12/23–688 23.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–13165, दिनांक 08.11.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–155
156	श्रीमती प्रतिमा कुमार	वैशाली जिलान्तर्गत औद्योगिक थाना के दारोगा लोकेश कुमार चौधरी का व्यवहार–आचरण जनसहयोगी नहीं है, जिसकी काफी शिकायतें हैं, उन्होंने मेरे विधायक प्रतिनिधि राजीव रंजन से दिनांक 03.03.2023 को अपमानित एवं प्रताड़ित किया। उक्त पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	06.03.2023	12/23–679 23.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–13070, दिनांक 30.10.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–156
157	श्री सूर्यकान्त पासवान	बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड के पंचवीर गाँव मे दो नाबालिग बच्ची के साथ सराब के नसे मे धुत अपराधियों ने बलात्कार किया, सभी अपराधियो की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की माँग के संबंध में ।	13.03.2023	13/23–755 27.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–8666, दिनांक 18.07.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–157
158	श्री ललित नारायण मंडल	भागलपुर जिले के शाहकुण्ड प्रखण्ड के सजौर पंचायत के सजौर मंसुरी टोला वाले कब्रिस्तान के घेराबंदी की मांग के संबंध में।	13.03.2023	13/23–764 27.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–1912, दिनांक 25.07.23 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–158

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/ दिनांक ।
159	श्री महानंद सिंह	अरवल–जहानाबाद में होम गार्ड की बहाली के लिए एक साल से सारा प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद अभी तक सफल अभ्यर्थियो को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। होमगार्ड के लिए सफल अभ्यर्थियो को तत्काल बहाल करने के संबंध में ।	15.03.2023	15/23–727 24.03.2023	गृह विभाग के ज्ञापांक–5433, दिनांक 08.05.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–159
160	श्री सूर्यकान्त पासवान	वर्ष 2000 से 2003 तक मैट्रीक उत्तीर्ण सिपाहियों को वर्ष 2019 में पी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु बिहार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा गया था। एम0पी0टी0सी0 डुमरांव के 610 प्रशिक्षुओं का परिक्षाफल घोषित नहीं किया गया है। उक्त प्रशिक्षुओं का परिक्षाफल शीघ्र घोषित करने की मांग के संबंध में ।	09.03.2022	08/22–1627 18.04.2022	गृह विभाग के ज्ञापांक–6234, दिनांक 27.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–160
161	श्री कृष्णनंदन पासवान	हरसिद्धि विधान सभा अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड के 19 पंचायत एवं तुरकौलिया प्रखंड के 16 पंचायत अवस्थित शवदाह स्थल को घेराबंदी सहित मुक्तिधाम में तब्दील करना जनहित में महत्वपूर्ण है। उक्त शवदाह स्थल को घेराबंदी सहित मुक्तिधाम का निर्माण कराने के संबंध में।	19.03.2021	20/21–1339 09.04.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक–3357, दिनांक 26.05.21 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट–161

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर शून्यकाल समिति की गृह विभाग के साथ विभागीय/समीक्षात्मक बैठकों में समीक्षोपरान्त सभी कार्यान्वयन प्रतिवेदन को संतोषप्रद पाया है। जिसके आलोक में इसे निष्पादित मान लिया गया है।

निष्कर्ष

क्रमांक 01 से 161 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

पत्र संख्या–डी/ए0क्यू0–04/2022–363

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

मो0 इसराइल मंसूरी,
माननीय स0वि0स0
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 22 जून, 2022 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 02 मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक शू0का0स0–03/2022–959/वि0स0, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम पत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 02 मार्च, 2022 के सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	मेरे कांटी विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड मड़वन मोहम्मदपुर खाजे के हसन राजा एवं कांटी छपरा जद्दु निवासी योगेश कुमार सहित तमाम फंसे बिहारी छात्रों को यूक्रेन से सकुशल घर वापसी की मांग सरकार से करता हूँ।	प्राप्त सूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के हसन रजा एवं कांटी प्रखंड के योगेश कुमार सहित यूक्रेन में फंसे उक्त जिले के सभी 46 छात्र/छात्राओं की सकुशल घर वापसी हो चुकी है।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–2

श्री मुहम्मद इजहार असफी, माननीय सदस्य बिहार सभा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्यः–

शून्यकाल

किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत विशनपुर बाजार में दिनांक 16 अगस्त, 2018 को एन0जी0ओ0 (गौ ज्ञान फाउन्डेशन) के संस्थापक के कारण एक अप्रिय घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग 76 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

अतः घटना की जिला प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जाँच हो ताकि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अभय कुमार, वर्तमान ओ0पी0 प्रभारी, विशुनपुर के आवेदन के आधार पर कोचाधामन (विशुनपुर) थाना कांड सं0–156/18, दिनांक 16 अगस्त, 2018, धारा–114/147/148/149/342/323/448/307/332/333/379/427/353/436 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी 75 नामजद अभियुक्तों एवं 1500–2000 अज्ञात उपद्रवी के विरूद्ध नाजायज मजमा बनाकर विशुनपुर ओ0पी0 आकर पुलिस पर जानलेवा हमला करने, विशुनपुर ओ0पी0 परिसर में रखे सरकारी सम्पत्ति को जला कर नुकसान कर देने तथा तोड़–फोड़ कर वान एवं अन्य उपस्कर को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद 38 अभियुक्तों एवं 25 अप्राथमिकी अभियुक्तों तथा अन्य 1500–2000 के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।

अनुसंधान के क्रम में इस कांड के 01 अभियुक्त को मृत एवं 04 अभियुक्तों को असत्यापित पाया गया है। सात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–158/18, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 एक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र सं0 68/19, दिनांक 24 मई, 2019 एवं पचास अभियुक्त के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र सं0 117/22, दिनांक 02 अप्रील, 2022 समर्पित किया गया है। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।

परिशिष्ट–3

श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० का शून्यकाल सचूना

किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र नहीं रहने से आग लगने पर जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 किलोमीटर रहने के कारण गाड़ी आने तक पूरा गांव जलकर राख हो जाता है। पोठिया प्रखंड मुख्यालय में अग्निशामक केन्द्र खोलवाने की मांग सरकार से करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2262, दिनांक 20 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड में वर्ष 2020 में 11, वर्ष 2021 में 09 एवं वर्ष 2022 में अबतक 07 अगलगी की घटनाएँ हुई है। पोठिया प्रखण्ड में पूरा गाँव जलकर राख होने की घटना प्रतिवेदित नहीं है। पोठिया प्रखण्ड अवस्थित पोठिया थाना में वर्ष 2018 से एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे पोठिया प्रखण्ड में अग्निकांड की घटना होने पर अग्निशमन कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त ठाकुरगंज थाना एवं गलगलिया थाना में प्रतिनियुक्त मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन से भी अग्निशमन का कार्य किया जाता है। पोठिया प्रखण्ड से इसकी दूरी क्रमशः लगभग 20 कि०मी० एवं 40 कि०मी० है। विशेष परिस्थिति में अग्निशमन का कार्य किशनगंज अग्निशामालय के वाहनों से किया जाता है।

बिहार अग्निशमन सेवा में अनुमंडल स्तर तक ही अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है। राज्य में कहीं भी प्रखण्ड/थाना स्तर पर अग्निशमन केन्द्र नहीं है। Response Time घटाने के उद्देश्य से राज्य के 439 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त किए गए हैं.।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किए गए घोषणा के आलोक में राज्य के प्रत्येक थानों में एक–एक अदद बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पूर्व से राज्य के 439 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉली अग्निशामन वाहनों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थानों में अग्नि प्रवण प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

परिशिष्ट–4

श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्यः–

शून्यकाल

भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर थाना के मकन्दपुर निवासी प्रशांत कुमार राय के पुत्र शुभम राय सोमवार 28 मार्च से ही लापता है। थाने में केस दर्ज है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है।

अतः शुभम राय की सकुशल बरामदगी की सरकार से मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अपहृत शुभम कुमार का अपहरण के उपरांत अपराधकर्मियों द्वारा हत्या कर दिया गया था। इस मामले में अकबरनगर थाना कांड सं0–31/22, दिनांक 29 मार्च, 2022, धारा–363/365/302/201/120(बी) भा0द0वि0 दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में कांड में सत्य पाये गये प्राथमिकी अभियुक्त 1. जय किशुन यादव, अप्राथमिकी अभियुक्त 2. शाहिद राजा, 3. रोहित यादव 4. अशोक यादव एवं 5. कृष्णजीत यादव उर्फ अनिकेत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र सं0 100/22 दिनांक 28 जून, 2022 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। शेष अप्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 मिनहाज खान, 2. गुड्डु खान, 3. फतह खान एवं 4. गोल्डन खान के विरुद्ध इश्तेहार प्राप्त किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।

परिशिष्ट–5

संख्या 8/वि0स0–10–25/2021–गृ0आ0–9234

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0स0–25/2021–2301/वि0स0, दिनांक 06 अगस्त, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक–वि0मं0/41–4–339–2021/1079, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है:–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि परसबिगहा थाना काण्ड सं0–120/21, दिनांक 19 जूलाई, 2021, धारा–30 (ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम द्वारा काण्ड के वादी पु0अ0नि0 राजकुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर महुआ शराब के साथ दिनांक 19 जुलाई, 2021 को गोविन्द मांझी जिला–जहानाबाद को गिरफ्तार करने के ओराप में दर्ज किया गया है। अनुसंधानोपरांत इस काण्ड धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त गोविन्द मांझी, जिला–जहानाबाद को मृत दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन संख्या–142/21, दिनांक 31 जुलाई, 2021 माननीय न्यायालय मे समर्पित किया गया है। काण्ड का अनुसंधान समाप्त है।

परसबिगहा थाना काण्ड सं0–125/21, दिनांक 24 जुलाई,2021E ारा–147/148/149/341/323/337/338/353/333/334/307/304/504/406/427/भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3 डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अन्तर्गत वादी पु0अ0नि0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, थाना–परसबिगहा, जिला–जहानाबाद के लिखित आवेदन के आधार पर परसबिगहा थाना काण्ड सं0–120/21 के प्राथमिकी अभियुक्त गोविन्द मांझी के दाउदनगर कारा मे दिनांक 23 जुलाई, 2021 को हुई मृत्यु को लेकर नेहालपुर एन0एच0–110 को मुसहर (मांझी समुदाय) एवं अन्य असमाजिक तत्वों के द्वारा रोड जाम कर उग्र प्रदर्शन किये जाने, पुलिस टीम पवर उग्र लोगों के द्वारा गाली गलौज करने एवं जानलेवा हमला किये जाने, कई पुलिस कर्मी के जख्मी होने एवं रोड़ेबाजी के कारण भागने के क्रम में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से महिला हवलदार की मृत्यु हो जाने तथा पुलिस बल का हथियार छीनने का प्रयास करने, फायरिंग एवं पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में कुल–51 नामजद अभियुक्तों एवं 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अबतक के अनुसंधान में घटना में संलिप्त नामजद कुल–15 असामाजिक तत्वों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 25 जुलाई, 2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया गया, तत्पश्चात् न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्तमान में काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–6

संख्या 1/वि0स0–10–01/2022–गृ0आ0–13120

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री महबूब आलम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के शून्य काल की सूचना के उत्तर के संबंध में ।

प्रसंग—भवदीय कार्यालय पत्रांक शू0का0स0–03/2022–955/वि0स0, दिनांक 14 मार्च, 2022।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण विभाग) के पत्रांक 1767, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री पुलिस मुख्यालय को पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के पत्रांक 2887/सा0शा0, दिनांक 8 दिसम्बर, 2022 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया पर लगाये गये कतिपय आरोप के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया द्वारा स्वयं संपूर्ण मामले की जाँच की गई। जाँचोपरान्त संबंधित मामला मुख्य रूप से खनन विभाग से संबंधित पाया गया है। खनन विभाग के पदाधिकारियों के अनुरोध पर ही ग्राम आढ़तपुर स्थित बालू घाट के सीमांकन में सहयोग के लिए जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा काफी संख्या में दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा पुलिस बलों पर पथराव एवं हमला के कारण अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ उपस्थित/पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिए गये व्यक्तियों को उनके ही कपड़ा आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ देर के लिए हाथ बांधा गया। अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की निगरानी हेतु स्थानीय थानाध्यक्ष मेन थाना द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इस लापरवाही के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष, मेन थाना पुलिस अवर निरीक्षक रामप्रकाश सिंह को निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध गया जिलादेश सं0–2206/22 के द्वारा गया जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) सं0–49/2022 प्रारंभ की गयी है। पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के कार्यालय ज्ञापांक 1776/सा0शा0, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को उक्त विभागीय जाँच का शीघ्र निष्पादित कर सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकरण में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के स्तर से कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के ऊपर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

2. अतः अनुरोध है कि इसे कार्यान्वित मानते हुए शून्यकाल सूचना बिहार विधान सभा की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

संख्या–वि0मं0 / 41–4–331–2022 / 1767
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण विभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

सेवा में

श्री गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

प्रसंग—आपके कार्यालय का ज्ञापांक 1 / 4510, दिनांक 6 मई, 2022

विषय—श्री महबूब आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के पत्रांक 2887 / सा0शा0, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया पर लगाये गये कतिपय आरोप के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया द्वारा स्वंय संपूर्ण मामले की जाँच की गई । जाँचोपरान्त संबंधित मामला मुख्य रूप से खनन विभाग से संबंधित पाया गया है। खनन विभाग के पदाधिकारियों के अनुरोध पर ही ग्राम–आढतपुर स्थित बालू घाट के सीमांकन में सहयोग के लिए जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा काफी संख्या में दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा पुलिस बलों पर पथराव एवं हमला के कारण अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को उनके ही कपड़ा आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ देर के लिए हाथ बांधा गया। अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की निगरानी हेतु स्थानीय थानाध्यक्ष, मेन थाना द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस लापरवाही के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष, मेन थाना पुलिस अवर निरीक्षक रामप्रकाश सिंह को निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध गया जिलादेश सं0–2206 / 22 के द्वारा गया जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) सं0–49 / 2022 प्रारंभ की गयी है। पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के कार्यालय ज्ञापांक 1776 / सा0शा0, दिनांक 16 अगस्त, के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को उक्त विभागीय जाँच का शीघ्र निष्पादित कर सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकरण में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के स्तर से कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के ऊपर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण),
बिहार, पटना।

पत्रांक–2887 / सा0शा0

पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध क्षेत्र, गया

प्रेषक

पुलिस महानिरीक्षक,
मगध क्षेत्र, गया।

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

प्रसंग—बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का पत्र सं0 वि0मं0 / 41–4–331–2020 / 1665, पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 2022

विषय—–श्री महबूब आलम, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री महबूब आलम, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना में गया जिले के बेलागंज प्रखण्ड के आढ़तपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदों को तोड़ने वाली तथा बालू माफिया की संरक्षक गया की एस0एस0पी0 पर कार्रवाई किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का पत्र सं0–वि0मं0 / 41–4–331–2020 / 1229, पटना, दिनांक 11 जुलाई, 2022 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एव कल्याण प्रभाग), बिहार, पटना का पत्र सं0वि0मं0 / 41–4–331–2020 / 1308, पटना, दिनांक 27 जुलाई, 2022 के आलोक में क्रमशः इस कार्यालय का पत्रांक 1596 / सा0शा0, दिनांक 15 जुलाई, 2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1782 / सा0शा0, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के माध्यम से बिहार पुलिस मुख्यालय को उत्तर सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

पुनः प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उक्त संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत जाँच की गयी, जो निम्नवत् है:–

गया जिला के मेन थानान्तर्गत ग्राम–आदतपुर स्थित बालू घाट है। यहाँ दिनांक 15 फरवरी, 2022 को बालू घाट सीमांकन के दौरान महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदों को तोड़ने का आरोप वरीय पुलिस अधीक्षक, गया पर लगाया गया है। इस जगह के उत्तर में आढ़तपुर गांव, दक्षिण में नदी होते हुए अहरा, पूरब में बूढ़ी नदी होते हुए ग्राम–चढ़ता एवं पश्चिम में बूढ़ी नदी है।

विवाद का मुख्य कारणः–ग्राम–आदतपुर के चारों तरफ नदी है। बीच में आढ़तपुर गांव है। नदी के बालू घाट की निलामी होने के उपरांत बालू उठाव हेतु सीमांकन करने की प्रक्रिया को ग्रामीणों द्वारा यह कहकर विरोध किया जाता है कि गांव के पास बालू उठाव होने से गढ्ढ़ा हो जायेगा जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

पूर्व में भी ग्राम–चढ़ता टोला आढ़तपुर स्थित बालूघाट का सीमांकन करने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन के बीच फरवरी, 2020 में झड़प हुई थी। इस संबंध में खान निरीक्षक,गया द्वारा मेन थाना कांड सं0–12 / 20, दिनांक 20 फरवरी, 2020, धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 342 / 353 / 323 / 504 / 506

भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद 47 अभियुक्तों एवं 200–250 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। पुनः माह–जनवरी, 22 में भी ग्रामीणों हिंसक विरोध के कारण श्री अमिताभ, खान निरीक्षक, गया के पत्रांक 98/खनन, गया, दिनांक 20 जनवरी, 2022 के आधार पर अज्ञात (महिला एवं पुरुष के विरुद्ध मेन थाना कांड सं0–05/2022, दिनांक 20 जनवरी, 2022 धारा–147/149/341/353/379/504/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 200–250 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया।

जाँच के क्रम में घटना से जुड़े कथित रूप पीड़ित महिला/पुरुष 1. गीता देवी उम्र–35 वर्ष, पति हरेराम यादव, 2. रंजू देवी, उम्र–35 वर्ष, पति फुलेन्द्र यादव, 3. मुन्नी देवी, उम्र–38 वर्ष, पति नवलेश यादव, 4. पुजा कुमारी, उम्र–21 वर्ष, पिता–इन्द्रदेव यादव, 5. बुद्धि कुमारी, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता श्री रामस्वरूप यादव, 6. रेणु देवी, उम्र करीब 40 वर्ष, पति प्रमोद यादव, 7. मुन्नी यादव, उम्र–42 वर्ष, पिता केशो यादव, 8. रंजीत कुमार, उम्र–24 वर्ष, पिता चंदारिक यादव, 9. श्रीकान्त प्रसाद, उम्र–36 वर्ष, पिता रामाशीष यादव, 10. राजबल्लव यादव, उम्र–50 वर्ष, पिता स्व0 जागेश्वर यादव, 11. प्रमोद यादव, उम्र करीब 44 वर्ष, पिता स्व0 नाथून यादव, 12. राम बाबु, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता ब्रहमदेव यादव, 13. हरे राम यादव, उम्र करीब 45 वर्ष, पिता स्व0 लालदेव यादव, 14. सुरेन्द्र यादव, उम्र करीब 58 वर्ष, पिता गणेशी यादव, 15. सत्येन्द्र प्रसाद, उम्र करीब 55 वर्ष, पिता श्री टेनी प्रसाद, सभी सा0–आढ़तपुर, थाना–मेन जिला–गया एवं 16. राजेश कुमार यादव, उम्र–63 वर्ष, पिता स्व0 छ्टु यादव, सा0–गया विगहा, थाना–शकुराबाद, जिला–जहानाबाद वर्तमान सा0–आढ़तपुर, थाना–मेन, जिला–गया से बारी–बारी से पुछताछ किया गया है। ये सभी लोग बताये कि घटना के दिन बालू उठाव करने हेतु घाट का सीमांकन के लिए प्रशासन गयी थी। उसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा गांव के सटे तटबंध से बालू उठाव करने का विरोध किया गया जिसमें प्रशासन एवं ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। प्रशासन के साथ बालू माफियाओं द्वारा महिलाओं के साथ हाथ बांधकर अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किया गया है।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी श्री अजीत कुमार लाल, उम्र–58 वर्ष, पिता स्व0 कुलानंद लाल, सा0–उजान, थाना–शकतपुर, जिला–दरभंगा वर्तमान अंचलाधिकारी, बेलागंज, जिला–गया, उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी 1. श्री गुलशन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टिकारी, गया, 2. श्री पी0एन0 साहु, पुलिस उपाधीक्षक, नगर, गया, 3. पु0स0अ0नि0 आशीष भारती, 4. पु0स0अ0नि0 अनिल कुमार, 5. पु0स0अ0नि0 अमरनाथ राय, 6. ह0 राजकुमार सिंह, 7. सिपाही–1717 सुनील कुमार, 8. डी0पी0सी0 925 दिपनारायण प्रसाद, 9. सैप–7224 संजय सिंह, 10. सिपाही–2732 शशिकान्त कुमार, 11. सिपाही–500 राजेश चौधरी, सभी नवादा जिलाबल, 12. दफादार रंजन प्रसाद, टिकारी थाना एवं 13. चौकीदार–2/3 बलीराम यादव, वर्तमान मेन थाना से बारी–बारी से पुछताछ किया गया। ये सभी लोग बताये कि पूर्व में हुई घटना को देखते हुए खनन विभाग के पदाधिकारी के साथ अतिरिक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं काफी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। सभी घटना के दिन दिनांक 15 फरवरी, 2022 को ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालू घाट पर सीमांकन हेतु पहुँचे और सीमांकन प्रारंभ हुआ इसी बीच ग्रामीणों द्वारा उग्र विरोध किया गया। काफी समझाने के बावजूद ग्रामीण समझने के लिए तैयार नहीं हुए और उग्र होकर सीमांकन किया हुआ पीलर उखाड़ने लगे। वे घर से रोड़ा–बाजी करते हुए तथा पुलिस पर जानलेवा हमला करने लगे। जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गये। तब दण्डाधिकारी के आदेश पर उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आश्रु गैस भी छोड़ा गया। उसके बाद भी ग्रामीण शांत नहीं हुए। तब किसी प्रकार उपद्रव कर रहे ग्रामीणों में से 10 लोगों को पकड़कर नदी में एक जगह बैठाया गया। बैठाने के बावजूद उनके द्वारा महिला/पुरुष सिपाहियों से हाथपाई एवं दांत काटने का प्रयास किया जाने लगा। वे महिला सिपाहियों के कपड़ा खींचने और फाड़ने लगे और हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किये जाने लगा।

बाद में पता चला कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा आत्मरक्षार्थ हिरासत में लिये गये महिलाओं/पुरूषों का हाथ उन्हीं के कपड़ा से कुछ देर के लिए बांधा गया। जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। उसके बाद जैसे ही पर्याप्त बल वहां पहुँचा तो सभी को गाड़ी से थाना लाया गया । उसके बाद नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की गयी ।

उपरोक्त ब्यान तथा कांड अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि खनन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बालू घाट की निलामी उपरांत जिला पदाधिकारी, गया का कार्यालय ज्ञापांक–901, दिनांक 14 फरवरी, 2022 के द्वारा ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालू घाट का सीमांकन कराने का आदेश हुआ। उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक, नगर, गया के द्वारा पूर्व में ग्रामीणों के उग्र विरोधी की घटना को देखते हुए जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया का पत्र लिखकर अतिरिक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार अतिरिक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/बलों की प्रतिनियुक्ति आदेश के उपरांत घटना के दिन दिनांक 15 फरवरी, 2022 को करीब 01:00 बजे दिन में खान निरीक्षक, गया एवं प्रतिनियुक्त अतिरिक्त दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारी/बलों के सहयोग से गया जिला के मेन थानान्तर्गत ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालू घाट का सीमांकन कराने पहुँचे । सीमांकन प्रारंभ भी हुआ। उसी क्रम में ग्राम–आढ़तपुर के ग्रामीणों द्वारा पूर्व की भाँति इस बार भी नजायज मजमा बनाकर बालू घाट के सीमांकन का विरोध करते हुए सीमांकन किया हुआ पीलर को उखाड़ दिया गया। उन्होंने पदाधिकारी/पुलिसकर्मियों को गाली गलौज कर छत के उपर से ईंट–पत्थर आदि से रोड़ेबाजी करते हुए आक्रमण कर दिया। जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये। काफी समझाने के बावजूद ग्रामीण शांत नही हो रहे थे। महिलाओं और बच्चों को आगे कर काफी पत्थरबाजी करते रहे। उसके बाद दण्डाधिकारी के आदेश पर उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बलों द्वारा आश्रु गैस भी छोड़ा गया। उसके बावजूद सभी उपद्रवी लगातार डियूटी में तैनात महिला सिपाही/कर्मी के साथ उलझ रहे थे। उक्त घटनाक्रम में उपस्थित पुलिस बलों (महिला/पुरूष सिपाही) द्वारा उपद्रवियों में से 06 महिला एवं 04 पुरूष उपद्रवी को नियंत्रित करने के लिए पकड़ कर हिरासत में लेकर नदी किनारे में बैठाया गया था। बैठाने के बावजूद उनके द्वारा महिला/पुरूष सिपाहियों से हाथपाई एवं दांत काटने का प्रयास किया जाने लगा तथा महिला पुलिसकर्मी का कपड़ा फाड़ने एवं दांत काटने का प्रयास किया जाने लगा तथा महिला पुलिसकर्मी का कपड़ा फाड़ने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किये जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मरक्षार्थ उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिये व्यक्तियों को उनके ही कपड़ा आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ देर के लिए हाथ बांधा गया। जिसका किसी के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। जैसे ही पर्याप्त बल वहाँ पहुँचा तो तुरंत सभी को विधिवत् गाड़ी से थाना लाया गया । उक्त घटना के संबंध में खान निरीक्षक, गया के द्वारा मेन थाना कांड सं0–07/22, दिनांक 15 फरवरी, 2022, धारा–147/148/149/323/332/333/337/338/341/307/353/504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 16 प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त एवं 100–150 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला मुख्य रूप से खनन विभाग से जुड़ा हुआ है। खनन विभाग के पदाधिकारियों के अनुरोध पर ही ग्राम–आढ़तपुर स्थित बालू घाट के सीमांकन में सहयोग के लिए जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा काफी संख्या में दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी। इस क्रम में ग्रामीणों द्वारा पुलिस बलों पर पथराव एवं हमला के कारण अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिये व्यक्तियों को उनके ही कपड़ा आदि से सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ देर के लिए हाथ बांधा गया। अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की निगरानी हेतु स्थानीय थानाध्यक्ष मेन थाना द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी को

प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस लापरवाही के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष, मेन थाना पु0अ0नि0 रामप्रकाश सिंह को निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध गया जिलादेश सं0–2206/2022 के द्वारा गया जिला विभागीय जाँच (कार्यवाही) सं0–49/2022 प्रारंभ की गयी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय का ज्ञापांक–1776/सा0शा0, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को उक्त विभागीय जाँच का शीघ्र निष्पादित कर सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकरण में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के स्तर से कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के उपर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

कृपया सूचनार्थ ।

(ह0)–अस्पष्ट,
पुलिस महानिरीक्षक,
मगध क्षेत्र, गया।

परिशिष्ट–7

श्री मो0 कमरान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2022 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

नवादा जिला के रोह प्रखण्ड अंतर्गत अनैला निवासी श्री सुबोध कुमार चालक को गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया। इस निर्मम हत्या का मै गिरफ्तारी से जाँच करा दोषी को कार्रवाई एवं परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी इंदु देवी के लिखित आवेदन के आधार पर अतरी थाना कांड सं0–80 / 22 दिनांक 12 मार्च, 2022 धारा–302 / 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत वादिनी के पति–सुबोध कुमार, चालक को वाहन में आग लगाकर जला देने के आरोप में अंकित कराया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में 1. राजेन्द्र महतो, 2. सरयुग महतो, 3. अमित कुमार, 4. सुमित कुमार, अप्रा0 अभि0 5. मो0 नं0–8274031991 के घटना के दिन का धारक, 6. मो0 नं0–9883829225 के घटना के दिन धारक, 7. संदीप कुमार एवं 8. मुकेश कुमार के विरुद्ध सत्य पाया गया है। 1. अमित कुमार, पे0–सरयुग महतो, साकिन–सुन्दरा, थाना–रोह, जिला–नवादा को दिनांक 12 मई, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–240 / 22, दिनांक 27 जुलाई, 2022 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। 2. संदीप कुमार, पे0–रामवृक्ष प्रसाद, साकिन–सुन्दरा, थाना–रोह, जिला–नवादा ने माननीय न्यायालय में दिनांक 03 सितम्बर, 2022 को आत्मसमर्पण किया है। कांड में शेष बचे अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को मुआवजा / नौकरी अनुमान्य नहीं है।

परिशिष्ट–8

श्री मुरारी मोहन झा, माननीय स०वि०स० के शून्यकाल सूचना।

केवटी विधान सभा के सिरहुली ग्राम निवासी शंकर शाह की पुत्री की हत्या उसके ससुराल में कर दी गई। जिसका केस संख्या–161/2021 कमतौल थाना में दर्ज है लेकिन सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभीतक नही की गई है जो कि संदेहास्पद है।

इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को सजा की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री शंकर शाह, जिला–दरभंगा के द्वारा अपनी पुत्री राखी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर देने के आरोप में कमतौल थाना में लिखित आवेदन के आलोक में कमतौल थाना कांड सं०–161/21 दिनांक 18 जुलाई, 2021 धारा–304 (बी०)/120 (बी०) भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. आशीष कुमार गुप्ता, 02. अमित कुमार गुप्ता, दोनों सा०+थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा 03. सुधा देवी 04. रिंकी देवी दोनों साकिन–मौलागंज, थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा 05. गुंजा देवी, 06. रंजीता देवी दोनों जिला–मुजफ्फरपुर के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा–304 (बी०) भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता, जिला–दरभंगा के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है। अन्य परीक्षण रिपोर्ट में मृतिका राखी कुमारी की मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया। इस कांड में मृतिका राखी कुमारी के पति प्राथमिकी अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता को दिनांक 13 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।

अनुसंधानोपरान्त इस कांड में दिनांक 24 अगस्त, 2021 को निर्गत प्रतिवेदन–03–सह–अंतिम आदेश में शेष 05 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को अनुप्रेषित दिखाते हुए धारा–498 (ए)/304 (बी०) भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता, जिला–दरभंगा के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–234/21, दिनांक 04 सितम्बर, 2021 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है।

कांड अनुसंधान समाप्त है।

परिशिष्ट–9

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, माननीय स०वि०स० का शून्यकाल सूचना

नवरत्न ज्वेलर्स बोरिंग रोड, पटना के धीरज कुमार द्वारा दर्जनों लोगों से पैसा ठगा गया है। ललन कुमार द्वारा दिया गया आवेदन के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई, पटना में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच करने की सरकार से माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक श्री ललन कुमार के द्वारा वर्ष 2018 में नवरत्न ज्वेलर्स एण्ड ब्रदर्स के मालिक धीरज कुमार एवं अन्य के विरुद्ध गाँधी मैदान थाना में दर्ज कराए गए कांड सं0–150/18 असत्य/मिथ्या पाया गया है एवं माननीय न्यायालय में आदेशनुसार 182/211 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियोजन प्रस्ताव कांड के वादी ललन कुमार के विरुद्ध समर्पित किया गया है। उक्त कांड में वादी/आवेदक द्वारा वर्ष 2013 में अपनी शादी के लिए अस्सी लाख रुपये के हीरा, सोना चाँदी आदि जेवारत खरीदने के लिए नवरत्न ज्वेलर्स को चालीस लाख रुपये का चेक एवं 10 लाख नगद गवाहों के सामने देने की बात बतायी गयी। विवाह की तिथि आगे बढ़ जाने पर जनवरी 2014 में उक्त ज्वेलर्स से अस्सी लाख रुपये के गहने एवं पूर्व में वादी द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में अनभिज्ञता जताने पर वर्ष 2018 में गाँधी मैदान थाने में कांड दर्ज कराया गया। जाँच में यह बात सामने आयी है कि वादी द्वारा 80 लाख रुपये का दिया गया चेक बाउंस कर गया था। इस संबंध में वादी के विरुद्ध एस0के0पूरी थाना में प्राथमिकी सं0–137/18 दिनांक 04 जून, 2018 दायर किया गया। उक्त प्राथमिकी को रद्द करने हेतु वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 2301/18 दायर किया गया था जो खारिज किया जा चुका है। एस0 के0 पुरी थाना कांड सं0 में अनुसंधानोपरान्त वादी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र सं0 237/20 दिनांक 30 जून, 2020 समर्पित किया जा चुका है।

पटना जिला पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर उसी आरोप के लिए आर्थिक अपराध इकाई से पुनः प्राथमिकी दर्ज करने की कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

परिशिष्ट–10

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

शून्यकाल सूचना

बिहार के नौजवान सेवा में जाने वाले अग्रणी राज्यों में है। तीनों सेना में 1,22,555 पद खाली हैं। भर्ती नहीं होने से सेना में जाने का सपना देख रहे नौजवान हताश है। भर्ती के लिए सदन में प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

प्रासंगिक मामला भारत सरकार के प्रत्यक्षतः नियंत्राधीन रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसमें बिहार सरकार के स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट–11

श्री मिश्री लाल यादव, माननीय सदस्य बिहार सभा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"पटना जिला के दनियाँवा प्रखंड मुख्यालय में आई0टी0 सहायक के पद पर श्री अरविन्द कुमार यादव कार्यरत हैं। उन्हें दिनांक 27 जुलाई, 2021 को अपराधियों ने गोली मार दिया है। थाना दनियाँवा की पुलिस निष्क्रिय है।

अतः अपराधियों की गिरफ्तारी एवं समुचित इलाज की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि श्री अरविन्द कुमार, दनियाँवा प्रखंड कार्यालय, पटना के मुख्य गेट पर पहुँचने पर पहले से घात लगाये अपराधी द्वारा गोली मारकर जख्मी किया गया । इस संबंध में दनियाँवा थाना कांड सं0–99/21, दिनांक 27 जुलाई, 2021 धारा–341/307/120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट अंतर्गत दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड धारा–341/323/307/120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 25 (1–बी)ए 26/27 आर्म्स एक्ट अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार उर्फ विनित कुमार एवं अन्य के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार उर्फ विनित कुमार माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त है।

परिशिष्ट–12

पत्र संख्या डी/एक्यू0–02/2022–398

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री विजय कुमार,
माननीय स0वि0स0
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 04.03.2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक शू0का0स0–05/2022–1317/वि0स0, दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम पत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 04 मार्च, 2022 के सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	शेखपुरा जिला के जय कुमार, पिता श्री विजय कुमार, मो0–बंगालीपर, आशीष आनन्द पिता श्री सुभाष सिंह ग्राम–डीहकुसुम्भा, दानिश खान पिता–मो0 राशिद खान चरूआवा, अंजन कुमार पिता मनोज कुमार, ग्राम–परसो बीघा सहित सभी भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी हेतु केन्द्र सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।	प्राप्त सूचना के अनुसार शेखपुरा जिला के उक्त चारों भारतीय छात्र यूक्रेन से सुरक्षित भारत अपने घर वापस आ चुके हैं ।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–13

मानननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

शून्यकाल सूचना

अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल बंगलादेश से घुसपैठ मादक पदार्थ पशु तस्करी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर रोक हेतु सीमावर्ती पूर्णियाँ के गुलाबबाग बरसौनी में एस0एस0बी0 कैम्प स्थापित करने की योजना लंबित है।

मैं सरकार से सीमांचल में राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर रोक लगाने हेतु उक्त स्थान पर एस0एस0बी0 कैम्प शीघ्र निर्माण कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

प्रासंगिक मामला भारत सरकार के प्रत्यक्षतः नियंत्राधीन गृह मंत्रालय से संबंधित है। इसमें बिहार सरकार के स्तर से किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट–14

श्री विजय कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना।

रोहतास जिला के दावत प्रखंड, के दावत बाजार में आये दिन जाम लगा रहता है। कभी–कभी जाम दिन भर लग जाता है, जिससे आमजनता को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है, सरकार दावत बाजार में ट्रैफिक पुलिस लगाकर जाम से मुक्त करावें ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला के दावत बाजार में कभी–कभी पर्व त्योहार एवं शादी–विवाह के समय जाम की समस्या उत्पन्न होती है। दावत बाजार सड़क के दोनों तरफ निजी व्यक्तियों का रिहायशी दुकान एवं मकान है। इस मार्ग से होकर नासरीगंज, बिक्रमगंज आदि स्थानों से एन0एच0–30 सड़क पर मिलता है, जिससे भोजपुर, बक्सर, डुमरॉव, मोहनियॉं आदि जगहों के लिए वाहनों का परिचालन होता है। यह मार्ग काफी व्यस्त है। इस मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से परिचालन एवं जाम की समस्या से निजात के लिए वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस मार्ग में जाम की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए दावत थाना स्तर से दो चौकीदार की स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष परिस्थिति मे जाम से निजात दिलाने हेतु थाना स्तर से पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में उक्त शून्यकाल सूचना को कार्यान्वित मानते हुए सूची से विलोपित करने की कृपा की जाए ।

परिशिष्ट–15

पत्र संख्या–डी/ए०क्यू०–10/2022–112

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री विनय कुमार,
माननीय स०वि०स०
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 17 फरवरी, 2023 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 02. मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक शू०का०स०–03/2022–960/वि०स०, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 02 मार्च, 2022 के सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र०सं०	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि युक्रेन में फंसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेहा कुमारी परैया एवं रवि रंजन कुमार चंचल गुरारू को भारत लाने की अविलम्ब व्यवस्था की जाए ।	प्राप्त सूचना के अनुसार युक्रेन संकट में फंसे हुए गया जिले की नेहा कुमारी, अंचल–परैया, दिनांक 09. मार्च, 2022 को एवं रवि रंजन कुमार चंचल, अंचल–गुरारू दिनांक 04 मार्च 2022 को गया जिला अंतर्गत अपने निवास स्थान पर वापस आ चुके हैं।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–16

श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

कांड सं0 33/2021 नया रामनगर थाना मुंगेर, भाजपा प्रवक्ता अजफर शम्सी को दिन दहारे जमालपुर कॉलेज कैम्पस में गोली मारी गयी थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शूटर को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। स्थानीय पुलिस शूटर को पकड़ने में सक्षम नहीं है।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी मो0 अनवर के लिखित आवेदन के आधार पर नया रामनगर थाना कांड सं0–24/21 दिनांक 27 जनवरी, 2021 धारा–341/323/120(बी)/326/307/506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. प्रभारी प्रिंसपल ललन प्रसाद सिंह, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर एवं 2. राजकिशोर यादव के विरुद्ध प्रो0 अजफर शम्सी को गोली मरवा देने के आरोप में दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षणोपरान्त इस कांड को धारा–341/323/120(बी)/326/307/506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के दोनों अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। पर्यवेक्षण–02 से कांड के जख्मी पीड़ित प्रोफेसर अजफर शम्सी के द्वारा दिए गए ब्यान में अभियुक्त राजकिशोर यादन का नाम नहीं लिए जाने के आधार पर तत्काल इन्हें जाँच की श्रेणी में रखा गया है। अनुसंधान के क्रम में सत्य पाए गए प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रभारी प्रिंसपल ललन प्रसाद सिंह के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–67/21 दिनांक 5 अप्रील, 2021 माननीय न्यायालय को समर्पित किया जा चुका है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–17

श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2022 के सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल

मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के डुमरी ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा मे दिनांक 26 फरवरी, 2022 को रहिका थाना पुलिस प्रशासन द्वारा पंडाल में जाकर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया है। इसकी जाँच करवाकर दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई किया जाय ।

सरकार का वक्तव्य

विषयाकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला में रहिका प्रखण्ड के डुमरी ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा में दिनांक 26 फरवरी, 2022 को रहिका थाना पुलिस प्रशासन द्वारा पंडाल में जाकर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया जाने की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। रहिका थाना पुलिस प्रशासन द्वारा पंडाल में जाकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाये जाने के संबंध में कोई सूचना थाना को प्राप्त नहीं है और रहिका थाना अभिलेख में इस प्रकार का कोई सूचना दर्ज नहीं है।

परिशिष्ट–18

सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में श्री भूदेव चौधरी, मा0स0वि0स0 के द्वारा प्रस्तुत एवं दिनांक 24 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना ।

शून्यकाल सूचना

"बांका जिला में वर्ष 2011 में गृह रक्षकों की बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर कुल रिक्ति 282 सीटों पर मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की जनहित में अविलंब नियुक्त करने की मांग सरकार से करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

बांका जिला इकाई में विज्ञापन सं0–02/2011 के आलोक में कुल 162 नव नामांकित गृह रक्षक के रूप में चयनित हुए हैं, जिनका बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक 4 मई, 2022 से प्रारंभ है।

परिशिष्ट–19

श्री ऋषि कुमार, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना।

गया जिलान्तर्गत कोच थाना कांड संख्या–110/21 घटित घटना का करीब एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, की गिरफ्तारी की जाए ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी रामप्रवेश सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर वादी की पुत्री पुनम कुमारी का दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब कर देने के आरोप में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. रंजीत कुमार उर्फ पप्पु कुमार, 2. डॉ0 सोहन कुमार सुमन, 3. पूजा कुमारी, 4. मथुरा यादव एवं 5. मृतिका की सास के विरूद्ध गोह थाना कांड सं0–85/21, दिनांक 2 मई, 2021, धारा–304 (बी)/201/34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में मृतिका की मृत्यु की जाँच के संबंध में ज्ञात हुआ कि मृतिका के शरीर में 42 प्रतिशत आक्सीजन रहने एवं कोविड–2019 संदिग्ध रहने के कारण मृत्यु हुई है। मृतिका को दहेज हेतु प्रताड़ित करने एवं उसकी हत्या के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मृतिका की मृत्यु कोरोना से होने के कारण सरकारी दिशा–निर्देशों के तहत परिजनों द्वारा मृतिका को शव का दाह संस्कार देवहरा घाट पर किया गया है।

इस कांड में अंतिम प्रतिवेदन संख्या 255/21, दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 साक्ष्य की कमी समर्पित किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट–20

पत्र संख्या–डी/ए0क्यू0–12/2022–378

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री पवन कुमार जायसवाल,
माननीय स0वि0स0
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 05 जून, 2023 (ई0)।

विषय— बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक शू0का0स0–01/2022–744/वि0स0, दिनांक 07 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 28 फरवरी, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत है–

क्र0स0	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	रूस एवं युक्रेन युद्ध के कारण ढाका प्रखंड के कुण्डवा चैनपुर का लक्ष्मण कुमार एवं हनुमान नगर का सुलभ कुमार सहित चम्पारण एवं राज्य के सैकड़ों छात्र फँसे हुए है। राज्य सरकार बिहार के छात्रों/परिजनों से संपर्क स्थापित करने एवं घर वापसी हेतु विदेश मंत्रालय से सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य के अनुभवी पदाधिकारी को अधिकृत करें ।	प्राप्त सूचना के अनुसार रूस एवं यूक्रेन युद्ध के कारण ढाका प्रखण्ड के लक्ष्मण कुमार के पिता द्वारा बताया गया कि लक्ष्मण कुमार घर सुरक्षित पहुँच गये । 2 सुलभ कुमार, पिता अनीश कुमार ग्राम हनुमान नगर के पिता पिता द्वारा बताया गया कि अनीश कुमार 04 मई, 2022 को सुरक्षित पटना आ गया है तथा वर्तमान में उनके साथ रहता है। रूस एवं यूक्रेन युद्ध के दौरान युक्रेन में फंसे पूर्वी चम्पारण जिले के 94 छात्रों में से 91 छात्र वापस आ गये थे तीन अन्य छात्र (1) मो0 अब्दुल्लाह, ग्राम–खैरवा, अंचल–छौड़ादानों के पिता मो0 अमानुल्लाह द्वारा बताया गया गया कि मो0 अब्दुल्लाह सकुशल घर वापस लौट कर आ गये। (2) अफताब आलम, सा0–चटिया, थाना–मलाही अंचल अरेराज के पिता अकबर अली द्वारा बताया गया कि यूक्रेन से वापस पैत्रिक निवास स्थान पर आ गये । (3) अमित कुमार, प्रखण्ड मोतिहारी के पिता अनिल कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि अप्रैल, 2022 में ही वापस आ गये ।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–21

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी में कॉलेज प्रशासन के लापरवाही के कारण दिनांक 02 मार्च, 2022 को छात्र अभिषेक रंजन की मृत्यु हो गई। मृतक छात्र के भाई पीयुष रंजन द्वारा छतौनी थाना कांड संख्या 188/2022 दर्ज कराया गया है।

मैं सरकार से कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने तथा मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा देने एवं निर्दोष छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दिनांक 2 मार्च, 2022 को बाईपास टर्निंग के पास इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन का छात्रों से भरा गौरव ट्रेवल्स बस अनियंत्रित हो गया जिससे इंजीनियरिंग छात्र अभिषेक रंजन बस के नीचे गिर गया तथा चक्का के नीचे आ गया जिसके कारण बुरी तरह जख्मी हो गया और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक इंजीनियरिंग छात्र अभिषेक रंजन के भाई पीयूष रंजन के लिखित आवेदन पर छतौनी थाना कांड संख्या–118/22 दिनांक 02 मार्च, 2022 धारा–279/304 (ए) भा०द०वि० विरुद्ध गाड़ी नं0–BR-05P-7293 के चालक के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

मृतक इंजीनियरिंग छात्र अभिषेक रंजन का वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण आक्रोशित अज्ञात छात्रों द्वारा कॉलेज के कर्मियों/पदाधिकारियों को गाली देते हुए मुख्य भवन के तरफ दौड़ने एवं मुख्य भवन गेट पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं ए०सी०डी० एवं अन्य सामान को तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर देने के आरोप में प्राचार्य अभियन्त्रण महाविद्यालय मोतिहारी जिला पूर्वी चम्पारण के आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 156/2022 दिनांक 06 मार्च, 2022 धारा–147/149/353/427/504 भा०द०वि० एवं Public Property of Damage Act 1985 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज है। अनुसंधान अन्तर्गत है जिसमें साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार को दस लाख मुआवजा देना पुलिस संगठन के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

परिशिष्ट–22

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के लालबेगिया निवासी–सह–शिक्षक रामविनय सहनी की निर्मम हत्या दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा कर दी गई है।

मैं राज्य सरकार से अपराधियों की गिरफ्तारी निष्पक्ष, जाँच तथा पीड़ित परिजनों को सुरक्षा एवं 20 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी बिपिन बिहार सहनी के लिखित आवेदन के आधार पर चिरैया थाना कांड सं0–153/22, दिनांक 25 मार्च, 2022, धारा–302/120(बी) भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. देवलाल सहनी, 2. हरीफ सहनी, 3. जयलाल सहनी, 4. सुजीत कुमार, 5. रामबहादुर सहनी, 6. बालेश्वर सहनी एवं 10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वादी के भाई रामविनय प्रसाद को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में आये तथ्यों से उक्त कांड प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद 06 अभियुक्तों एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 1. हरेन्द्र सहनी, 2. अजीन आनन्द उर्फ बिट्टु, 3. अमन कुमार, 4. छोटु सिंह, 5. राधेश्याम तिवारी, 6. संतोष तिवारी, 7. साहेब गिरी, 8. विनोद सहनी, 9. राजू सिंह, 10. रंजीत सहनी, 11. ब्यास राय एवं 12. गौरी सहनी के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त 1. हरेन्द्र सहनी को दिनांक 07 अप्रील, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घोड़ासहन थाना कांड सं0–555/21 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त अजीत आनन्द उर्फ बिट्टु एवं पिपरा थाना कांड सं0–171/22 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त 1. साहेब गिरी, 2. राधेश्याम तिवारी, 3. संतोष तिवारी एवं चिरैया थाना कांड सं0–256/22 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त 4. बालेश्वर सहनी को इस कांड में दिनांक 22 जून, 2022 को रिमाण्ड किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है। पीड़ित परिजनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना के द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की आपराधिक घटना में मृतक के आश्रित परिवार को मुआवजा अनुमान्य नहीं है ।

परिशिष्ट–23

सं0–2/वि0स0–10–68/2022–गृ0आ0–10809

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 1738, दिनांक 20 अप्रील, 2022।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 1315, दिनांक 28 जुलाई, 2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार डिबनी घाट पलनवा थाना से मात्र 05 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। आवागमन के लिए पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध है। पलनवा थाना से डिबनी घाट पहुँचने में 10 मिनट समय लगता है। वर्ष 2017 से अबतक आपराधिक घटनाओं में वर्ष 2018 में लूट की 01 वर्ष एवं 2021 से अबतक हत्या की 02 घटना प्रतिवेदित हुई है। डिबनी घाट क्षेत्र में पलनवा थाना स्तर से ही विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की कार्रवाई की जाती है तथा विधि–व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में उक्त स्थल पर ओ0पी0 खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतएव शून्यकाल सूचना को विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–24

श्री रणविजय साहु, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना

समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड को स्थापित हुए 67 वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण अगलगी की घटनाओं में फसल, झोपड़ी एवं जानमाल को काफी क्षति हो जाती है।

जनहित में मोरवा प्रखण्ड में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 2236, दिनांक 18 जून, 2022 द्वारा उल्लेखित किया गया है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के अन्तर्गत वर्ष 2020 में 05, वर्ष 2021 में 02 एवं वर्ष 2022 में अबतक 03 अगलगी की घटना हुई है। समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड में अग्निशमन केन्द्र नहीं है। बिहार अग्निशमन सेवा के कुल 120 अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत है।, जिसमें अनुमंडल स्तर तक ही अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है। राज्य में कहीं भी प्रखंड/थाना स्तर पर अग्निशमन केन्द्र नहीं है। समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के सरायरंजन थाना में प्रतिनियुक्त मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन से अग्निशमन का कार्य किया जाता है। इसके साथ–साथ आवश्यकतानुसार ताजपुर थाना में प्रतिनियुक्त मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन से भी अग्निशामक का कार्य किया जाता है। मोरवा प्रखंड के सरायरंजन थाना की दूरी लगभग 05 कि0मी0 है एवं ताजपुर थाना से मोरवा प्रखंड की दूरी 08 कि0मी0 है। विशेष परिस्थिति में अग्निशामालय, समस्तीपुर में उपलब्ध बड़ी अग्निशमन वाहन से अग्निशमन का कार्य किया जाता है। अग्निशामालय, समस्तीपुर से मोरवा प्रखंड की दूरी लगभग 18 कि0मी0 है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2016 के अवसर पर किए गए घोषणा के आलोक में राज्य के प्रत्येक थानों में एक–एक अद्द बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराया जाना है। पूर्व से राज्य के 439 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहनों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थानों में अग्नि प्रवण प्राथमिकता के अनुसार बड़ी अग्निशामक वाहन चरणवार उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

परिशिष्ट–25

श्री रण विजय साहु, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

मधुबनी जिला के मधवापुर थाना निवासी वासुकी बिहारी उत्तरी के मुखिया श्री विजय कुमार साह को दिनांक 11 मार्च, 2022 को अपराधियों ने गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिसका मधवापुर थाना कांड संख्या–36/22 है।

पीड़ित मुखिया जी को सुरक्षा एवं घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी विजय कुमार साह के लिखित आवेदन के आधार पर मधवापुर थाना कांड सं०–36/22, दिनांक 14 मार्च, 2022, धारा–341/307/120 (बी)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. लक्षण देव मंडल, 2. राम कुमार मंडल, 3. दयावान मंडल, 4. नशीब झा, 5. रामबाबू सिंह उर्फ रामु, 6. चन्दन साह एवं अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. लक्षण देव मंडल, 2. राम कुमार मंडल, 3. दयावान मंडल, 4. नशीब झा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्राथमिकी अभियुक्त राम बाबू सिंह उर्फ रामु के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है। घटना के उपरान्त सुरक्षा हेतु ग्राम–बिहारी में चौकीदार का पहरा लगातार जारी है एवं सतत् रात्रि संध्या, दिवा गश्ती के द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

परिशिष्ट–26

सं0–2/वि0स0–50–68/2021–गृ0आ0–11040

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री रणविजय साहू, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्रांक 1899, दिनांक 11 मई, 2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री रणविजय साहू, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि गया जिलान्तर्गत परैया थाना कांड सं0–79/22 दिनांक 22 मार्च, 2022 की धारा–302/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादी राकेश कुमार के फर्दब्यान के आधार पर वादी के पिता शिवभजन साव की हत्या लाठी–डंडा व ईंट–पत्थर से मारपीट कर जख्मी करने तथा इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के आरोप में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. विजय यादव 2. विनोद यादव 3. शिवशंकर यादव 4. लालबाबू यादव 5. अमर यादव एवं 5–10 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में आये तथ्यों से यह कांड प्राथमिकी के नामजद सभी अभियुक्तों एवं 5–10 अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया ।

अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियक्त 1. विनोद यादव 2. शिवशंकर यादव 3 लालबाबू यादव 4. अमर यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं प्राथमिकी अभियक्त 5.विजय यादव के फिरार रहने के कारण कुर्की जप्ती की कार्यवाही की गई है। इन सभी अभियक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–110/22 दिनांक 21 जून, 2022 माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।

वर्णित परिस्थिति में उक्त शून्यकाल की सूचना को निष्पादित कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

परिशिष्ट–27

श्री राणा रणधीर, स०वि०स० द्वारा प्राप्त शून्यकाल का प्रश्नोतर

प्रश्न—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में पकड़ीदयाल थाना अन्तर्गत शेखपुरवा बाजार पर पुलिस ओ०पी० निर्माण की मांग करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री—शेखपुरवा बाजार से पैतृक पकड़ीदयाल थाना की दूरी 09 कि०मी० तथा निकटतम पताही थाना की दूरी 04 कि०मी० है। आवागमन हेतु पक्की सड़क उपलब्ध है तथा परिवहन के लिए साधन बस, जीप, टेम्पु एवं दो पहिया वाहन है। शेखपुरवा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराधिक ऑकड़ों के अवलोकन से जघन्य अपराध (लूट, हत्या, डकैती एवं अपहरण) के संदर्भ में मात्र 01 लूट की घटना घटित हुई है। निकटतम पकड़ीदयाल एवं पताही थाना के द्वारा ही अपराध एवं विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है।

उक्त तथ्यों के आधार पर पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में पकड़ीदयाल थानान्तर्गत शेखपुरवा बाजार में पुलिस ओ० पी० खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–28

श्री रामरतन सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना सं0–18/2022 के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा विधान सभा में तेघड़ा के पकठौल पंचायत में थाना नं0–404, मौजे तुलसीपुर में स्थित कब्रिस्तान का घेराबंदी (गेट सहित) कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा के पकठौल पंचायत में मौजा–तुलसीपुर, थाना नं0–404, खाता नं0–12, खेसरा नं0–2, 5, रकवा–1–4–10 एवं 1–18–13 में स्थित कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

परिशिष्ट–29

सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में श्री रामबली सिंह यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा प्रस्तुत एवं दिनांक 08 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

सूचना

होमगार्ड की बहाली के लिए वर्ष 2011 में आवेदन लिए गए थे, कई जिलों में बहाली सम्पन्न करा ली गई, लेकिन कई जिलों में आज तक बहाली नहीं हुई। आवेदकों को बहाल करने की मांग करता हूँ।

उत्तर

गृह रक्षकों की बहाली हेतु वर्ष 2011 में विज्ञापन सं0–02/2011 प्रकाशित किया गया था। इसके अंतर्गत जिलावार बहाली की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:–

• दरभंगा, छपरा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, शिवहर, भभुआ, सीवान, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सुपौल, औरंगाबाद, बांका एवं पूर्णियाँ जिले में स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

• नवगछिया, पटना, अरवल, समस्तीपुर और भागलपुर जिले में बहाली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

• वैशाली, मुंगेर, जमुई, भोजपुर, गया, नवादा, जहानाबाद, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया में बहाली का कार्य पूरा करने हेतु निदेशित किया गया है।

परिशिष्ट–30

श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

नालंदा जिला, हिलसा प्रखंड अंतर्गत नदहा निवासी बिरेश चन्द्रवंशी की हत्या 18 मार्च को कर दी गई । उल्टा गरीबों पर ही पुलिस द्वारा मुकदमा और दमन किया गया, जिसका शिकार तीन साल तक के बच्चों को भी बनाया गया है। उच्चस्तरीय जांच एवं एस०पी० की निलंबन की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी खुशबू देवी के लिखित आवेदन के आधार पर नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा थाना कांड सं0–195/22, दिनांक 18 मार्च, 2022 धारा–147/148/149/341/302/120(बी)/323/504/506 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी के 06 नामजद अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पति विरेश राम को घर से साथ ले जाकर हत्या कर दिये जाने के आरोप में अंकित किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. दीपक सिंह, 2. चन्दन सिंह, 3. अमित सिंह, 4. राजीव सिंह एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 5. शंकर जमादार, 6. विधायक जमादार, 7. मंगरू जमादार, 8. उज्जवल पासवान, 9. टीपु राम उर्फ श्रवण राम, 10. साजन मांझी एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य मानकर अनुसंधान करना श्रेयस्कर प्रतीत होना पाया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त 1. शंभू सिंह एवं 2. पंकज सिंह के घटनास्थल पर उपस्थित रहने की बात की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में इन दोनों के अभियुक्तिकरण पर अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने के पूर्व और गहराई से अनुसंधान की आवश्यकता बताई गई है।

अनुसंधान के क्रम में इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. अमित सिंह उर्फ अमित शर्मा को दिनांक 21 मार्च, 2022, 2. राजीव सिंह उर्फ राजीव शर्मा, 3. चंदन सिंह उर्फ चंदन कुमार को दिनांक 26 मार्च, 2022, 4. दीपक कुमार उर्फ दीपक सिंह को दिनांक 28 मार्च, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त 5. शंकर जमादार उर्फ गुलिया को दिनांक 24 मार्च, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है। अनुसंधान पूर्ण होने की स्थिति में इन अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र संख्या–358/22, दिनांक 31 मई, 2022 समर्पित किया जा चुका है। अप्राथमिकी अभियुक्त 1. साजन मांझी को दिनांक 14 जून, 2022, 2. विधायक जमादार उर्फ बिन्द, 3. मंगरू जमादार उर्फ मंगरू बिन्द उर्फ छोटू बिन्द उर्फ राजेश बिन्द को दिनांक 20 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त 4. टीपु राम उर्फ श्रवण राम को हिलसा थाना कांड सं0–196/22 से इस कांड में रिमांड किया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने की स्थिति में इन अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र सं0–681/22, दिनांक 08 सितम्बर, 2022 समर्पित किया गया है। अप्राथमिकी अभियुक्त उज्जवल पासवान के विरुद्ध इश्तेहार प्राप्त हुआ है, जिसे विधिवत् तामिला किया गया है। कांड अनुसंधानन्तर्गत है।

परिशिष्ट–31

श्री रामविलास कामत, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

दरभंगा जिला के दरभंगा विश्वविद्यालय थाना में अवर–निरीक्षक के पद पर पदस्थापित लक्ष्मी कुमारी, पिता–त्रिलोक प्रसाद साह, वार्ड नं0–11, सुपौल निवासी का निधन संदिग्ध अवस्था में दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 को हो गया, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या–402/21, दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 दर्ज है, उक्त महिला पुलिस पदाधिकारी के संदिग्ध मौत का उच्चस्तरीय जाँच की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री त्रिलोकी प्रसाद साह के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित प्र0पु0अ0नि0, लक्ष्मी कुमारी (वादी की पुत्री) की हत्या कर दिए जाने के आरोप में विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–402/21, दिनांक 12 नवम्बर, 2021, धारा–302/201/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–02 से यह कांड प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत होना बताया गया है। इसकी सम्पूर्ण पुष्टि हेतु जप्त प्रदर्श का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए वादी द्वारा हत्या की आशंका के मद्देनजर कतिपय बिन्दुओं पर गहराई से जाँच/अनुसंधान करने की आवश्यकता प्रतीत होना पाया गया है। इस कांड की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–32

श्री रामवृक्ष सदा, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना।

नालंदा जिला के हिलसा अंतर्गत शराब कांड संख्या–608/18 जिसमें शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, पुलिस ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज किया था। मुख्य अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रहा है प्रशासन के सहयोग से अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है।

अतः अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी का उच्च स्तरीय जाँच करने की माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी पुलिस अवर–निरीक्षक, अशोक कुमार, हिलसा थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. दिलीप प्रसाद, 2. विनोद प्रसाद, 3. अजय उर्फ अर्जुन प्रसाद, 4. अनुज प्रसाद, 5. नितीश कुमार, 6. टुनटुन उर्फ शशि, 7. उपेन्द्र प्रसाद एवं अन्य दो अज्ञात के विरुद्ध अवैध शराब को छिपा कर रखने एवं कारोबार करने के आरोप में हिलसा थाना कांड सं0–608/18 दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षण के क्रम में इस कांड को धारा–420/272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30 (ए)/38/41 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद 07 एवं अन्य 02 अज्ञात के विरुद्ध सत्य एवं आरोप–पत्र का साक्ष्य होना पाया गया है।

अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. अनुज प्रसाद के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–789/18, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018, 2. नितीश कुमार के विरुद्ध पूरक आरोप–पत्र सं0–52/19, दिनांक 8 फरवरी, 2019, 3. दिलीप कुमार उर्फ दिलीप नारायण सिंह के विरुद्ध पूरक आरोप–पत्र सं0–218/19, दिनांक 31 मई, 2019 समर्पित किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त उपेन्द्र प्रसाद एवं 5. विनोद प्रसाद दिनांक 21 अगस्त, 2019 तथा 6. शशि रंजन कुमार उर्फ टुनटुन दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त है। प्राथमिकी अभियुक्त 7. अजय उर्फ अर्जुन प्रसाद को दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को बेऊर जेल, पटना से इस कांड में रिमांड किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कांड के कोई भी अभियुक्त खूलेआम नहीं घुम रहे हैं। इस कांड में सत्य पाए गए सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधि–सम्मत कर्रवाई की जा चुकी है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–33

श्री राजकुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से दिनांक 07 मार्च, 2022 को प्राप्त शून्यकाल सूचना।

बेगूसराय जिले के पूर्व सैनिकों को अपने नियमित विभागीय कार्य हेतु मुंगेर जाना पड़ता है जिसमें उनका ऊर्जा एवं समय नष्ट होता है पूर्व सैनिकों के लिए यह असुविधाजनक है।

अतः बेगूसराय मुख्यालय में सैनिक कल्याण केंद्र की एक इकाई खोलने की मांग सरकार से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि सैनिक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत–पटना, भोजपुर, छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, गया, बक्सर, सिवान एवं वैशाली जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित एवं कार्यरत है। इन कार्यालयों द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों का कार्य सम्पादित किया जाता है।

बेगूसराय जिले का कार्य मुंगेर जिला में स्थापित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक 27(I)/XIII-N/KSB/1280-81 दिनांक, 05 अगस्त, 1981 के अनुसार नया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तथा कार्यरत सैनिकों/शहीद सैनिकों के आश्रित की संख्या 7500 या इससे अधिक होना चाहिए। बेगूसराय जिलें में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की संख्या 6115 है जिसमें भूतपूर्व सैनिक 1408, विधवाओं 161 तथा उनके आश्रितों की संख्या–4546 यानि कुल 6115 (छः हजार एक सौ पंद्रह) है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के उपरोक्त मार्गदर्शन के आलोक में जिला बेगूसराय में नया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–34

श्री राजवंशी महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारी दोनों आपसी रिश्तेदार होने से आमजनता को न्याय नहीं मिलता है, अतः आमजनों के न्याय के निमित्त दोनों का स्थानांतरण जनहित में अविलंब करने की मांग करता हूँ ।

उत्तर

पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बेगूसराय जिला के मंझौल अनु0पु0पदा0 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं मंझौल थाना/ओ0पी0 प्रभारी पु0अ0नि0 श्री अजीत कुमार के आपसी रिश्तेदार होने से संबंधित बात प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकारात्मक नहीं है।

आमजनों के न्याय नहीं मिलने संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

परिशिष्ट—35

श्री राजवंशी महतो, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

बेगूसराय जिला के बछवाड़ा बाजार में 7 जनवरी, 2022 के रात्रि में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में भीषण डकैती हुई, जो बछवाड़ा थाना कांड संख्या–06/2022 दर्ज है, दो महीना बीत जाने के बाद भी उक्त घटना का उद्भेदन नहीं हुआ, नहीं सामान की बरामदगी हुई ।

अतः उक्त घटना का उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए संलिप्त दोषी पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा थाना अन्तर्गत राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में भीषण डकैती होने के संबंध में वादी श्री श्याम प्रसाद दास के फर्दब्यान के आधार पर बछवाड़ा थाना कांड सं0–06/22, दिनांक 08 जनवरी, 2022 धारा–395/397 भा0द0वि0 अंकित किया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरान्त उक्त कांड में प्राथमिकी की मूल धाराओं के अन्तर्गत अंतिम प्रतिवेदन सं0–189/22, दिनांक 10 सितम्बर, 2022 सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है। कांड का अनुसंधान समाप्त है।

परिशिष्ट–36

श्री राजेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना, आकाशी बिजली या सर्पदंश से मृत परिवारों को पाँच लाख रुपया आपदा आकस्मिक अनुदान राशि देने का प्रावधान है। अतः उसी प्रकार से जघन्य हत्या एवं जान से मार दिये जाने के मामले में भी वर्णित अनुदान देने की माँग सरकार से करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–8960, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 द्वारा आतंकवादी / उग्रवादी / साम्प्रदायिक / जातीय हमलों / निर्वाचन संबंधी / सामूहिक हत्या एवं हिंसा / उग्र भीड़ द्वारा निर्दोष की पिटाई की घटना / बिहार सरकार के किसी कार्यालय परिसर / पुलिस हाजत / सिविल कोर्ट इत्यादि में हुई हिंसक घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह–अनुदान देने का प्रावधान है।

वहीं संकल्प की कंडिका–4(ग) के अनुसार दहेज / आपसी भूमि–विवाद / पारिवारिक विवाद मे मृत व्यक्तियों के आश्रित को अथवा घायलों को अनुग्रह–अनुदान अनुमान्य नहीं है।

जघन्य हत्या एवं जान से मार दिए जाने के मामलें में अनुदान देने का तत्काल सरकार का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट–37

श्री राजेश कुमार गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत गौरक्षणी मुहल्ला में शुभम कुमार पिता–सिव पाल उम्र–06 वर्ष का अपहरण दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को हुआ और 28 दिसम्बर, 2021 को उनकी हत्या कर दिया गया पर आजतक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई न मुआवजा ही मिला, सरकार हत्यारों को गिरफ्तार का मुआवजा दिलावें ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी शिव पाल, पिता–श्री भगवान राम, मोहल्ला–गौरक्षणी मजराढ़, वार्ड नं0–04, थाना–सासाराम नगर, जिला–रोहतास के लिखित आवेदन के आधार पर इनके पुत्र शुभम कुमार को अज्ञात के द्वारा कहीं ले कर चले जाने/गुमशुदा हो जाने के आरोप में सासाराम नगर थाना कांड सं0–1043/21 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021, धारा–363 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा–363/302 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

मृतक शुभम कुमार (उम्र 06 वर्ष) का विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना से प्राप्त भेसरा जांच प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण "Aluminium Phosphide commercially known as CELPHOS is a sever gastero intestinal irritant. It is used as grain preservative and is highly poisonous" बताया गया है. तत्पश्चात इस कांड को धारा 363/328/302 भा0द0वि0 अंतर्गत सत्य पाया गया है।

उक्त शीर्ष अंतर्गत कांडों में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, इस कारण मुआवजा प्रस्ताव के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है ।

कांड के उद्भेदन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ–साथ मानवीय श्रोतों एवं अन्य तरीकों से अनुसंधान की जा रही है, परन्तु कोई स्पष्ट साक्ष्य किसी के विरुद्ध अभी तक प्राप्त नहीं है कि मृतक को जहर किसके द्वारा दी गई। अनुसंधानकर्ता को पूर्व में दिये गये निदेश के अतिरिक्त कुछ अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान हेतु निर्देशित किया गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–38

श्री मो0 शमीम अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड के चैनपुर थाना अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, खड़ुआ से सहायक शिक्षक श्री राम विनय सहनी को अपराधियों से दिनांक 25 मार्च, 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी।

मैं राज्य सरकार से आश्रित परिवार को पचास लाख रुपये देने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी बिपिन सहनी के लिखित आवेदन के आधार पर चिरैया थाना कांड सं0–153/22, दिनांक 25 मार्च, 2022, धारा–302/120(बी) भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. देवलाल सहनी, 2. हरीफ सहनी, 3. जयलाल सहनी, 4. सुजीत कुमार, 5. रामबहादुर सहनी, 6. बालेश्वर सहनी एवं 10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वादी के भाई रामविनय प्रसाद को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में आये तथ्यों से उक्त कांड प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद 06 अभियुक्तों एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 1. हरेन्द्र सहनी, 2. अजीत आनन्द उर्फ बिट्टु, 3. अमन कुमार, 4. छोटु सिंह, 5. राधेश्याम तिवारी, 6. संतोष तिवारी, 7. साहेब गिरी, 8. विनोद सहनी, 9. राजू सिंह, 10. रंजीत सहनी, 11. ब्यास राय एवं 12. गौरी सहनी के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त 1. हरेन्द्र सहनी को दिनांक 07 अप्रील, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घोडासहन थाना कांड सं0–555/21 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त अजीत आनन्द उर्फ बिट्टू एवं पिपरा थाना कांड सं0–171/22 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त 1. साहेब गिरी, 2. राधेश्याम तिवारी, 3. संतोष तिवारी एवं चिरैया थाना कांड सं0–256/22 में न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभियुक्त 4. बालेश्वर सहनी को इस कांड में दिनांक 22 जून, 2022 को रिमाण्ड किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की आपराधिक घटना में मृतक के आश्रित परिवार को मुआवजा अनुमान्य नही है।

परिशिष्ट–39

संख्या–डी / ए0क्यू0–08 / 2022–397

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री संतोष कुमार मिश्र,
माननीय स0वि0स0
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2023 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 03 मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–शू0का0स0–04 / 2022–1152 / वि0स0, दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 03 मार्च, 2022 के सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	रोहतास जिलान्तर्गत करगहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी–सह–दवा व्यवसायी श्री उमाशंकर शर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार शर्मा यूक्रेन के खारकीव शहर में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई कर रहे हैं, तथा अभी युद्ध की स्थिति में वहीं के किसी बंकर में शरण लिये हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उचित माध्यम से संपर्क कर उनके सकुशल वापसी को सुनिश्चित करें ।	प्राप्त सूचना के अनुसार अभिषेक कुमार शर्मा पिता उमाशंकर शर्मा, पता–ग्राम+पोस्ट–करगहर, सेमरी मोड़ अंचल करगहर, जिला रोहतास दिनांक 05 मार्च, 2022 को अपने निवास स्थान पर सकुशल पहुँच चुके हैं।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये।

विश्वासभाजन,
गिरिशि मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट–40

श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

30 मार्च को दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत बलभद्रपुर निवासी जटाशंकर चौधरी एवं पटना सिटी चौक थानान्तर्गत प्रमोद बागला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी एवं स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है वादी श्री शंभूनाथ चौधरी के लिखित आवेदन के आधार पर 30 मार्च को बहादुरपुर थाना के बलभद्रपुर निवासी जटाशंकर चौधरी को अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में बहादुरपुर थाना कांड सं0–129/22 दिनांक 30 मार्च, 2022 धारा–394/302 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में इस कांड को धारा–394/397/302 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अज्ञात अपराधकर्मियों का पता का शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर दरभंगा के नेतृत्व में एक विशेष टीम कर गठन कर सघन छापामारी की जा रही है। कांड के उद्भेदन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

वादी श्री विकास अग्रवाल उर्फ छोटू के फर्दब्यान के आधार पर चौक थाना कांड सं0–149/22, दिनांक 30 मार्च, 2022 धारा–386/302/201/120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. रोहित कुमार उर्फ गोलू, 2. रंजीत कुमार उर्फ बेलछी एवं अन्य 02 अज्ञात द्वारा पटना सिटी चौक थानान्तर्गत्त व्यवसायी प्रमोद कुमार बागला से रंगदारी मांगने उसका विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. रोहित कुमार उर्फ गोलू एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 1. मोनू पटेल, 2. धीरज कुमार, 3. राकेश कुमार, 4. रतन यादव, 5. विक्की कुमार, 6. कुन्दर कुमार उर्फ चिंटु, 7. अजित कुमार, 8. सोनू पटेल, 9. प्रिंस कुमार, 10. मनीष कुमार, 11. आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध अग्नेयास्त्र गोली, मादक पदार्थ गांजा एवं स्मैक बरामद/जप्त किया गया है। इस संबंध में चौक थाना कांड सं0–157/22, दिनांक 6 अप्रील, 2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 8/20(b)(ii)(b) एन0डी0पी0एस0 एवं चौक थाना कांड सं0–167/22, दिनांक 19 अप्रील, 2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 8(c)/21(b) एन0डी0पी0एस0 अलग से दर्ज किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–41

सं0–2/वि0स0–10–85/2021–गृ0आ0–9909

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य मे यातायात नियत्रण एवं सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से मधुबनी जिला सहित बिहार के अन्य जिलों में यातायात थाना का सृजन करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री महोदय की सैद्धांतिक सहमति के पश्चात् संलेख प्रारूप सहित संचिका प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

अतएव अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

परिशिष्ट–42

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

दिनांक 25 फरवरी, 2022 को मधुबनी जिला मुख्यालय में बस स्टैंड के पास रिश्तेदार के साथ जा रही युवती को रिक्शा से उतारकर पांच व्यक्तियों द्वारा गैंग रेप किया गया। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

शेष एक अपराधी की गिरफ्तारी एवं विधि–व्यवस्था दुरूस्त करने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है मधुबनी जिलान्तर्गत नगर थाना कांड सं0–77/22 दिनांक 26 फरवरी, 2022 अंकित करते हुए कुल चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा अनुसंधानोपरान्त चारों के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–83/22 दिनांक 30 अप्रील, 2022 को अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी रखते हुए समर्पित किया गया है। कांड में फरार नामजद अभियुक्त जितेन्द्र यादव, जिला–मधुबनी के विरुद्ध कुर्की अधिपत्र निर्गत करने हेतु दिनांक 30 अगस्त, 2022 को माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। FSL जाँच रिपोर्ट अप्राप्त है। कांड की पीड़िता को मुआवजा हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–43

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

शून्यकाल सूचना

"राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की हत्या की घटनाएं अत्यधिक हो रही है। इनको सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदत्त नहीं है।

अतः पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य को अंगरक्षक प्रदान किये जाने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

बिहार राज्य में महानुभावों एवं अन्य व्यक्तियों की अंगरक्षक प्रदान करने के संबंध में अद्यतन निर्देश गृह विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3663, दिनांक 02 मई, 2017 द्वारा निर्गत है। गृह विभाग के वर्णित संकल्प में (1) पदधारण के आधार पर तथा (2) Threat Assesment के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

संकल्प में पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य को पदधारण के आधार पर अंगरक्षक अनुमान्य नहीं है।

पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य द्वारा उन पर खतरा व्याप्त होने का जिक्र करते हुए सुरक्षा हेतु दिये गये आवेदनों पर गृह विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3663, दिनांक 2 मई, 2017 की कंडिका 3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जिले से Current Specific Individual Threat के संबंध में Joint Threat Assessment Report प्राप्त कर संकल्प में वर्णित प्रावधानों का अनुरूप नियमसंगत कार्रवाई की जाती है।

परिशिष्ट—44

सं0—कारा/क्रय—04—52/2022—6856

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
बिहार, पटना।

सेवा में

अवर—सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई0)।

विषय——श्री समीर कुमार महासेठ, मा0स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री का प्रेषण ।

प्रसंग——बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक—1743 दिनांक 20 अप्रील, 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त श्री समीर कुमार महासेठ, मा0स0वि0स0 द्वारा सप्तदश विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री 05 (पाँच) प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0),
सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
बिहार, पटना।

श्री समीर कुमार महासेठ, मा०स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री ।

प्रश्न

मंडल कारा, हाजीपुर सहित राज्य के सभी काराओं में निविदा मैनेज करने सहित विभिन्न प्रकार अनियमितताएँ बरती जा रही है।

अतः राज्य के काराओं में हो रही अनियमितताओं की जांच करने की मांग करता हूँ।

उत्तर

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य की सभी काराओं में निविदा की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कारा क्रय समिति द्वारा ई–निविदा के माध्यम से संपन्न की जाती है। निविदा की पूरी प्रक्रिया बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा बिहार सरकार के सरकारी विभागों हेतु विकसित e-proc वेबसाइट के माध्यम से संपन्न किया जाता है। फिर भी यदि किसी कारा की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है तो जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(3) मंडल कारा, हाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपन्न निविदा के संबंध में प्राप्त परिवाद के आलोक में अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। अधीक्षक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) से मंतव्य की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

परिशिष्ट–45

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के बैसाडिह में 23 जुलाई की रात विजय राम तथा 24 जुलाई की सुबह सावित्री देवी की बर्बर हत्या अपराधियों ने कर दी। अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा देने की मांग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी निर्मला देवी, पति–स्व0 विजय राम, ग्राम–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के फर्दब्यान के आधार पर पीरो (हसन बाजार) थाना काण्ड संख्या–254/21 दिनांक 24 जुलाई, 2021 धारा–302/307/326/34/भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. जनार्दन उपाध्याय, पे0–स्व0 कमला उपाध्याय, 2. मनीष उपाध्याय, पे0–कमलेश उपाध्याय एवं 3. करीया उपाध्याय, पे0–जनार्दन उपाध्याय सभी ग्राम–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में यह काण्ड धारा 302/307/326/34/भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. जनार्दन उपाध्याय, 2. मनीष उपाध्याय एवं 3. करीया उपाध्याय, सभी ग्राम–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के विरुद्ध सत्य पाया गया है। काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय को पीरो (हसन बाजार) थाना काण्ड सं0–255/21 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अनुसंधानकर्ता को पीरो (हसन बाजार) थाना काण्ड संख्या 255/21 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गये प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय पे0–स्व0 कमला उपाध्याय को काण्ड सं0–254/21 में रिमाण्ड कर लिया गया है। तत्पश्चात् प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय के विरुद्ध प्राथमिकी मूल धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–442/21 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 समर्पित किया गया है। काण्ड में फरार अभियुक्तों को दिनांक 22 जनवरी, 2022 को इस्तेहार प्राप्त कर तामिल कराया गया है। काण्ड अनुसंधानन्तर्गत है।

पीरो हसन बाजार थाना काण्ड संख्या–255/21 में वादी निर्मल कुमार पे0–भुआर राम, ग्राम–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के फर्दब्यान के आधार पर पीरो हसन बाजर थाना काण्ड संख्या–255/21 दिनांक 25 जुलाई, 2021 धारा–302 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r)(s)/3(2)(v)sc/st act. के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय, पे0–कमला उपाध्याय, सा0–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में यह काण्ड धारा–302 भा0द0वि0 3(1)(r)(s)/3(2) (v)sc/st Act. के अंतर्गत अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय, पे0–स्व0 कमला उपाध्याय, सा0–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के विरुद्ध सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय को गिरफ्तार कर दिनांक 26 जुलाई, 2021 को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। अंचलाधिकारी, पीरो द्वारा मृतक के आश्रित को 4,00,000/– (चार लाख) रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया।

काण्ड संख्या–255/21 का अनुसंधान पूर्ण होने की स्थिति में प्राथमिकी मूल धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय, पे0–स्व0 कमला उपाध्याय, सा0–बैसाडीह, थाना–पीरो (हसन बाजार), जिला–भोजपुर के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 382/21 दिनांक 28 सितम्बर, 2021 समर्पित किया गया है तथा कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा दिलवाने हेतु जिला अभियोजन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निदेशित किया गया है।

परिशिष्ट–46

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

बिहार के सभी थानों के थानेदारों की चल–अचल संपत्ति की जाँच की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में वर्ष 2011 से बिहार के सभी थानेदारों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपना–अपना चल–अचल संपत्ति का ब्यौरा समर्पित किया जाता है, उक्त विवरणी बिहार सरकार के वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

किसी भी थानाध्यक्ष के आय से अधिक संपत्ति का मामला संज्ञान में आने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जाँचोपरान्त नियमानुकूल विधि–सम्मत कार्रवाई की जाती है।

परिशिष्ट–47

संख्या–डी / ए०क्यू०–05 / 2022–779

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री सुदामा प्रसाद,
माननीय स०वि०स०
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 02 मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–शू०का०स०–03 / 2022–963 / वि०स०, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 02 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र०सं०	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	बेगूसराय जिला के बलिया शहर का मु० सिनियर मोदरसी वल्द नूर आलम यूक्रेन के खरकीव में में नेशनल यूरो स्पेश यूर्निवसिटी का अन्तिम समेस्टर का विद्यार्थी है। इसके सकुशल घर वापसी की मांग करता हूँ ।	प्राप्त सूचना के अनुसार सैय्यद मोदरसी,पे०–मो० नूर आलम, सा०–बड़ी बलिया जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वे लगभग 04–05 माह पूर्व ही सुरक्षित अपने घर बलिया आ चुके हैं।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–48

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0- द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2022 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

भोजपुर जिला अंतर्गत आरा मुफस्सिल थाना के बाघी पाकड़ गाँव के विरेन्द्र चन्द्रवंशी को अपराधियों ने गोली मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। आरा में जिंदगी और मौत के बीच झुल रहे घायल की सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बिरेन्द्र कहार के फर्दब्यान के आधार पर नवादा थाना कांड सं0–172/22, दिनांक 05 मार्च, 2022, धारा–326/307/34/भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध दिनांक 04 मार्च, 2022 को समय करीब 13:30 बजे अंचल कार्यालय के अंदर प्रतिनिधि भवन के पास वादी को गोली मार कर जख्मी कर देने का आरोप दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी की मूल धाराओं के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मियों को विरुद्ध सत्य पाया गया है।

अनुसंधान के क्रम में इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अतुल पाण्डेय उर्फ निखिल पाण्डेय एवं 2. केशव पाण्डेय उर्फ अनिश पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–49

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2022 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

भोजपुर जिलान्तर्गत बिहटा के ददन पासवान को अपराधियों ने गोली मार की बुरी तरह घायल कर दिया, इसलिए मैं सदन के माध्यम से तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहटा में 22 नवम्बर को ददन पासवान पर जानलेवा हमला कर घायल करने के संबंध में भोजपुर जिला के ईमादपुर थाना कांड सं0–141/21 दिनांक 23 नवम्बर, 2021 धारा–341/307/324/326/504/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(2)(va)SC/ST Act के अंतर्गत दर्ज है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में कांड का उद्भेदन करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त 1. टिंकु यादव अप्राथमिकी अभियुक्त 2. गोविन्द कुमार, 3. रौशन सिंह उर्फ छोटू सिंह, 4. विकास यादव दोनों जिला–रोहतास का ईमादपुर थाना कांड सं0–144/21 दिनांक 27 नवम्बर, 2021 धारा–394/402 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार कर दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया था, दिनांक 10 जनवरी, 2022 को इस कांड में रिमाण्ड किया गया है। बक्सर जिला इटाढ़ी थाना कांड सं0–134/21 दिनांक 11 अप्रील, 2021 धारा–25(1–बी)ए में काराधीन इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त 5. मंगरू सिंह, दिनांक 25 जनवरी, 2022 को इस कांड में रिमाण्ड किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त 6. कमलेश यादव को दिनांक 20 जून, 2022 को ईमादपुर थाना कांड सं0–144/21 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिनांक 14 जुलाई, 2022 को इस कांड में रिमाण्ड कर लिया गया है। साथ ही कांड में रिमाण्ड हेतु अनुरोध पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। साथ ही कांड में फिरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त 7. माखन यादव एवं 8. कमलेश यादव के घर विधिवत कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गई है।

प्राथमिकी अभियुक्त 1. टिंकु यादव, पे0–अम्बिका यादव, ग्राम–राजपुर एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 2. गोविन्द कुमार रौशन सिंह उर्फ छोटु सिंह 4. विकास यादव, 5. मंगरू सिंह के विरूद्ध धारा 341/307/504/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(1)(r)(s)/3(2)(va)SC/ST Act के अंतर्गत आरोप–पत्र सं0–27/22 दिनांक 28 फरवरी, 2022 समर्पित किया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त 1. माखन यादव एवं 2. विजय यादव के विरूद्ध विधिवत् कुर्की जप्ती की कार्रवाई करने के उपरांत फिरार दिखाते हुए एवं प्राथमिकी अभियुक्त 3. कमलेश यादव के विरूद्ध धारा–341/307/507/37 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(1)(r)(s)/3(2)(va)SC/ST Act के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0–87/22 दिनांक 24 अगस्त, 2022 समर्पित किया गया है। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।

उक्त कांड के पीड़ित श्री ददन पासवान को 1,00,000/– (एक लाख) रुपया की राशि मुआवजा के प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया जा चुका है। द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु ईमादपुर थाना का डी0आर0 नं0–447/22 दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है।

परिशिष्ट–50

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

गया जिला के खिजरसराय थाने के अकौनी की सुशीला देवी और उमा देवी की चाकू से गोद कर बर्बर हत्या करने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी मोही पासवान के फर्दब्यान के आधार पर वादी की पत्नी कुमन देवी, भाभी सुशीला देवी एवं चचेरा भाई शंकर पासवान के साथ गाली–गालौज करने की धमकी देते हुए कुमन देवी एवं सुशीला देवी को चाकू घोपकर तथा शंकर पासवान को डंडा से मारकर जख्मी कर दिया गया जहाँ इलाज के क्रम में कुमन देवी एवं सुशीला देवी की मृत्यु हो जाने के आरोप में नामजद 07 अभियुक्तों के विरुद्ध खिजरसराय थाना कांड सं0–108/2022, दिनांक 12 मार्च, 2022 धारा–147/148/149/341/323/302/307/504 भा0द0वि0 एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड धारा–147/148/149/341/323/302/307/504 भा0द0वि0 एवं 4/6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा जख्मी शंकर पासवान का जख्म जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर धारा में परिवर्तन संभावित है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. चिंता देवी, 2. जयमंती देवी, 3. चितरंजन पासवान, 4. राकेश पासवान एवं 5. मुकेश पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्राथमिकी अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र पासवान एवं 2. मुन्दारिक पासवान के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत करने हेतु माननीय न्यायालय में अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–51

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अब्बू महमदपुर में आंगनबाड़ी सेविका इशरत परवीन की मंगलवार रात को अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी, उनके परिजन को मुआवजा देने और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी शबनम परवीन, पे0–इसराईलउद्दीन, सा0–रोघोपुर पश्चिमी थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना के लिखित आवेदन के आधार पर बख्तियारपुर थाना कांड सं0–113/22 दिनांक 15 मार्च, 2022 धारा–302/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 अरशद, 2. मो0 अफजल, 3. रबिया खातून एवं अन्य दो व्यक्ति के विरुद्ध इशरत परवीन की हत्या के आरोप में दर्ज किया गया ।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन 02 से यह कांड धारा–302/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. रबिया खातून, पति–स्व0 मो0 इस्लाम, 2. अप्राथमिकी अभियुक्त सिट्टू, पिता–विनोद यादव एवं 3. पंकज कुमार, पिता–स्व0 दिनकर यादव तीनों साकिन–पश्चिमी राघोपुर, टोला–राघोपुर, थाना–बख्तियारपुर, जिला–पटना एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। कांड में बनाये गये प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 अरशद, 2. मो0 अफजल तथा कांड की वादिनी (शबनम परवीन) द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित प्रमोद कुमार उर्फ कैला की इस कांड में संलिप्तता एवं सहभागिता के बिन्दु पर गहराई से छानबीन के उपरांत ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर पाया गया है।

अनुसंधान के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रबिया खातुन को दिनांक 16 मार्च, 2022 को गिरफ्तार कर माननीय उच्च न्यायालय में भेजा गया एवं अप्राथमिकी अभियुक्त पंकज कुमार, पिता–स्व0 दिनकर यादव को बख्तियारपुर थाना कांड सं0–175/22 से इस कांड में रिमांड किया गया है तथा दोनों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण पाकर आरोप–पत्र संख्या 171/22 दिनांक 11 जून, 2022 समर्पित किया गया है। वर्तमान में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त सिटटू, पिता–विनोद यादव की गिरफ्तारी हेतु एवं अन्य नामजद अभियुक्तों की संलिप्तता की जांच करने तथा प्रतिवेदन 02 में दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन करने हेतु लंबित चला आ रहा है। वर्तमान में कांड अनुसंधानन्तर्गत है।

विभागीय संकल्प के आलोक में अपराधिक घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है।

परिशिष्ट–52

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2022 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

जिला मोतिहारी के हरसिद्धि के आर0टी0आई0 कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को न्याय नहीं मिलता देख उसके 14 वर्षीय पुत्र रोहित अग्रवाल ने आत्महत्या कर लिया, मै जल्द से जल्द उसे न्याय दिलवाने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आर0टी0आई0 कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बडत्रे बेटे रोहित अग्रवाल की आत्महत्या के संबंध में विपिन अग्रवाल की पत्नी मोनिका देवी द्वारा हरसिद्धि थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 24 मार्च, 2022 को समय करीब नौ बजे रात में मेरा लड़का रोहित अग्रवाल मेरे घर के सामने वाले घर के छत पर चढ़कर किसी से बात कर रहा था, किन्तु रात का अंधेरा होने के कारण मेरा लड़का का पैर छत पर से फिसल गया जिस वजह से वह नीचे बिजली के तार पर गिर गया। बिजली के तार में करंट रहने के वजह से उसे करंट लग गया और वह नीचे गिर गया, जिसका इलाज हेतु तत्काल परिजनों द्वारा मोतिहारी राहमानिया हॉस्पिटल लाया गया। जहां चिकित्सक द्वारा रोहित अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में हरसिद्धि थाना यू0डी0 कांड सं0–01/22 दिनांक 25 मार्च, 2022 दर्ज है।

परिशिष्ट–53

श्री सूर्यकांत पासवान, मा०स०वि०स० से दिनांक 28 फरवरी, 2022 को प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

मात्र 23 साल की उम्र में देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बेगूसराय निवासी शहीद लेफ्टिनेन्ट ऋषि कुमार के परिवार के किन्हीं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

यह सही है कि मात्र 23 साल की उम्र में देश की सेवा में लेफ्टिनेन्ट ऋषि कुमार शहीद हो गये। केन्द्र सरकार के शहीद कर्मी के निकटतम आश्रित को बिहार सरकार में नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। उक्त कारण से बिहार सरकार में इनके निकटतम आश्रित को नौकरी देने का प्रस्ताव नहीं है।

परन्तु केन्द्र सरकार में उनके पत्र संख्या F.No. 14014/02/2012-Estt (D) dated 16 january 2013 of Ministry of Personnel, Public Grievences and Pensions (Department of Personnel & Training) Government of India के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में शहीद लेफ्टिनेन्ट ऋषि कुमार के आश्रित से प्राप्त नौकरी के आवेदन को सैनिक कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या 165 दिनांक 27 जनवरी, 2022 द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली का विचारार्थ भेज दी गई है। उपरोक्त तथ्यों से आवेदिका को भी अवगत कराया जा चुका है।

परिशिष्ट–54

सं0 जी/वि0स0प्र0–10–15/2022–6165

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

विकास वैभव,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में

सचिव,

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011

पटना, दिनांक 17 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत शून्यकाल की सूचना के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्र सं0–2023, दिनांक 13 मई, 2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत शून्यकाल सूचना प्रेषित करते हुए प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी है। माननीय सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल की सूचना निम्नवत् है:–

"बिहार के हजारों नौजवान सेना में अपनी सेवा देते है, तीनो सेनाओं में सवा लाख के करीब पद रिक्त रहने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों से बहाली नहीं होने के कारण युवाओं में निराशा व्याप्त है, बहाली के लिए सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की माँग करता हूँ।"

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक–यथा वर्णित

विश्वासभाजन,

विकास वैभव,

सरकार के विशेष सचिव।

परिशिष्ट–55

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

शून्यकाल सूचना

बिहार के समस्तीपुर में मॉब लीचिंग, दरभंगा और समस्तीपुर में भू–माफियाओं के आतंक, वैशाली में महिला उत्पीड़न और गया बेलागंज में बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को कठपुतली बनाए जाने की घटनाओं के राजनीति संरक्षण की जांच हो ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विगत वर्ष मॉब लीचिंग का एक कांड प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें विभूतिपुर थाना कांड सं0–26/21, दिनांक 20 जनवरी, 2021, धारा–147/148/149/341/323/302 भा0द0वि0 दर्ज है। अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–02 से उक्त कांड में धारा–147/148/149/341/323/302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी नामजद 16 अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

प्रा0अभि0 1. मनोज महतो एवं 2. मुनेश्वर महतो उर्फ लाल गंगा महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा आरोप–पत्र संख्या–439/21 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 समर्पित किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त 3. राज कुमार पासवान 4. नरेश पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा पूरक आरोप पत्र संख्या–96/22 दिनांक 28 फरवरी, 2022 समर्पित किया गया है। शेष 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

दरभंगा जिलान्तर्गत मॉब लीचिंग, भू–माफियाओं के आतंक एवं बालू माफियाओं से संबंधित ऐसी कोई घटना की सूचना प्रकाश में नहीं आया है।

वैशाली जिलान्तर्गत महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस प्रशासन को कठपुतली बनाए जाने की घटनाओं के राजनीतिक संरक्षण से संबंधी कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। संज्ञान में आने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

गया जिलान्तर्गत बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में किसी प्रकार का राजनीतिक स्तर पर कोई रूकावट या दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। थाना स्तर से क्षेत्र भ्रमण एवं गश्ती के दौरान या आसूचना संकलन के पश्चात् बालू माफिया/चालक के विरुद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाती है। अवैध खनन द्वारा किये गये सामग्री/वाहन को जप्त किया जाता है, साथ ही घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है। माह जनवरी–22 से मई–2022 तक अवैध खनन एवं बालू माफिया के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की विवरणी निम्नवत है:–

क्र0	थाना का नाम।	दर्ज कांडों की संख्या।	जप्त बालू की मात्रा।	गिरफ्तार/जमानत पर मुक्त व्यक्तियों की संख्या ।	शमन की कार्रवाई
1	बेलागंज	05	445 घनफीट बालू जप्त ।	दर्ज 05 कांड में कुल 09 व्यक्ति नामजद है, जिसमें06 व्यक्ति गिरफ्तार /जमानत पर मुक्त है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	श्री विकाश कुमार पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा बेलागंज थाना कांड सं0–75/22, दिनांक 04मार्च22 श्रीपुर के बालूघाट के संवेदक विजय कुमार के विरुद्ध दर्ज कराया गया है, जिसमें 05,87,33,125/– (पाँच करोड़ सतासी लाख तैंतीस हजार एक सौ पच्चीस) मात्र का शमन किया गया है। मामला न्यायालय में लंबित है। अन्य मामलोंमें93,500/– (तिरानबे हजार पाँच सौ रुपया) शमन की राशि वसूली गई है।

परिशिष्ट–56

श्री चेतन आनन्द, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"बक्सर जिलान्तर्गत सोनवर्षा के कड़सर गाँव में 21 जुलाई, 2021 को अपराधियों द्वारा शिवनारायण सिंह की हत्या कर दी गई, पूर्व में भी इन्हीं अपराधियों द्वारा स्व0 सिंह के पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई थी। सरकार घटना की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिलान्तर्गत सोनवर्षा के कड़सर गाँव में 21 जुलाई 2021 को अपराधियों द्वारा शिवनारायण सिंह की हत्या कर दिये जाने के संबंध में वादिनी शिशम देवी के लिखित आवेदन के आधार पर नावानगर (सोनवर्षा) थाना काण्ड संख्या–270/21, दिनांक 22 जुलाई, 2021 धारा–302/120बी/भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 14 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में धारा–302/120बी/34/भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. चन्द्रभान दुबे उर्फ गोपालजी दूबे, 2. मुरारी साह, 3. अवध बिहारी दुबे, 4. ब्रहमचारी दूबे, 5. मुरारी शर्मा, 6. दिनेश रवानी एवं 7. धनंजय पाण्डेय सभी जिला बक्सर के विरुद्ध सत्य पाया गया है। शेष प्राथमिकी अभियुक्त 1. विजय शंकर दूबे, 2. गोविन्दचारी दूबे, 3. मिटू सिंह, 4. महेन्द्र यादव, 5. गोविन्द रवानी, 6. छोटन चौबे एवं 7. दिनेश यादव सभी जिला बक्सर के संलिप्तता के बिन्दु पर गहराई से जाँच के पश्चात् साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लेना श्रेयष्कर पाया गया है।

उक्त काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त दिनेश रवानी, मुरारी साह, चन्द्रभान दूबे उर्फ गोपालजी दूबे एवं धनंजय पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा मुरली शर्मा एवं अवध बिहारी दूबे माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में है। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त ब्रहमचारी दूबे उर्फ मिन्टु दूबे को नवानगर (सोनवर्षा) थाना काण्ड संख्या–201/18 से उक्त काण्ड में रिमाण्ड किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–57

श्री चन्द्रहास चौपाल, माननीय स०वि०स० का शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

गाँधी मैदान थाना कांड सं०–150/2017 के सी०आई०डी० द्वारा दिए गए निर्देश की वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा पूर्णतः आदेश का पालन/पटना पुलिस पुनर्अनुसंधान कर या सी०आई०डी० द्वारा पुनर्अनुसंधान करने का राज्य सरकार से माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री संजय कुमार टेकरीवाल के आवेदन के आधार पर गाँधी मैदान थाना कांड सं०–150/17 दिनांक 17 मार्च, 2017 धारा–387 भा०द०वि० के अंतर्गत तीन नामजद प्राथमिक अभियुक्तों के विरुद्ध केश उठाने के लिए दबाव बनाने एवं जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 से कांड सभी नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है जिनके विरुद्ध आरोप पत्र सं०–07/2018 माह जनवरी, 2018 में माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। सभी अभियुक्त माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।

परिशिष्ट–58

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के सीमावर्ती पंचायतों की दूरी अधिक रहने से विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में कठिनाई को ध्यान में रखकर एन0एच0–227 पर अवस्थित छतौनी में अस्थायी पुलिस कैम्प की तत्काल व्यवस्था करने की मांग सरकार से करता हूँ ?

उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना के पास विधि–व्यवस्था के संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु 02 पुलिस वाहन उपलब्ध है, जिससे प्रतिदिन गश्ती एवं निगरानी का कार्य किया जाता है। बासोपट्टी थानान्तर्गत पंचायत खौना, छतौनी एवं महिनाथपुर में विगत पाँच वर्षों में हत्या–04, डकैती–01, लूट–00, गृहभेदन–02 एवं चोरी–05 कांड प्रतिवेदित है। इन आँकड़ों के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि बासोपट्टी थानान्तर्गत छतौनी ग्राम में अपराधिक घटनाएँ कम घटित हुई एवं विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है। उपरोक्त तथ्य के आलोक में वर्तमान में बासोपट्टी थानान्तर्गत ग्राम छतौनी में पुलिस चौकी निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिशिष्ट–59

संख्या–8/वि0स0–10–24/2022–6235 गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

श्री अभय शंकर राय,
सरकार के अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 27 जून, 2022 (ई0)।

विषय—श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन मे प्रस्तुत शून्काल सं0–11/2022–1716/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022 के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0स0–11/2022–1716/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सं0–11/2022–1716/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022 का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक वि0मं0/41–4–317–2022/1039, दिनांक 17 जून, 2022 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है:–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि दिनांक 11 मार्च, 2022 को मो0 जहुर बैंक से रूपया निकाल कर अपने मोटरसाईकिल के लगे गार्ड में झोला रख दिये। घर जाने के क्रम में पटना गद्दी चौक पर गाड़ी को लगाकर अनुमंडल रोड में दवा खरीदने लगे। इसी बीच उनके झोला को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया । इस संबंध में मो0 जहुर के आवेदन पर जयनगर थाना कांड सं0–86/22, दिनांक 21 मार्च, 2022, धारा–379 भा0द0वि0 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है। वादी मो0 जहुर के साथ गाली–गलौज कर भगा देने की बात तथ्य विहीन है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–60

श्री अख्तरूल इमान, माननीय सदस्य बिहार सभा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

जिला समस्तीपुर, ग्राम–आधारपुर के सनोवर खातुन एवं अनवर की भीड़ द्वारा हत्या एवं सरवण राय की राह चलते हत्या कर दी गई है जो कि प्रशासनिक विफलता है।

अतः मैं सरकार से मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी एवं बच्चों के मुफ्त पढ़ाई की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आधारपुर ग्राम में घटित घटना के संबंध में प्रतिवेदित मुफस्सिल थाना कांड सं0–280/21, दिनांक 21 जून, 2021 धारा–307/302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में मृतक/मृतका के परिजनों को मुआवजा हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है–

(1) मृतक मो0 अनवर एवं सनोवर खातुन के परिजनों को प्रखण्ड स्तर से बीस–बीस हजार रुपया मुख्यमंत्री पारिवारिक योजना के तहत हस्तगत कराया गया है।

(2) मृतक मो0 अनवर की पत्नी को विधवा पेंशन प्रारंभ किया गया है।

(3) मो0 अनवर के दो पुत्र एवं मृतक सनोवर खातुन की एक संतान जो 18 वर्ष से कम उम्र की है की देखभाल हेतु प्रति माह दो हजार रुपया की दर से राशि प्राप्त करायी जा रही है (18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक)।

(4) स्व0 मो0 अनवर की पत्नी नुसरत प्रवीण एवं स्व0 सनोवर खातुन की माता नुसरत खातुन के आवेदन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ताजपुर का पत्रांक 579, दिनांक 30 जून, 2021 तद्नुसार प्रभारी उपसमाहर्ता जिला विधि प्राधिकार, समस्तीपुर का पत्रांक 2546, दिनांक 3 जुलाई, 2021 के माध्यम से भीड़ के द्वारा की गई काण्ड सं0–282/21 के वादिनी नुसरत प्रवीण के घर में की गई अगलगी से हुई क्षति से संबंधित मुआवजा प्रस्ताव सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को भेजा गया है।

(5) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ताजपुर का पत्रांक 580, दिनांक 30 जून, 2021 तद्नुसार प्रभारी उपसमाहर्ता जिला विधि प्राधिकार, समस्तीपुर का पत्रांक 2547, दिनांक 30 जुलाई, 2021 के माध्यम से मो0 अनवर एवं सनोवर खातुन की मृत्यु से संबंधित नुकसान भरपाई हेतु पत्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को भेजा गया।

(6) श्री रविशंकर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को मृतिका सनोवर खातुन की पुत्री नुसरत प्रवीण, चाहत प्रवीण, इबरत प्रवीण को एक–एक लाख रुपया एवं मृतक मो0 अनवर की पत्नी नुसरत प्रवीण को तीन लाख रुपया देने हेतु (संस्तुति) प्रेषित की गई है।

परिशिष्ट–61

श्री अखतरूल इमान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

समस्तीपुर जिला निवासी खलील रिजवी, पिता–मो0 आयूब, उम्र–35 वर्ष को कुछ असमाजिक तत्व द्वारा जिन्दा जलाकर हत्या की गई ।

अतः मैं सदन के माध्यम से पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं परिवार के सदस्य को सरकारी तथा हत्यारे को फांसी की सजा की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हुडैया ग्राम निवासी खलील आलम की हत्या से संबंधित मुसरीघरारी थाना कांड सं0–29/22, दिनांक 17 फरवरी, 2022 धारा–364/365/385 भा0द0वि0 परिवर्तित धारा–302/201/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में उक्त कांड के सभी 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सभी अभियुक्तों को विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–100/22 दिनांक 30 अप्रील, 2022 माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।

प्रखंड विकास पदाधिकरी, सरायरंजन के द्वारा परिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के परिजनों को 20,000/– (बीस हजार) रुपये मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया है।

विभागीय संकल्प के आलोक में पीड़ित परिवार को मुआवजा/नौकरी अनुमान्य नहीं है।

परिशिष्ट–62

श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना ।

सिवान जिलान्तर्गत पंचरूखी (तगाड़) एकमात्र दौड़ मैदान में थाना और छात्रावास के निर्माण होने से छात्र नौजवान के खेलने, विभिन्न सैनिक, अर्द्धसैनिक, पुलिस आदि के भर्तियों हेतु शरीरिक दक्षता की तैयारी अवरूद्ध हो जाएगी। अतएव छात्रावास एवं थाना निर्माण का स्थान परिवर्तन की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1465, दिनाक 8 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सिवान जिलान्तर्गत पंचरूखी थाना भवन निर्माण हेतु जिला समाहर्ता, सिवान द्वारा अंचल पंचरूखी, मौजा–जसौली खर्ग, थाना सं0–351, खाता सं0–91, खेसरा सं0–4308, रकवा–01 एकड़ गैर–मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि उपलब्ध कराया गया है। भूमि के हस्तांतरण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि सैरात, भूदान, भू–हदबंदी से मुक्त है। भूमि सार्वजनिक उपयोग में नही है, वृक्ष नहीं है। उक्त भूमि पर किसी का दखल–कब्जा नहीं है। इसकी जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम कायम नहीं है। उक्त भूमि पर थाना भवन निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–8312, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा रु0 6,20,99,700 (छः करोड़ बीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट–63

माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

शून्यकाल सूचना

"पूरे बिहार राज्य में विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों, पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों हेतु तैनात अंगरक्षकों को यात्रा–भत्ता देना उचित होगा ।

अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि सभी अंगरक्षकों को यात्रा–भत्ता एव ठहराव भत्ता दी जाय।"

सरकार का वक्तव्य

विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों, पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों के सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को उनके भ्रमण दैनन्दिनी के अनुसार यात्रा–भत्ता एवं ठहराव भत्ता देय है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3017, दिनांक 01 अप्रील, 2011 में अंकित है कि लगातार ठहराव के लिए अधिकतम 06 माह तक पूर्ण दर से दैनिक भत्ता देय है।

यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता एवं विराम के लिए दैनिक भत्ता का प्रावधान है। यात्रा–भत्ता नियमावली के नियम–61 निम्न प्रकार है– रेल से जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता लेने के विरुद्ध वर्तमान प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक, निम्नलिखित को छोड़कर सभी यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता ले सकता है :–

(क) छोटी यात्राऐं, जिनमें वह अपने मुख्यालय से (आठ किलोमीटर) के घेरे से परे किसी जगह नहीं गया हो, और अधिक से अधिक (सोलह किलोमीटर) की छोटी यात्राऐं, जिनका आरंभ और अन्त ऐसी जगह हो जहाँ सरकारी सेवक रात भर विराम करें और जिसके लिये वह नियम–60 के अधीन (दैनिक भत्ता) का हकदार हो। सड़क–मील–भत्ते की गणना में इन छोटी यात्राओं को बिल्कुल छोड़ दिया जायेगा ।

यात्रा–भत्ता नियमावली के नियम–65 दैनिक भत्ता केवल दौरे पर की गयी यात्रा के क्रम में विराम के लिए ही अनुमान्य है। 65 क(1) के अनुसार मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि उस समय से आरंभ होती है, जब कोई सरकारी सेवक वस्तुतः अपना मुख्यालय छोड़ता है और उस समय समाप्त हो जाता है, जब वह वस्तुतः अपने मुख्यालय में लौट आता है, चाहे वह मुख्यालय से बाहर विराम करे या नहीं।

यात्रा–भत्ता नियमावली के उक्त प्रावधानों के आलोक में सभी अंगरक्षकों को यात्रा एवं ठहराव हेतु दैनिक भत्ता दिया जाता है।

परिशिष्ट–64

संख्या–डी / ए0क्यू0–09 / 2022–396

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

पारपत्र प्रशाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री अजय कुमार,
माननीय स0वि0स0
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2022 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के अन्तर्गत सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में दिनांक 03 मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवर–सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक शू0का0सं0–04 / 2022–1060 / वि0स0, दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत् भवदीय द्वारा सप्तदश् बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 03 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किए गए शून्यकाल सूचना के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

क्र0सं0	शून्यकाल सूचना	उत्तर प्रतिवेदन
1	समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के चांद सुरारी निवासी आशीष कुमार एवं पटपारा निवासी आर्यन कुमार, दोनों यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेन्ट है। मैं सरकार से दोनों विद्यार्थियों के सकुशल वतन वापसी कराने की मांग करता हूँ।	प्राप्त सूचना के अनुसार समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के चांद सुरारी निवासी आशीष कुमार एवं पटपारा निवासी आर्यन कुमार, दोनों यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेन्ट है। दोनों सकुशल अपने–अपने घर आ चुके है।

अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार की जाये ।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–65

सं0–कारा / 06(बि0मा0आ0)–83 / 2021–9807

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाए,
बिहार, पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री अजीत कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 2304, दिनांक 6 अगस्त, 2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि श्री अजीत कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित की जा रही है।

2. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

श्री अजीत कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल का प्रश्नोत्तर की सूचना।

प्रश्न

बक्सर जिला के चौगाई महादलित बस्ती के सुरेश मुसहर पिता–स्व0 टेंगर मुसहर के विक्रमगंज उप–कारागृह में हुई मौत की न्यायिक जाँच एवं आश्रितों को अविलम्ब मुआवजा का भुगतान करने की मांग करता हूँ।

उत्तर

1. अधीक्षक, उपकारा बिक्रमगंज के पत्रांक 3175, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि बंदी सुरेश मुसहर का कारा चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज में इलाज करवाया गया तथा जिलास्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में पी0एम0सी0एच0, पटना में विशेष इलाज कराया गया जहाँ इलाज के क्रम में बंदी की दिनांक 23 जुलाई, 2021 को मृत्यू हो गई ।

2. उक्त बंदी की मृत्यु की मैजेस्ट्रीयल जाँच श्री महेश्वर नाथ पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी विक्रमगंज, रोहतास के द्वारा की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

3. बंदी सुरेश मुसहर की मृत्यु की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली बिहार राज्य मानवधिकार आयोग, पटना को दी गई है।

4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा उक्त बंदी के मृत्यु के मामले में अभीतक कोई विशिष्ट आदेश नहीं पारित किया गया है।

परिशिष्ट–66

श्री ललित कुमार यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"दरभंगा जिला के अरविन्द कुमार नालंदा जिला में दनियांवा प्रखंड में पदस्थापित थे। 11:00 बजे दिन में उनको गोली मार दिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस पदाधिकारी को गाड़ी नंबर भी दिया। महोदय, अभी तक पीड़ित मौत से जूझ रहे हैं, पी0एम0सी0एच0 में अभीतक पुलिस सरकार लापरवाह है। महोदय इसको संज्ञान में लिया जाए।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत दनियावां प्रखंड में पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार आई0टी0 सहायक को ब्लॉक जाते समय दनियावां ब्लॉक के गेट के पास अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया, इस घटना में अरविन्द कुमार घायल हो गये। इनके फर्दब्यान के आधार पर चन्द्रभूषण प्रसाद, पे0–सियाशरण प्रसाद, सा0–ग्रीन पार्क कॉलोनी, तेतार पथ, थाना–रामकृष्णा नगर, जिला–पटना एवं अज्ञात के विरुद्ध दनियावां थाना कांड सं0–99/21 दिनांक 27 जुलाई, 2021 धारा–341/304/120(बी)/भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट में अंकित किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से अप्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार उर्फ विनित कुमार पे0–श्रीनाथ सिंह, सा0–पैनाल, थाना–बिहटा, जिला–पटना के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अभियुक्त रौनक कुमार के विरुद्ध लगातार छापामारी किया गया, जिसके कारण उसने माननीय न्यायालय में आत्मसर्पण किया है। घटनास्थल पर पाये गये गोली एवं खोखा जाँच कराया गया एवं जख्म रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त चन्द्रभूषण प्रसाद एवं अन्य अभियुक्त के विरुद्ध जाँच के बिन्दु पर कांड अनुसंधान अंतर्गत है।

परिशिष्ट–67

सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में श्री ललित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

सूचना

दरभंगा जिला निवासी सफिउर रहमान, ग्राम–पैठान कवई, गृह रक्षक संख्या–301674, जो केवटी थाना में कार्यरत थे, को दिनांक 16 जुलाई 2021 को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। अतः इस काण्ड की जाँच कर आश्रितों को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा की मांग सदन से करता हूँ ।

उत्तर

1. आंशिक रूप से स्वीकार्य ।

2. स्व0 सफिउर रहमान, गृह रक्षक सं0–301674, ग्राम–पैठान कवई, जिला–दरभंगा में कांड सं0–122/21, दिनांक 16 जुलाई, 2021 दर्ज किया गया है।

3. उक्त गृह रक्षक की मृत्यु के उपरांत दिनांक 17 जुलाई, 2021 को दाह संस्कार हेतु रु0 7000 (सात हजार रुपए) आश्रिता मो0 रिजवाना खातुन को दिया गया ।

4. अवैतनिक कल्याण कोष के स्व0 गृह रक्षक के आश्रिता को प्रतिमाह रु0 2000 (दो हजार रुपए) दो वर्षों तक भुगतान करने का आदेश मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के सैन्यादेश सं0–271/2021 सहपठित ज्ञापांक–4259, दिनांक 24 अगस्त, 2021 से स्वीकृत किया गया है।

5. जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , दरभंगा ने अपने पत्रांक 898, दिनांक 17 जुलाई, 2021 के द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि एवं अनुकंपा के आधार पर नामांकन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी कमांडर रोकश कुमार महतो एवं गृह रक्षक 301833 मो0 वसीम को आश्रिता के आवास पर भेजा गया था। किन्तु आश्रिता मो0 रिजवाना खातुन ने दिनांक 18 जुलाई, 2021 को समर्पित आवेदन–पत्र में एक सप्ताह के अंदर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।

6. अनुकंपा के आधार पर नामांकन के संबंध में मो0 रिजवाना खातुन के द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2021 को समर्पित आवेदन–पत्र में पुत्र तौसिफ अहमद खान को गृह रक्षक के रूप में नामांकन करने हेतु प्राधिकृत करने का उल्लेख किया है। जिसकी शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में नन–मैट्रिक तथा नामांकन हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया है कि आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होते हुए जिला समादेष्टा कार्यालय, दरभंगा को उपलब्ध करा देंगे ।

7. जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा के ज्ञापांक 1075, दिनांक 24 जुलाई, 2021 द्वारा मृतक के आश्रिता मो0 रिजवाना खातुन को अनुग्रह अनुदान की राशि एवं अनुकंपा के आधार पर नामांकन से संबंधित कागजात की मांग की गयी है। परन्तु उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र, बैंक खाता सं0 एवं अनुकंपा के आधार पर नामांकन से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। कागजात उपलब्ध होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

परिशिष्ट–68

श्री ललन कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न

कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अंचल के कमालपुर, बैधनाथपुर मौजा में सरकार से स्थायी पुलिस कैम्प स्थापित करने की मांग करता हूँ;

उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अंचल के कमालपुर, बैधनाथपुर मौजा में पुलिस कैम्प स्थापित है, जिसमें 02–08 (दो–आठ) बिहार सशस्त्र पुलिस बल के जवान एवं मनिहारी थाना से एक सहायक अवर–निरीक्षक प्रतिनियुक्त है।

परिशिष्ट–69

श्री ललन कुमार, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना

बड़े अग्निशमन वाहन के अभाव में प्रतिवर्ष भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में आग लगने से हजारों घर जलकर राख हो जाता है। मैं सरकार से पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में पर्याप्त एवं बड़े अग्निशमन वाहन की स्थायी व्यवस्था करने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 4492, दिनांक 12 अगस्त, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में वर्ष औसतन 11–14 अगलगी की घटनायें घटती हैं।

उल्लेखनीय है कि पीरपैंती थाना में एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में अगलगी की घटना होने पर अग्निशमन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकचारी थाना में भी एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, जो पीरपैंती थाना से लगभग 10 कि0मी0 की दूरी पर है। आवश्यकता अनुरूप एकचारी थाना में प्रतिनियुक्त वाहन से भी अग्निशमन का कार्य किया जाता है।

विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुरूप अग्निशामालय कहलगाँव में उपलब्ध बड़ी अग्निशमन वाहन से पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में अग्निशमन का कार्य किया जाता है। अग्निशामालय कहलगाँव से पीरपैंती प्रखंड की दूरी लगभग 30 कि0मी0 है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2016 के अवसर पर की गयी घोषणा के आलोक में राज्य के प्रत्येक थानों में एक–एक अदद बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पूर्व से राज्य के 438 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सभी थानों में अग्नि प्रवण प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बड़ी अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। योजना के क्रियान्वयन के क्रम में अग्नि प्रवण प्राथमिकता के अनुसार परीपैंती थाना में बड़ी अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिले के थानों में कुल 438 मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहन एवं जिले के फायर स्टेशन में कुल 37 मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहन उपलब्ध कराया गया है, इसके अतिरिक्त जिलों में वाटर टेंडर–230, वाटर बाउजर–9, फोम टेंडर–7, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म–3 रेस्क्यु टेंडर–4 तथा जीप टेंडर–8 उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार फायर स्टेशन एवं थानों में कुल मिलाकर 736 अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशमन सेवा के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 45.204 करोड़ विमुक्त किया गया है। इस राशि को 34 अदद बड़ी अग्निशामक वाहन, 200 अदद् Breathing Apparatus, 200 अदद् Fire Proximity Suit, 12 अदद् वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त अग्निशामक मोटर साइकिल का क्रय एवं बिहार अग्निशमन सेवा के कम्प्यूटरीकरण एवं ऑटोमेशन के लिए स्वीकृति दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल–79 अदद अग्निशामक वाहन, 6 अदद हाइड्रोलिक प्लेटफार्म–सह–टर्न टेबुल एरीयल लैडर, 6 अदद वाटर बाउजर एवं अन्य अग्निशामक उपकरणों के क्रय हेतु रु0 97.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही राशि बिहार अग्निशमन मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है।

परिशिष्ट–70

श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के रूपवलिया पंचायत के दो महिला को जंगली भालू काट–काट कर लहुलुहान कर दिया। जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन आजतक सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है ।

मैं सरकार से मुआवजे की मांग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत रूपवलिया पंचायत के मुन्नी देवी को जंगली भालू द्वारा काट कर घायल कर दिया गया था। इस संबंध में वन प्रक्षेत्र मंगुराहा के कार्यालय में जाकर मुआवजे हेतु वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी से पूछताछ किया गया, तो ज्ञात हुआ कि मुन्नी देवी द्वारा मुआवजे हेतु कोई भी आवेदन इस कार्यालय में नहीं दिया गया है, जिस पर यथोचित कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में वन प्रक्षेत्र मंगुराहा के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीड़िता से पूछताछ कर आवेदन लेकर विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सिठी पंचायत के नसीमा खातुन को दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को जंगली भालू द्वारा घायल कर दिया गया था। इस संबंध में वन प्रक्षेत्र मंगुराहा के पदाधिकारी से ज्ञात हुआ कि मुआवजे के राशि रु0 12,000/– (बारह हजार) रुपया पीड़िता के SBI खाता संख्या–3227476716 में वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक का कार्यालय, बेतिया के ज्ञापांक 635, दिनांक 23 मई, 2022 द्वारा भेज दिया गया है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की घटना में मुआवजा अनुमान्य नहीं है।

परिशिष्ट–71

सं0–2/वि0स0–10–69/2022–गृ0आ0–341

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 9 जनवरी, 2023 (ई0)।

विषय—श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, का पत्रांक 952, दिनांक 14 मार्च, 2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल की सूचना प्रासंगिक पत्र में निहित विषय के संबंध में कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नारायणपुर गाँव से कल्याणपुर थाना की दूरी 18 किलोमीटर, केसरिया थाना की दूरी 18 किलोमीटर एवं चकिया थाना की दूरी 15 किलोमीटर है। चकिया, केसरिया पक्की रोड से छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। नारायणपुर गाँव में पिछले पाँच वर्षों में लूट–02, हत्या–01, साधारण दंगा 02, एवं वाहन चोरी–04 कांड प्रतिवेदित है। इन आँकड़ों के आलोक में वर्तमान में कल्याणपुर प्रखण्ड के नारायणपुर गाँव में घटित अपराधिक घटनाएँ कम घटित हुई एवं विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में वर्तमान में कल्याणपुर प्रखण्ड के नारायणपुर गाँव में पुलिस चौकी निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अतः अनुरोध है कि श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा बिहार विधान सभा का पंचम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 02 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गए शून्यकाल सूचना को विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

परिशिष्ट–72

सं0–2/वि0स0–10–64/2022–गृ0आ0–10811

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 (ई0)।

विषय—श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय, का पत्रांक 1629, दिनांक 18 अप्रील, 2022 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 1406, दिनांक 22 अगस्त, 2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर थाना से घुसियारपुर गाँव की दूरी 12 कि0मी0 है। आवागमन की सुविधा हेतु पक्की सड़क उपलब्ध है। यह क्षेत्र बीट नं0–1 के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ की जनसंख्या–50,000 है। पाँच वर्षों के आपराधिक ऑकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मात्र एक हत्या का कांड दर्ज हुआ है। वर्तमान में उक्त स्थल पर ओ0पी0 खोलने का औचित्य नहीं है।

शहीद आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी के नाम पर जनता चौक घुसियारपुर पर स्मृति द्वार का निर्माण कराना गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

अतएव शून्यकाल सूचना को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

परिशिष्ट–73

श्रीमती गायत्री देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2022 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल

आज दिनांक 07 मार्च, 2022 को रात के एक बजे सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना प्रभारी ने बिना केस के रविन्द्र राय पिता पंचेलाल राय ग्राम बसंतपुर को घर से उठा कर लॉकअप में बन्द कर दिया है।

अतः बिना किसी कारण के रविन्द्र राय को गिरफ्तार करने वाले थाना प्रभारी सोनबरसा पर उचित कार्रवाई करने की माँग सरकार से करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि सोनबरसा थाना कांड संख्या–226/21 के प्राथमिकी अभियुक्त रविन्द्र राय पिता–दीपलाल राय के विरुद्ध दिनांक 07 मार्च, 2022 को छापामारी की गई। छापामारी के दौरान रविन्द्र राय पुलिस को देखकर भागने लगे, इन्हें पुलिस द्वारा रोककर नाम व पता पूछा गया तो इनके द्वारा अपना नाम रविन्द्र राय बताया गया परन्तु पिता का नाम स्पष्ट नहीं बताया गया। इसके उपरांत इन्हें सत्यापन हेतु दिनांक 07 मार्च, 2022 को सुबह 05.00 बजे सोनबरसा थाना लाया गया । इस संबंध में थाना दैनिकी सन्हा सं0–147/22 दर्ज की गई। स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीणों के सत्यापन के क्रम में इनका नाम रविन्द्र राय एवं पता पिता–पंचेलाल राय, सा0–बसंतपुर, थाना–सोनबरसा पाया गया, ये सोनबरसा थाना कांड सं0–223/21 के प्राथमिकी अभियुक्त थे तथा माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त थे। अतः रविन्द्र राय को पी0 आर0 बॉंड पर सन्हा सं0–158/22 दर्ज करतें हुए दिनांक 07 मार्च, 2022 को सुबह 10.00 बजे मुक्त किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा रविन्द्र राय के परिजनों को अपमानित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–74

श्रीमती निक्की हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना

बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत में पुलिस थाना के सृजन की स्वीकृति ज्ञापांक 3231, दिनांक 11 अप्रील, 2014 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। भवन निर्माणाधीन ना होने तक निजी भवन में थाना को कार्यरत करें। क्योंकि दिनांक 21 मार्च, 2022 को ज्योतिष मंडल की मृत्यु जैसी कोई अप्रिय घटना न घटे ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत जमदाहा थाना का सृजन किया गया है, सृजन संबधित अधिसूचना में उल्लेखित है कि प्रस्तावित थाना का संचालन भवन पूर्ण होने के पश्चात् किया जाएगा।

बांका जिलान्तर्गत जमदाहा थाना में मॉडल थाना भवन (मॉडल बी), आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

परिशिष्ट–75

सं0–9 / स0वि0स0–10–09 / 2022–गृ0आ0–10387

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0स0–10 / 2021–775 / वि0स0, दिनांक 10 मार्च, 2021।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के माध्यम से श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना "एस0आर0ई0 योजना आच्छादित जिलों में प्रस्ताव के आधार पर 2013 से थाना में कार्यरत एस0पी0ओ0 की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव एस0पी0 द्वारा डी0एम0 को नहीं भेजने से अनुमोदन नहीं होने के कारण नियुक्ति लंबित है" के संबंध में वांछित सूचना निम्नवत् है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों के थानों में वर्ष–2013 में एस0पी0ओ0 प्रतिनियुक्त थे, जो मार्च–2018 तक कार्यरत रहे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक II.18015/42/2017-LWE-III, दिनांक 29 मार्च, 2018 एवं 09 मई, 2018 के आलोक में संशोधित मार्गदर्शिका जारी किया गया हैं, जिसके कंडिका–3(VII) में विशेष पुलिस पदाधिकारी के नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

The SPOs Shall be ex-Army/Ex-Policemen. A list of the SPOs will be approved by the SRE Standing Committee. The selection procedure and tasking will be specified and the state Government wil obtain prior approval of the ministry for the number os SPOs to be deployed for security purposes.

नई मार्गदर्शिका के आलोक मे पूर्व से कार्यरत विशेष पुलिस पदाधिकारी (SPOs) में कोई भी पूर्व सैनिक / पूर्व पुलिस कर्मी नहीं है। इस तरह किसी भी विशेष पुलिस पदाधिकारी (SPOs) की नियुक्ति लंबित नहीं है।

अतः अनुरोध है की उपरोक्त मामले को बिहार विधान सभा से शून्यकाल समिति के लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–76

श्री कृष्ण नन्दन पासवान, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"पूर्वी चम्पारण जिला के मटियरिया पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या 16 मार्च, 11 बजे दिन में गोली मार कर दी गई, पुलिस और आक्रोशित जनता के बीच झड़प में निर्दोष परिजन एवं जनता को पुलिस हिरासत में ले लिया ।

सरकार से माँग करता हूँ कि गिरफ्तार निर्दोषों को रिहा करावें ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि हरसिद्धि थाना कांड सं0–107/21, दिनांक 16 मार्च, 2021 धारा–147/148/149/109/120(बी)/151/152/186/341/323/324/307/353/332/333/431/427/436/337/504/506 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम से है।

उक्त कांड के वादी पु0अ0नि0, शैलेन्द्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष हरसिद्धि के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद 166 अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात लगभग 800 पुरुष एवं महिला के विरुद्ध अपराधिक षडयंत्र रचकर लोगों को उकसाकर पुलिस पदाधिकारी एवं बल पर जानलेवा एवं प्राणघातक हमला करने, सरकारी कार्य में जान–बूझकर बाधा डालने, हथियार छीनने का प्रयास करने अपराधकर्मी के पास बरामद मोटरसाइकिल को जला देने पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ धक्का–मुक्की मारपीट, ईंट–पत्थर, लाठी–डंडा, भाला, गड़ासा चलाकर जख्मी करने, मृतक के शव को सड़क पर रख मार्ग को अवरूद्ध करने, पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्त को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी आदि के आरोप में पंजीकृत हुआ है। उक्त कांड में 19 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी जख्मी हुए हैं। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड में सभी दर्ज धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के सभी 166 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात शामिल करीब 800 महिला/पुरूष के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में दिनांक 16 मार्च, 2021 के साक्ष्यनुसार कुल 52 प्राथमिकी अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर दिनांक 17 मार्च, 2021 को न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित किया गया है। बाद में भी 06 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य सत्य पाये गये प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान हेतु कांड अनुसंधानान्तर्गत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कांड में किसी भी निर्दोष परिजन एवं जनता को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट–77

श्री कुन्दन कुमार, माननीय स0वि0स0 से दिनांक 31 नवम्बर, 2021 को सदन में प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को कार्रवाई में मारे गये बेगूसराय जिला के शहीद लेफ्टिनेन्ट ऋषि रंजन जो की सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि और निकटतम आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

लेफ्टिनेन्ट शहीद ऋषि कुमार के निकटतम आश्रित को सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग के संकल्प संख्या 899, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के प्रावधानानुसार अनुग्रह अनुदान के रूप में 11 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शहीद सैनिक के निकटतम आश्रित को वर्तमान में बिहार सरकार में नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। अतः भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievences and Pensions (Department of Personnel & Training) के पत्र संख्या F.No 14014/02/2012-Estt (D) दिनांक 16 जनवरी, 2013 के आलोक में लेफ्टिनेन्ट शहीद ऋषि कुमार के परिजन को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने से संबंधित आवेदन को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को विचारार्थ भेजा जा चुका है।

अनुपूरक सामग्री

आई0 सी0 86004X लेफ्टिनेन्ट ऋषि कुमार दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को नौशेरा सेक्टर, जम्मु कश्मीर में युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में शहीद हो गये ।

शहीदोपरांत सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग के संकल्प संख्या 899, दिनांक, 11 नवम्बर, 2016 में निहित प्रावधान के आलोक में उनकी आश्रित माता श्रीमती सविता कुमारी को अनुग्रह अनुदान के रूप में 11 लाख रुपये भुगतान किया गया ।

शहीद सैनिकों के निकटतम आश्रित को बिहार सरकार में नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत सरकार 14014/02/2012-Estt (D) दिनांक, 16 जनवरी, 2013 में अनुकम्पा पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। जिससे आलोक में निदेशालय के पत्र संख्या 165, दिनांक, 27 जनवरी, 2022 के द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को विचरार्थ भेजा गया है।

परिशिष्ट–78

श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना

भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के मड़वा निवासी ई0 आशुतोष पाठक की बिहपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार के द्वारा 24 अक्टूबर, 2020 को बुरी तरह से पिटाई की गई जिसकी मृत्यु 25 अक्टूबर, 2020 को हो गई। थाना प्रभारी, रंजीत कुमार की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अविलंब गिरफ्तार करने की माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि घटना के संबंध में बिहपुर (झंडापुर) थाना कांड सं0–443/20 दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 धारा–302/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत वादी प्रफुल कुमार पाठक के आवेदन पर तीन प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध उनके भतीजे आशुतोष पाठक की बेरहमी से मारपीट कर जख्मी कर हाजत में बंद करने एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो जोने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड 5 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया । चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आरोप पत्र सं0–1/21 दिनांक 25 जुलाई, 2021 समर्पित किया गया है। एक अभियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक, रंजीत कुमार के विरुद्ध दिनांक 4 नवम्बर, 2020 को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है तथा फरार रहने एवं न्यायालय में आत्म समर्पण न करने की स्थिति में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। विशेष टास्क फोर्स गठित कर इनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

परिशिष्ट–79

श्री महबूब आलम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहे छात्र युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज व प्रदुषित पानी से हमला हुआ, आंदोलनकारियों के समर्थन में गए विधायकों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हुआ, कई लड़के गंभीर रूप से घायल हैं ।

घटना की उच्चस्तरीय जाँच तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ (आईसा), इंकलाबी नौजवान सभा सहित भाकपा/माले के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा शिक्षा एवं रोजगार की मांग को लेकर दिनांक 01 मार्च, 2021 को गाँधी मैदान के पास जुलूस/प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। लगभग 13:00 बजे श्री मनोज मंजिल, श्री अजीत सिंह कुशवाहा एवं श्री संदीप सौरव ए0आई0एस0ए0 नेता श्री मुख्तार, इंकलाबी नौजवान सभा के श्री सुधीर कुमार आदि के नेतृत्व में करीब 1000–1200 लोग कारगिल चौक होते हुए जुलूस/प्रदर्षन की शक्ल में जे0पी0 गोलम्बर पहुँच गये। इनके द्वारा धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी ।

करीब 13:30 बजे गाँधी मैदान, जे0 पी0 गोलम्बर से विधान सभा की ओर मार्च करने के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ जाने पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों को रोका गया। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा प्रदर्शन को बिना अनुमति का होने, यातायात ठप हो जाने के आधार पर अवैध घोषित करते हुए समाप्त करने का अनेकों बार माईक से उद्घोषणा कर अनुरोध किया गया। उसके बावजूद भी आंदोलनकारियों द्वारा धक्का–मुक्की कर एवं बैरकेडिंग को हटाते हुए आग बढ़ने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया । तत्पश्चात उग्र आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस पर ईंट–पत्थर चलाना शुरू कर दिया गया। पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु आश्रु गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी आंदोलनकारी डटे रहे और पुलिस बल पर रोड़ेबाजी करते रहे। पुलिस द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर आंदोलनकारी को जुलूस को तितर–बितर किया गया, जिसके फलस्वरूप 13:45 बजे जुलूस समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों को ईंट–पत्थर से 01 दंडाधिकारी तथा 07 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी घायल हुए ।

इस संबंध में श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर के टंकित आवेदन के आधार पर गाँधी मैदान थाना कांड सं0–143/2021, दिनांक 01 मार्च, 2021 धारा 269/271/147/149/188/353/341 भा0द0वि0 एवं 3 Epidemic Disease Act & 3/4 Loudspeaker Act के अंतर्गत माननीय विधायक श्री मनोज मंजिल एवं 06 (छः) नामजद तथा 1000–1200 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। वर्तमान में काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–80

श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

समस्तीपुर जिलान्तर्गत आधारपुर पंचायत में 21 जून, 2021 को एक शिक्षिका सनोवर खातून, पति मो० हसनैन एवं मो० अनवर की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी ।

दोनों मृतक के परिवारों को 10–10 लाख रुपये मुआवजे की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आधारपुर ग्राम में घटित घटना के संबंध में प्रतिवेदित मुफस्सिल थाना कांड सं0–280/21 दिनांक 21 जून, 2021 धारा–307/302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में मृतक/मृतका के परिजनों को मुआवजा हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:–

(1) मृतक मो0 अनवर एवं सनोवर खातून के परिजनों को प्रखण्ड स्तर से बीस–बीस हजार रुपया मुख्यमंत्री पारिवारिक योजना के तहत हस्तगत कराया गया है।

(2) मृतक मो0 अनवर की पत्नी को विधवा पेंशन प्रारंभ किया गया है।

(3) मो0 अनवर के दो पुत्र एवं मृतक सनोवर खातून की एक संतान जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, की देखभाल हेतु प्रति माह दो हजार रुपया की दर से राशि प्राप्त करायी जा रही है। (18 वर्ष की आयुपूर्ण होने तक)

(4) स्व0 मो0 अनवर की पत्नी नुसरत प्रवीण एवं स्व0 सनोवर खातुन की माता नुसरत खातून के आवेदन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ताजपुर का पत्रांक 579, दिनांक 30 जून, 2021 तद्नुसार प्रभारी उप–समाहर्ता जिला विधि प्राधिकार, समस्तीपुर का पत्रांक–2546, दिनांक 03 जुलाई, 2021 के माध्यम से भीड़ के द्वारा की गई कांड सं0–282/21 के वादिनी नुसरत प्रवीण के घर में की गई अगलगी से हुई क्षति से संबंधित मुआवजा प्रस्ताव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को भेजा गया है।

(5) प्रखंड विकास पदाधिकार, ताजपुर का पत्रांक 580, दिनांक 30 जून, 2021 तद्नुसार प्रभारी उप–समाहर्त्ता जिला विधि प्राधिकार, समस्तीपुर का पत्रांक 2547, दिनांक 30 जुलाई, 2021 के माध्यम से मो0 अनवर एवं सनोवर खातून के मृत्यू से संबंधित नुकसान भरपाई हेतु पत्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को भेजा गया है।

(6) श्री रविशंकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को मृतिका सनोवर खातून की पुत्री नुसरत प्रवीण, चाहत प्रवीण, इबरत प्रवीण को एक–एक लाख रुपया एवं मृतक मो0 अनवर की पत्नी नुसरत प्रवीण को तीन लाख रुपया देने हेतु (संस्तुति) प्रेषित की गई है।

परिशिष्ट–81

श्री महानन्द सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"28 फरवरी, 2021 को अरवल में थाना से सटे दिन में बेखौफ अपराधी दो गैरेज मिस्त्री को गोली मार दी। थानेदार की लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के कारण जनता में भारी आक्रोश है। घायल व्यक्ति का समुचित इलाज एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने एवं थानेदार को हटाने की मांग करते है।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी छोटू उर्फ एहसान अंसारी के फर्दब्यान के आधार पर अरवल जिला कांड सं0–82/21, दिनांक 01 मार्च, 2021 धारा 324/326/307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त मिथिलेश पासवान, जिला–भोजपुर एवं अन्य साथी के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया है।

यह घटना दिनांक 28 फरवरी, 2021 को समय 13:30 बजे अरवल थानान्तर्गत शंकर मोटर गैरेज के दुकान में काम करने वाले मिस्त्री छोटू उर्फ एहसान अंसारी को कुख्यात अपराधी मिथिलेश पासवान एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हथियार से गोली मार दिया गया। गैरेज मिस्त्री छोटू उर्फ अजीत कुमार द्वारा बचाव करने के प्रयास करने लगे तो उसे भी गोली मार दिये तथा उजला रंग के अपाची मोटरसाइकिल से भाग गये। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष को सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर गये एवं अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किये लेकिन वे लोग उस समय फरार हो गये। पुलिस द्वारा अन्य लोगों की सहायता से दोनों जख्मियों को इलाज हेतु सदर अस्पताल, अरवल ले जाया गया। वर्तमान में दोनों ठीक–ठाक हैं। घटना का कारण मिथिलेश पासवान से छोटू मिस्त्री की बहन का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मिथिलेश पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

घटना के क्रम में थानाध्यक्ष, अरवल द्वारा त्वरित कार्रवाई की गयी है। कोई लापरवाही की बात प्रकाश में नहीं आयी है। बल्कि इस कांड में किए गए त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र गया द्वारा पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष शम्भु पासवान एवं अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक, दीपक कुमार को पुरस्कृत भी किया गया है।

परिशिष्ट–82

श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

सीतामढ़ी प्रखंड परिसर ग्राम–गोरहरी में दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच हुई झड़प के बाद 30 नवम्बर, 2021 को रात्रि में की गयी पुलिस कार्रवाई का न्यायिक जाँच की मांग करता हूँ। हिन्दी समाचार भी पुलिस बर्बरता को छापा है।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी मो0 शमीम हैदर द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर परिहर थाना कांड संख्या–207/21, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 धारा–147/148/149/188/419/420/171(ई)/172(एफ)/353/307/332/333 भा0द0वि0 एवं 131/132/7 आर0पी0 एक्ट 1951 के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद 26 अभियुक्तों एवं अन्य 150 अज्ञात महिला के विरुद्ध हरवे हथियार से लैस होकर मतदान केन्द्र पर फर्जी मतदान कराने का प्रयास करने तथा पुलिस प्रशासन पर जानलेवा हमला एवं अपनी बात को बलपूर्वक मनवाने का प्रयास करने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड प्राथमिकी की मूल धारा के अंतर्गत सभी प्राथमिकी अभियुक्त एवं अन्य 150 अज्ञात महिला के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इन अभियुक्तों में 1. रहमततुला राइन, 2. मुलाजिम, 3. रामशरण मंडल, 4. अनावरूल, 5. मो0 जुबेर, 6. फेकुराय एवं 7. मो0 मनीर आलम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानन्तर्गत है।

परिशिष्ट–83

श्री मुकेश कुमार रौशन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना

वैशाली जिला नगर थाना वैशाली में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को राकेश कुमार यादव के हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय एवं मूकदर्शक बनी है।

अतएव नगर थाना कांड सं0–1144/19 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका की जाँच कराई जाए ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त कांड वादी देवेन्द्र प्रसाद यादव के फर्द बयान पर एक मोटर साइकिल पर सवार दो अभियुक्तों के विरुद्ध उनके पुत्र राकेश यादव की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में अंकित किया गया है। पर्यवेक्षण से कांड धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–84

श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना क्षेत्र के गांव नाढ़ी में 27 अगस्त 2018 को रामाकांत राम की हत्या कर दी गयी थी। अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग सदन के सामने रखता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि सहार थाना काण्ड सं0–206/18, दिनांक 27 अगस्त, 2018 धारा 302/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(ii)(v) SC/ST Act. से संबंधित है। यह कांड वादी निरुकांत कुमार, पे0–स्व0 रामाकांत राम, ग्राम–नाढ़ी, थाना–सहार, जिला–भोजपुर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. विकेश राय, 2. रितेश राय दोनों पे0–स्व0 सूर्यनारायण राय, ग्राम–नाढ़ी, थाना–सहार, जिला–भोजपुर के विरुद्ध वादी के पिता को गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–02 एवं 03 से यह कांड धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(ii)(v) SC/ST Act. के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. विकेश राय 2. रितेश राय दोनों के विरुद्ध सत्य एवं आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध पाया गया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त रितेश राय को चौरी थाना काण्ड सं0–64/21 में गिरफ्तार कर दिनांक 21 जून, 2021 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसे सहार थाना काण्ड सं0–206/18 में दिनांक 24 जून, 2021 को रिमाण्ड किया गया है। दूसरे अभियुक्त विकेश कुमार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–85

श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "दिनांक 28 फरवरी, 2021 को सीतामढ़ी के पुपरी थाना बगदे में पथिक लूट के शिकार हो गये, सीतमाढ़ी में अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में हो रहे अपराध पर नियंत्रण हेतु ए0एस0पी0 (अभियान) की पूर्व की तरह नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूँ।"

उत्तर

इस संदभ। में पुपरी थाना कांड सं0–67/21 दिनांक 28 फरवरी, 2021 धारा–392 भा0द0वि0 वादी मो0 रैयाज अहमद पे0 अकिल अहमद, सा0–मिर्जापुर, थाना–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी के लिखित आवेदन के आधार पर दो अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध 26,000/– रुपया छिन लेने के आरोप में बगदे चौड़ पुलिया के पास से प्रतिवेदित है।

यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से धारा–392 भा0द0वि0 के तहत दो अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

परिशिष्ट–86

सं0–1/वि0स0–10–04/2021–गृ0आ0–3931

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में

श्री अभय शंकर राय
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 21 जून, 2021 (ई0)।

विषय—श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 04 मार्च, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0स0–10/2021–784/वि0स0, दिनांक 10 मार्च, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के आलोक में कहना है कि श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 04 मार्च, 2021 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :–

वादी लाल बाबू साह के लिखित फर्दब्यान के आधार पर सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रूनीसैदपुर थाना कांड सं0–162/21, दिनांक 12 मार्च, 2021 धारा–394 भा0द0वि0 के अंतर्गत 03 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध गोली मार कर जख्मी करने एवं 27,000/– रुपये लूटने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।

अनुसंधानोपरान्त एवं पर्यवेक्षण से यह कांड सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। सभी 04 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देशी कट्टा, दो जिन्दा गोली, लूट के 3500/– रु0 की बरामदगी की गयी है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

एतद् संबंधी बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) का पत्रांक 548, दिनांक 13 अप्रील, 2021 एवं इसके साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी का उत्तर सामग्री एवं पूरक सामग्री की छायाप्रति संलग्न है।

अनुलग्नक –यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट–67

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय स0वि0स0 का शून्यकाल सूचना ।

सीतामढ़ी नगर में विगत कई महीनों से जाम की समस्या के कारण कई कार्य बाधित हो चुके हैं। दिनांक 04 मार्च, 2021 को आजाद चौक से मेहसौल चक तक तीन घंटे का जाम रहा। सरकार अविलंब प्रशासन को जाम से निजात दिलाने का आदेश दें ।

सरकार का वक्तव्य

सीतामढ़ी शहर में आजार चौक (मेहसौल) से लेकर जानकी स्थान सिनेमा रोड तथा थाना रोड में जाम की स्थिति के कारण एम्बुलेंस में चिकित्सा हेतु लाए जा रहे किसी भी रोगी की जान नहीं गयी है। सीतामढ़ी शहर में पीक आवर में गाड़ियाँ धीरे चलती हैं जिसे थाना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थाना स्तर से दो पाली में यातायात सुचारू रूप से बहाल करने हेतु 8 गृह रक्षक, 4 सिपाही एवं 1 पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वर्ष 2020 में कुल रु0 46,95,150/– रुपये शमन की राशि वसूल की गई है।

परिशिष्ट–88

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"विगत 08 मार्च, 2021 को सीतामढ़ी के शिक्षक सुनील कुमार को छुरा से घायल कर दिया गया, तथा रीगा के व्यवसायी दीपक कुमार के दुकान में डकैती की घटना की गई।

सीतामढ़ी जिलावासी कैसे जीवन जी सके ? सरकार अपराध पर गंभीर हो।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि श्री सुनील कुमार, पिता–हरिशंकर यादव, साकिन–कोर्ट बाजार, वार्ड नं0–14, थाना+जिला–सीतामढ़ी, रीगा में पदस्थापित हैं। दिनांक 07 मार्च, 2021 को संध्या करीब 08:30 बजे रिंग बांध से सब्जी खरीद कर अपने घर कोर्ट बाजार, थाना+जिला–सीतामढ़ी लौट रहे थे, लौटने के क्रम में पीछे से चार अज्ञात अपराधी द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर जख्मी कर भाग गये। अंधेरा रहने के कारण वह अपराधी को पहचान नहीं सके। दर्ज ब्यान पर कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं किये। इसके संबंध में अगले दिन समाचार पत्रों में भी मामला प्रकाशित हुआ था। शिक्षक श्री सुनील कुमार से सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ है उनके द्वारा इलाज के उपरान्त 19 मार्च, 2021 को सीतामढ़ी थाना में आवेदन भी दिया गया, परन्तु कोई कांड दर्ज नहीं हुआ है। जांच के क्रम में यह पाया गया है कि इसके संबंध में थाना में कोई प्रविष्टि नहीं है। इससे थानाध्यक्ष पु0नि0, विकास कुमार राय की लापरवाही उजागर हुई है। अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जा रहा है। मामले में प्राथमिकी संख्या–939/21 दिनांक 24 नवम्बर, 2021 धारा 341/324/307/34 भा0द0वि0 दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

व्यवसायी दीपक कुमार के दुकान में डकैती के संबंध में परसोनी थाना कांड संख्या–30/21 दिनांक 08 मार्च, 2021 धारा 392 भा0द0वि0 अंतर्गत यह कांड वादी दीपक साह, पिता–दशरथ साह, साकिन–रेवासही टोले धनुषी, थाना–रीगा, जिला–सीतामढ़ी के लिखित आवेदन के आधार पर बिना नम्बर के सलेटी रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादी के गाड़ी के डिक्की में रखा बैग में ज्वेलरी का सामान जिसकी कीमत करीब 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये लूट लेने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।

अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त महताब, पिता–तसलीम अंसारी, साकिन–राजोपट्टी, वार्ड नं0–12, थाना+जिला–सीतामढ़ी के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप–पत्र संख्या 95/21 दिनांक 10 अगस्त, 2021 को माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा अप्राथमिकी अभियुक्त अमन परासत उर्फ राणा, पिता–अजय कुमार सिंह, साकिन–पचटकी राम, वार्ड नं0–01, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी को रिमांड किया गया है एवं अन्य के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

थानाध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गश्ती एवं सघन छापामारी कर माह जनवरी, 2021 से अक्टूबर 2021 तक हत्या के 141 अभियुक्तों, डकैती के 20 अभियुक्तों, लूट के 45 अभियुक्तों, मारपीट एवं अन्य शीर्ष में 4,347 अभियुक्तों सहित कुल 4,553 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीतामढ़ी जिला में अपराध नियंत्रण हेतु सभी थानाध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सघन गश्ती एवं वाहन चेकिंग किया जाता है, तथा हत्या/डकैती/लूट में फिरार अपराधियों को विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किये जाते हैं।

परिशिष्ट–89

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"सीतामढ़ी जिले में विगत् 10 दिनों के लगातार क्रमिक आपराधिक घटना के क्रम में कल दिनांक 09 मार्च, 2021 को अपराधी द्वारा रघुनाथपुरी के गुड्डू मिश्रा को गोली मारी गई ।

सीतामढ़ी की जनता कैसे जीवन बसर करें ? सरकार अपराध नियंत्रण को गंभीरता से कब लेना चाहेगी।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी श्रीमती विभा देवी के लिखित आवेदन के आधार पर बैरगनिया थाना कांड संख्या–46/21, दिनांक 07 मार्च, 2021, धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद 10 एवं अन्य 02–03 अज्ञात के विरुद्ध वादिनी के पुत्र राकेश झा को गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. राणा सिंह उर्फ अमन परासर, 2. अजय सिंह, 3. बमशंकर चौधरी, 4. अनिल चौधरी एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 1. हिमांशु झा उर्फ जोखन झा, 2. विवेक कुमार, 3. मुकेश पाठक उर्फ मुकेश झा उर्फ मुकेश कुमार, 4. दिव्य रतन सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ विलेयन के विरुद्ध सत्या पाया गया है। कांड में सत्य पाये गये 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्राथमिकी अभियुक्त अनिल चौधरी एवं अप्राथमिकी अभियुक्त दिव्य रतन सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ विलेयन का कुर्की निर्गत करने हेतु माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी के पास प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु नियमित छापेमारी की जा रही है। कांड के 06 प्राथमिकी अभियुक्तों देवीलाल चौधरी, नथुनी सिंह, हरदेव नारायण प्रसाद, मनोज गुप्ता, प्रकाश मंडल एवं संजय सिंह के विरुद्ध जाँच जारी है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–90

श्री मिश्री लाल यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के ग्राम–धमुआरा में श्मशान के घेराबन्दी की माँग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा श्मशान की घेराबन्दी कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट–91

सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री मिश्री लाल यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

सूचना

गृह रक्षकों को पुलिस के समान भत्ता के अलावे अन्य सभी सुविधाओं की माँग करता हूँ।

उत्तर

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० सं०–21841/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम उमेश कुमार एवं सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–11208/2013 उमेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9989, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य/प्रशिक्षण भत्ता बिहार सरकार ने कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक को रु0 400 (चार सौ रुपए) से बढ़ाकर रु0 774 (सात सौ चौहत्तर रुपए) अनुमान्य किया गया है। यह राशि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की रु0 480 (चार सौ अस्सी रुपए) एवं झारखंड की रु0 500 (पाँच सौ रुपए) प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक से अधिक है।

2. उपर्युक्त दैनिक कर्तव्य भता के अतिरिक्त गृह रक्षकों को प्रति दो वर्ष पर वर्दी भत्ता, चुनाव ड्यूटी के दौरान एक बार पौष्टिक आहार भत्ता एवं यात्रा–भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा, सेवानिवृत्ति के उपरांत एक मुश्त सेवान्त लाभ, कर्तव्य के दौरान मृत्यु के उपरांत अनुग्रह अनुदान एवं आश्रित को अनुकंपा के आधार पर गृह रक्षक के रूप में नामांकन का प्रावधान है। साथ ही चुनाव कर्तव्य के दौरान मृत्यु की स्थिति में सरकारी सेवकों की भांति अनुग्रह अनुदान का प्रावधान है।

3. जहाँ तक गृह रक्षकों को पुलिस के समान भत्ता के अलावा अन्य सभी सुविधाओं को देने का प्रश्न है, इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि गृह रक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं होते है बल्कि वे स्वयं सेवक होते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है।

अतएव पुलिस, जो सरकारी कर्मी है, की भांति गृह रक्षकों को सभी भत्ते/सुविधाएँ नहीं दी जा सकती ।

परिशिष्ट–92

श्री विद्यासागर केसरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी स्व० पवन केडिया की निर्मम हत्या 28 दिसम्बर, 2020 को शाम के 7:30 बजे दुकान से घर आने के क्रम में कर दी गयी। फारबिसगंज थाना में कांड संख्या–1035/2020 दर्ज है। दो माह बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग सदन से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी ललित केडिया के फर्दब्यान के आधार पर फारबिसगंज थाना कांड संख्या 1035/20, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020, धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मोटरसाइकिल सवार 03 अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध वादी के भाई दवा व्यवसायी पवन केडिया को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 से यह कांड धारा 396/भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अभय कुमार विश्वास, 2. नीरज कुमार राम, 3. श्याम बहरदार, 4. मोनु कुमार शर्मा एवं 5. भगत सिंह के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अभय कुमार विश्वास, 2. नीरज कुमार राम, 3. मोनु शर्मा एवं श्याम बहरदार को नरपतगंज थाना कांड सं0–54/21 से रिमांड किया गया है, इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–624/21, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 समर्पित किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–93

सं0 2/वि0स0–10–40/2021–गृ0आ0–12996

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

विषय—श्री विद्या सागर केशरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र संख्या 1583, दिनांक 10 जून, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अररिया जिलान्तर्गत फरबिसगंज थानान्तर्गत परवाहा में अस्थायी कैंप है, जो फरबिसगंज थाना से 12 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। परवाहा से सटे आसपास के गाँव/क्षेत्र जैसे खबासपुर, सैफगंज एवं घोड़घाट में आपराधिक गतिविधि एवं मारपीट चोरी, छिनतई की छिटपुट घटना घटित होती रहती है। यहाँ एक दूसरे के जमीन को दखल–कब्जा से संबंधित अधिकतर विवाद होते रहते हैं, जिसे स्थानीय लोगों एवं पुलिस के हस्तक्षेप करने से समस्या का समाधान कर लिया जाता है। वर्तमान में उक्त जगह पर अस्थायी पुलिस कैंप की व्यवस्था है, साथ ही थाना स्तर से भी रात्रि, दिवा एवं संध्या गश्ती के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में विधि–व्यवस्था एवं अपराध को नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में परवाहा में स्थायी रूप से पुलिस आउट पोस्ट बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतएव शून्यकाल सूचना को विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–94

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को सदन मे लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बारूण में रेलवे अन्डरपास के गेज को नीचे करवा देने से स्कूली एवं अन्य बसों का रास्ता अवरूद्ध हो गया। इसका विरोध करने पर आमजन एवं जनप्रतिनिधियों पर 04 फरवरी, 2021 को मुकदमा कर दिया गया। मैं इसकी उच्चस्तरीय जाँच की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बारूण थाना अंतर्गत उक्त घटना से संबंधित बारूण थाना कांड संख्या–24/21 दिनांक 03 फरवरी, 2021 धारा–186/188/434/290/341/147/149/427/353 भा०द०वि० एवं 3/4 सरकारी सम्पति विरूपण अधिनियम को श्री मुकेश कुमार, वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा दर्ज कराया गया है। इस कांड के वादी मुकेश कुमार, पे0–अरविन्द सिंह, ग्राम–अजदा, पोस्ट–सिकरिया, थाना–पालीगंज, जिला–पटना वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि सोन नगर स्थित रेलवे ब्रिज के दोनों तरफ लगे हाईट गेज जो रेल ब्रिज को बढ़े वाहनों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने साथ ही अवैध खनन कर राजस्व चोरी को रोकने के लिए लगाया गया है को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसकी सूचना जिला के वरीय पदाधिकारियों, अंचलाधिकारी बारूण एवं थानाध्यक्ष बारूण को दिया गया एवं बारूण थाना को गश्ती दल के द्वारा रेलवे ब्रिज के पास पहुँच कर रेलवे हाईट गेज को तोड़ने से रोका गया, परन्तु नजायज मजमा द्वारा सरकारी आदेश का अवहेलना करते हुए रेलवे हाईट गेट को तोड़ दिये। तत्पश्चात् वादी घटना की तिथि को शाम समय करीब 18:30 बजे थानाध्यक्ष बारूण एवं सश्स्त्र बल के साथ सोननगर स्थित जाकर रेलवे ब्रिज के दोनों तरफ लगे हाईट गेज की जाँच किये तो दोनों हाईट गेज के उपर लगे लोहे के गार्टर को तोड़ कर बगल मे रखा हुआ पाये, जाँच के क्रम में वादी को गुप्त श्रोतों से पता चला कि वर्तमान विधायक श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के द्वारा अपने समर्थकों 1. कामता सिंह, पे0–रामाधान सिंह, सा0–इंगलिश, 2. अरविन्द सिंह, पे0–स्व0 रामलखन सिंह, सा0–पंडित बिगहा, 3. मनीष कुमार उर्फ अलियार, पे0–अवधेश यादव, सा0–पंडित बिगहा, 4. सुशील कुमार उर्फ छोटन, पे0–कमता सिंह, सा0–इंगलिश, 5. हरेन्द्र पाल, पे0–रामेश्वर पाल, सा0–इंगलिश, 6. रणधीर सिंह, पे0–भगवत सिंह, सा0–इंगलिश 7. सरोज कुमार चौधरी, पे0–मोती लाल चौधरी, सा0–खजुरी फार्म, 8. युगल यादव, पे0–मथुरा सिंह, सा0–हसनपुर, 9. चन्दन कुमार सिंह, पे0–अवधेश सिंह, सा0–बारूण, 10. ददन सिंह पे0–स्व0 गया सिंह, सा0 कोचाढ़, 11. राजा सिंह, पे0–दीपा सिंह, सा0–कोचाढ़, 12. ललन सिंह, पे0–शिव प्रसाद सिंह, सा0–चुरा, 13. बलि सिंह, पे0–स्व0 कालीचरण सिंह, सा0–इंगलिश, 14. सुनील यादव, पे0–सतेन्द्र सिंह, सा0–कटहा टोले जानपुर, 15. अमरेश शर्मा, पे0–सूरज शर्मा, सा0–खैरा, 16. अनुज कुमार, पे0–मोतीलाल सिंह, सा0–खैरा, 17. संजय कुमार, पे0–विजय कुमार, सा0–पंडित बिगहा, 18. नितीश कुमार, सपे0–अरविन्द सिंह, पे0–पंडित बिगहा, 19. सतीश कुमार, पे0–अरविन्द सिंह, सा0–पंडित बिगहा सभी थाना–बारूण, 20. सतीश सिंह, पे0–सुरेश सिंह, सा0–लखैपुर, थाना–नरारीकला एवं अन्य 50–60 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कोचाढ़ स्थित सोन नगर रेलवे ब्रिज के पास दोनों तरफ सड़क जाम कर आवागमन को अवरूद्ध कर जे0सी0बी0 मशीन की मदद से सोन नगर स्थित रेलवे ब्रिज के दोनों तरफ लगे हाईट गेज में उपर लगे लोहे की गार्टर को तोड़कर फेंक दिये, जिससे विधि–व्यवस्था में व्यवधान, आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो गयी। प्राप्त वीडियो फुटेज से इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान स्थानीय नबीनगर विधायक श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह के द्वारा अपने उपरोक्त नामित समर्थकों की मदद से रेलवे ब्रिज के दोनों तरफ लगे हाईट गेज को तोड़े है। तत्पश्चात् वादी के द्वारा उक्त संबंध में आलोच्य कांड दर्ज कराया गया है। उक्त कांड वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त रेलवे के पहले से लगे हाईट गेज के उँचाई का निर्धारिण सहायक मंडल अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, डेहरी ऑन सोन के पत्रांक–W/Bridge/2020 दिनांक 15 जून, 2020 एवं दिनांक 17 जून, 2020 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के अध्यक्षता में हुई बैठक से सहमति उपरान्त किया गया था ।

परिशिष्ट–95

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है। नवीनगर बाजार के व्यापारियों तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए मैं सरकार से नवीनगर बाजार मे एक पुलिस चौकी स्थापित कराने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

नवीनगर थाना से नवीनगर बाजार लगभग 100 मीटर की दूरी से शुरू हो जाता है। बाजार अम्बा–नवीनगर, नवीनगर स्टेशन रोड के दोनों तरफ (उत्तर–दक्षिण) में अवस्थित है। बाजार पूरब–पश्चिम लगभग–2 कि०मी०, उत्तर–दक्षिण लगभग 1.5 कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है।

नवीनगर थाना स्तर से सुरक्षा व्यवस्था/यातायात की समस्या से निपटने के लिए दिवा गश्ती में एक पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक भ्रमणशील रहते हैं। मोटरसाइकिल पेट्रौलिंग के क्रम में एक पुलिस पदाधिकारी के साथ एक चार सशस्त्र बल बाजार मे भ्रमणशील रहते हैं। प्रतिदिन रात्रि गश्ती के क्रम में चार–चार गृहरक्षक की दो टुकड़ी बाजार में पैदल भ्रमणशील रहती है।

विगत एक साल में नवीनगर बाजार कोई आपराधिक घटना नहीं घटी है। नवीनगर बाजार के व्यापारियों तथा आमजनता की सुरक्षा के लिए हर संभव/सार्थक प्रयास थाना स्तर से जारी है। विधि–व्यवस्था बनाये रखने से लेकर अन्य सभी मामलों से निपटने के लिए नवीनगर थाना सक्षम है। वर्तमान में नवीनगर बाजार में पुलिस चौकी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट–96

श्री विजेन्द्र चौधरी, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर के वार्ड न0–01, महापौर निवास के सामने से दिनांक 16 फरवरी, 2021 के 08:57 बजे पूर्वाह्न से सुश्री खुशी कुमारी, पिता–श्री राजन साह जिसकी उम्र मात्र पाँच वर्ष है, अभीतक लापता है।

अतः सरकार से उक्त बच्ची की खोज कर सकुशल लाने हेतु मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी राजन साह, पिता–सुरेश साह, ग्राम–ब्रहमपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर के लिखित आवेदन के आधार पर वादी की नाबालिग बच्ची खुशी कुमारी (उम्र 5–6 वर्ष) जो वादी के घर के सामने पूजा पण्डाल से गायब होने के आरोप में ब्रहमपुरा थाना काण्ड सं0–85/2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 धारा–363 भा0द0वि0 अंतर्गत दर्ज कराया गया है।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 से काण्ड को धारा–363 भा0द0वि0 के तहत प्रथम दृष्टता अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त–अमन कुमार, पिता–श्री अरूण साह, सा0–चकिया श्रीमराम चौक, वार्ड नं0–01, थाना–ब्रहमपुरा, जिला–मुजफ्फपुर, वर्तमान–नाना कौशल साह मोहल्ला संगम चौक पमरिया टोला, वार्ड नं0.–01, थाना–ब्रहमपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा इनके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–47/2021 दिनांक 30 अप्रील, 2021 समर्पित किया गया है। वादी राजन साह की लापता पुत्री खुशी कुमारी की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट–97

श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

श्रीमती कमल देवी पति पूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्व० शोभानन्द झा, ग्राम+पो०–नारायणपट्टी राजनगर, जिला–मधुबनी को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली पेंशन मार्च, 2017 से नहीं मिल रहा है, जिसका भुगतान किया जाये।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 2845/जि०सा०, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती कमल देवी पति स्व० शोभानन्द झा, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी ग्राम+पो०–नारायणपट्टी राजनगर, जिला–मधुबनी को राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता का भुगतान अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी द्वारा श्रीमती कमल देवी के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चिचरी बुजुर्ग के खाता सं०–3606150196 में चेक सं०–341570 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के द्वारा मो०–2,19,032/– (दो लाख उन्नीस हजार बत्तीस रुपये) मात्र की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

परिशिष्ट–98

श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न

मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के पीर नगर पंचायत के ललिया गाँव मे हरदेव मंडल स्व0 कामेश्वर मंडल एक ही परिवार के सदस्यों को निरंतर वर्ष 2009 से 15 मार्च, 2021 तक तीन लोगों की हत्या कर दिया गया है, उस परिवार एवं ग्रामीणों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु ललिया गाँव में पुलिस चौकी स्थापित करावें ।

उत्तर

मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के पीर नगर पंचायत के ललिया गाँव में कामेश्वर मंडल की हत्या वर्ष 2009 में हुई थी तथा हरदेव मंडल एवं रमेश मंडल की हत्या वर्ष 2020 में सहरसा जिला अन्तर्गत बसनही थाना क्षेत्र में हुई थी, जिससे संबधित बसनही थाना काण्ड सं0–10/2020 दर्ज है। उल्लेखनीय है कि ग्राम ललिया सहरसा जिला के बसनही थाना का सीमावर्ती क्षेत्र है। वर्ष 2021 में ग्राम ललिया के दीपा कुमारी की हत्या हुई थी, जिससे संबधित ग्वालपाड़ा थाना काण्ड सं0–45/21 अंकित है।

थाना से लगातार गश्ती होने एवं स्थानीय चौकीदार को प्रतिनियुक्त करते हुए थाना स्तर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। विगत पाँच वर्ष के आपराधिक आँकड़ों से ज्ञात होता है कि उक्त क्षेत्र में हत्या की तीन घटनाएँ एवं चोरी की तीन घटनाएँ दर्ज है। उक्त आपराधिक आँकड़ों के आधार पर ललिया गाँव में पुलिस चौकी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट–99

श्री भूदेव चौधरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना सं0–32/2021 के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"बांका जिला अन्तर्गत धोरैया प्रखंड के मगौंधा गांव एवं बिशनपुर गांव के कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है। अतः उक्त गांव में अवस्थित कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसकी घेराबन्दी जनहित में अविलम्ब कराने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। दोनों कब्रिस्तानों की भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

परिशिष्ट–100

सं0–8/वि0स0–10–08/2021–गृ0आ0–6358

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव।

सेवा में

श्री पवन कुमार सिन्हा,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 (ई0)।

विषय—बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति की विभागीय बैठक के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शून्यकाल–28/21–2541/वि0स0, दिनांक 18 अगस्त, 2021, पत्रांक–शू0का0स0–05/2021–545/वि0स0, दिनांक 02 मार्च, 2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–3698, दिनांक 10 जून, 2021 (अनु0 सहित)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा, के पत्र संख्या–शू0का0सं0–05/2021–545/वि0स0, दिनांक 02 मार्च, 2021 द्वारा श्री मुकेश कुमार यादव/श्री शमीम अहमद एवं श्री पवन कुमार जयसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछे गये प्रश्न एक ही हैं और इस संबंध में विभागीय पत्रांक 3698, दिनांक 10 जून, 2021 द्वारा श्री मुकेश कुमार यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है।

चूँकि उपर्युक्त तीनों माननीय श्री मुकेश कुमार यादव/श्री शमीम अहमद एवं श्री पवन कुमार जयसवाल, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये प्रश्न एक ही हैं। अतः विभागीय पत्रांक 3698, दिनांक 10 जून, 2021 द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रतिवेदन को ही शेष दोनों माननीय, स0वि0स0 का उत्तर समझा जाए और इस संबंध में लंबित सूची के क्रम सं0–9 एवं 10 पर अंकित श्री पवन कुमार जयसवाल एवं श्री शमीम अहमद, मा0 स0वि0स0 द्वारा पूछे गए शून्यकाल प्रश्न को निष्पादित समझा जाए ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव।

सं0–8/वि0स0–10–08/2021–गृ0आ0–3698

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 10 जून, 2021 (ई0)।

विषय—श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर भेजने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र संख्या–शू0का0स0–05/2021–545/वि0स0, दिनांक 02 मार्च, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण) बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या–वि0मं0/41–4–136/2021/541, दिनांक 09 अप्रील, 2021 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज थाना कांड संख्या–34/2021, दिनांक 24 फरवरी, 2021 धारा–324/326/307/302/353/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3(2) (V) V (a) sc/st Act के तहत पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश राम की हत्या एवं चौकीदार लालबाबू पासवान को गोली मारकर जख्मी कर देने के आरोप में दर्ज किया किया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर 02 प्राथमिकी अभियुक्त एवं 01 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं पुलिस अवर निरीक्षक का लूटा गया सरकारी पिस्टल एवं नाइन एम0एम0 का 04 कारतूस बरामद किया गया है। कांड का अनुसंधान जारी है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–101

श्री प्रहलाद यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अप्रील, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा स्थित बैंक ऑफ इण्डिया में कार्यरत कर्मचारी ऋषिदेव को 17 मार्च, 2021 की संध्या बाईक से घर जाने के क्रम में गोली मार कर हत्या कर दी।

अतः सरकार से मांग है कि मृतक के परिवार की सुरक्षा एवं अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाये।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी चंदन कुमार, जिला–लखीसराय के लिखित आवेदन के आधार पर ऋषिदेव कुमार (वादी के भाई) को गोली मारकर हत्या करने के संबंध में लखीसराय जिलान्तर्गत मेदनी चौकी थाना कांड सं0–40/21 दिनांक 18 मार्च, 2021 धारा–302/120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. नूतन मेहता (मृतक की पत्नी), 2. शिवनंदन महतो, 3. ओम महतो, 04. जयन्ती देवी, जिला–लखीसराय एवं दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त नूतन मेहता एवं दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त नूतन मेहता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष तीन प्राथमिकी अभियुक्तों शिवनंदन महतो, जयन्ती देवी एवं ओम महतो उर्फ ओमानन्द की घटना में संलिप्तता के बिन्दु पर वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है। मृतक परिवार की सुरक्षा हेतु निरोधात्मक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष, मेदनी चौकी को निदेशित किया गया है।

परिशिष्ट–102

श्री रण विजय साहु, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अन्तर्गत एक विवाहित महिला के साथ दिनांक 27 जनवरी, 2021 को दुष्कर्म किया गया, जिसका थाना कांड संख्या–24/21 है। इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच कर अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर उजियारपुर थाना कांड सं0–24/21, दिनांक 26 जनवरी, 2021, धारा–342/376/506/34 भा0द0वि0 में पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–02 से इस कांड को धारा–342/376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त कृष्ण कुमार झा, जिला समस्तीपुर के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना बताया गया है, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र सं0–97/21, दिनांक 15 अप्रील, 2021 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा प्रतिवेदन–3 में निर्गत आदेश के अनुसार इस कांड में बनाए गए प्राथमिकी अभियुक्त उपेन्द्र झा को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए धारा–342/376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अंतिम प्रतिवेदन सत्य समर्पित करने का आदेश दिया गया है। कांड का अनुसंधान पूर्ण है।

परिशिष्ट–103

श्री रण विजय साहू, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना।

समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी थाना कांड सं0–81/21 व्यवसायी शशि शर्मा की अपराधियों ने दिनांक 20 मार्च, 2021 को घर में घुसकर एवं पीट–पीट कर हत्या करने के बाद छत से सड़क पर फेंक दिया ।

सभी नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी नवीन कुमार शर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर वादी तथा वादी के भाई शशिकांत शर्मा को छत से नीचे धक्का देकर गिरा देने तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने को आरोप में समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र में कांड सं0–81/21 प्राथमिकी के 8 एवं अन्य 10–12 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।

अनुसंधानोपरान्त एक प्राथमिकी एवं एक अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जबकि 4 प्राथमिकी अभियुक्त न्यायालय में आत्म समर्पण कर जेल में बन्द है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–220/21, दिनांक 15 जून, 2021 समर्पित किया जा चुका है। एवं कांड अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–104

सं0–8/वि0स0–10–12/2021–गृ0आ0–2792

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 25 मार्च, 2021 (ई0)।

विषय—श्री राकेश कुमार रौशन, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र संख्या–शू0का0स0–07/21–711/वि0स0, दिनांक 09 मार्च, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री राकेश कुमार रौशन, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या वि0मं0/41–4–186/2021/452, दिनांक 16 मार्च, 2021 अनुलग्नक सहित (छायप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि पु0अ0नि0, शरद कुमार रंजन, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 से इस्लामपुर थाना में थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हैं। पदस्थापन काल के दौरान इनके द्वारा अबतक बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम–2018 के तहत कुल 224 कांड दर्ज किया गया है, जिसमें कुल–216 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा कुल 112 लीटर देशी एवं 1745 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गयी है। इसी प्रकार अवैध खनन के कुल 33 कांड दर्ज किया गया है, जिसमें कुल–16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष पर शराब माफियाओं के संरक्षण देने से संबंधित किसी भी प्रकार के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही राजस्व की क्षति होने की कोई सूचना नहीं है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0:–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट–105

श्री राकेश कुमार रौशन, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

नालंदा जिला के इस्लामपुर बाजार में दिनांक 01 मार्च, 2021 को अवैध शराब 900 लीटर जप्त करने के बाद थाना अध्यक्ष द्वारा बेच दिया गया है।

अतः मैं मांग करता हूँ कि थाना अध्यक्ष, इस्लामपुर द्वारा जप्त शराब को बेचने की जांच कर कार्रवाई करें ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि इस्लामपुर थाना कांड सं0–113/21, दिनांक 2 मार्च, 2021 धारा–30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम–2016 में जप्त 862.545 लीटर विदेशी शराब उत्पाद निरीक्षक, विजय कुमार एवं राजस्व कर्मचारी, बिहार सिंह, इस्लामपुर अंचल की उपस्थिति में दिनांक 09 अप्रील, 2021 को विनिष्टीकरण कर दिया गया है, जिसके संबंध में इस्लामपुर थाना सनहा सं0–309, दिनांक 09 अप्रील, 2021 अंकित है।

अतः नालंदा जिला के इस्लामपुर में दिनांक 01 मार्च, 2021 को अवैध शराब 900 लीटर जप्त करने के बाद थानाध्यक्ष द्वारा बेच दिये जाने का आरोप बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद है।

परिशिष्ट–106

डॉ० रामबली सिंह यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी थाना के खेमचन्द बिगहा निवासी अजय कुमार का लापता होने की सूचना थाना को 27 जनवरी, 2021 को दी गयी है जिसकी घोषी थाना कांड सं0–38 दर्ज है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में उदासीनता बरती जा रही है। सरकार से यह माँग है कि अजय कुमार को शीघ्र परिजनों को सौंपा जाए ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी सविता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार एवं पप्पू कुमार के द्वारा उनके पुत्र का दिनांक 17 जनवरी, 2021 को अपहरण कर लेने के अरोप में जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी (ओकरी) थाना कांड सं0–38/21 दिनांक 20 जनवरी, 2021 धारा–363/365 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप अंकित किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के उपरान्त यह कांड धारा–363/365/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 02 प्राथमिक अभियुक्त एवं 01 अप्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांड के 01 अन्य प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार ने माननीय न्यायालय में आत्मसर्पण किया है। गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त पप्पू कुमार एवं आत्मसर्पण करने वाले प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 194/21, दिनांक 25 अप्रील, 2021 समर्पित किया जा चुका है। अप्राथमिकी अभियुक्त भोला कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर उसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी करायी गयी परंतु भोला कुमार फिरार पाया गया। तत्पश्चात् भोला कुमार का गिरफ्तारी वारंट न्यायालय को वापस करते हुए इस्तेहार निर्गत करने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है। अपहृत अजय कुमार की बरामदगी अभीतक नहीं हो पायी है। अपहृत की बरामदगी या उसके संबंध में ठोस जानकारी प्राप्त करने हेतु ओ0पी0 अध्यक्ष, ओकरी–सह–अनुसंधानक को कड़े निदेश दिए गए है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–107

सं0–6 / वि0स0–01–50 / 2021–गृ0आ0–3144

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 09 अप्रील, 2021 (ई0)।

विषय—श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को शून्यकाल का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 889, दिनांक 13 मार्च, 2021 के प्रसंग में कहना है कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 793, दिनांक 26 मार्च, 2021 (अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी, काको एवं हुलासगंज थानों में एक–एक मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन उपलब्ध है, जिससे घोसी, काको एवं हुलासगंज प्रखण्ड में अग्निकाण्ड की घटना होने पर अग्निशमन का कार्य किया जाता है। विशेष परिस्थिति में अ0शा0 जहानाबाद से भी उक्त प्रखण्ड में अग्निशमन का कार्य किया जाता है। अ0शा0 जहानाबाद से घोसी प्रखण्ड की दूरी लगभग 10 कि0मी0, काको प्रखण्ड की दूरी लगभग 07 कि0मी0 एवं हुलासगंज प्रखण्ड की दूरी लगभग 17 कि0मी0 है। मोदनगंज प्रखण्ड में अग्निशमन का कार्य घोसी थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन के साथ–साथ अ0शा0 जहानाबाद से भी किया जाता है। घोसी थाना से मोदनगंज प्रखण्ड की दूरी लगभग 05 कि0मी0 तथा अ0शा0 जहानाबाद से मोदनगंज प्रखण्ड की दूरी लगभग 24 कि0मी0 है।

वर्तमान में घोसी, काको, मोदनगंज प्रखण्ड में बड़ी अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतः अनुरोध है कि श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को शून्यकाल को विलोपित करने की कृपा की जाए ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप–निदेशक।

परिशिष्ट–108

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, श्री रामबली सिंह यादव द्वारा पूछे गए शून्यकाल की सूचना ।

शून्यकाल की सूचना

सीमांचल का इलाका अन्तर्राष्ट्रीय व दूसरे राज्यों की सीमा से घिरा है। उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान लाने की मांग करता हूँ।

राज्य सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र में 04 जिले पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया है।

1. **पूर्णियाँ**–पूर्णियाँ जिले का बायसी थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी दिनाजपुर जिले का सीमावर्ती है। यहाँ अन्तर्राज्यीय दालकोला चेकपोस्ट है, जहाँ जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा वाहनों के ओवरलोडिंग एवं परमिट वैधता की जाँच की जाती है। यहाँ उत्पाद विभाग की एक चौकी भी है।

2. **अररिया**–अररिया जिले के निम्नांकित थाने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सीमावर्ती है, जहाँ एस0एस0बी0 की प्रतिनियुक्ति है:–

क्र0 सं0	भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित थाना/ओ0पी0 का नाम ।	थानान्तर्गत एस0एस0बी0 के चेक पोस्ट का नाम।	थानान्तर्गत विशेष शाखा के चेकपोस्ट का नाम ।
1	जोगबनी	जोगबनी तेलियारी, भेड़ियारी, दामा दिघही, कुरमाहा	जोगबनी
2	बथनाहा ओ0पी0	पथरदेवा	
3	फुलकाहा थाना	फुलकाहा	
4	घूरना ओ0पी0	घूरना, पथराहा डुमरबन्ना	
5	बसमतिया ओ0पी0	बेला, बसमतियापूर्वी, टोला, तीनखम्भ	
6	सिकटी	सिकटी बोका मजरख लेटी केलाबाड़ी मुरारीपुर सैदपोखर, सोनापुर आमबाड़ी कुचहा, वारूदह, पीरगंज।	
7	कुँआरी ओ0पी0	कुँआरी, मधुबनी, लैलोखर	
8	सेनामणि गोदाम ओ0पी0	डुमरिया, डुब्बा टोला, आमगाछी	

3. **कटिहार**–कटिहार जिले में निम्नलिखित थाने तथा ओ0पी0 क्षेत्र पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती है:–

क्र0 सं0	भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित थाना/ओ0पी0 का नाम ।	थानान्तर्गत एस0एस0बी0 के चेक पोस्ट का नाम।	थानान्तर्गत विशेष शाखा के चेकपोस्ट का नाम ।
1	अमदाबाद थाना	दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा का सीमावर्ती।	मद्य निषेध चेकपोस्ट 1. बाँध पर 2. गदाई दियारा
2	आबादपुर थाना	दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा का सीमावर्ती।	मद्य निषेध चेकपोस्ट अदमापुर।
3	बलरामपुर थाना	रायगंज का सीमावर्ती	मद्य निषेध चेकपोस्ट बलरामपुर ।
4	आजमनगर थाना	मालदा का सीमावर्ती	
5	तेलता ओ0पी0 (बलरामपुर थाना)	रायगंज का सीमावर्ती	
6	कंचना ओ0पी0 (बारसोई थाना)	रायगंज का सीमावर्ती (कंचना ओ0पी0 से बांग्लादेश का राधिकापुर 60–70 कि0मी0 पर है।	

4. **किशनगंज**–किशनगंज जिले में निम्नांकित थाने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सीमावर्ती है, जहाँ एस0एस0बी0 की प्रतिनियुक्त है:–

क्र0 सं0	भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित थाना/ओ0पी0 का नाम ।	थानान्तर्गत एस0एस0बी0 के चेक पोस्ट का नाम।	थानान्तर्गत विशेष शाखा के चेकपोस्ट का नाम ।
1	दिघलबैंक थाना	दिघलबैंक चेक पोस्ट, डुआटोली मिटमारी, कमला, बालूबाड़ी, पीसटोलो, धनटोला आउटपोस्ट ।	दिघलबैंक चेकपोस्ट
2	कोढ़ोबाड़ी थाना	पलरा, सिहीमाटी, मंडीटोला, कोढोबाड़ी।	
3	गर्वनडंगा	बिहारी टोला, तालवाडी।	
4	टेढागाछ थाना	पेक, टोला बी0ओ0पी0	
5	फतेहपुर थाना	लालपानी बी0ओ0पी0, माफी टोला, बैरिया बी0ओ0पी0 ।	
6	बीबीगंज थाना	विविरा बी0ओ0पी0	
7	गलगलिया थाना	बक्सर भिठ्ठा, भातगाँव, निबूगुरी, नगरडूब्बा बी0ओ0पी0 ।	गलगलिया चेकपोस्ट
8	कुर्लीकोट थाना	कुर्लीकोट, खटखटी, टावल, भिठ्ठा, नौडुबा।	
9	जियापोखर थाना	जियापोखर कददू, भिठ्ठा, गिलहवाडी, आमबाडी, राजागाँव।	
10	पाठमारी थाना	पाठमारी, धोबी, भिठ्ठा, गणेश टोला।	

राज्य के सीमांचल क्षेत्र के जिन जिलों से भारत–नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, वहाँ एस0एस0बी0 की प्रतिनियुक्ति है। एस0एस0बी0 के साथ संबंधित जिला पुलिस समय–समय पर सम्मिलित बैठक करते रहते है।

कटिहार जिला के कंचना ओ0पी0 से पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिला से होकर पश्चिम बंगाल का राधिकापुर गांव 60–70 कि0मी0 दूरी पर है जो बांग्लादेश सीमा पर है।

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि सीमांचल की सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट–109

श्री राजेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"गोपालगंज जिला में दिनांक 24 फरवरी, 2021 को उचकागाँव में गैस एजेंसी के 03 कर्मियों को लूट–पाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर लुटेरे भाग निकले ।

अतएव उक्त घटना से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करते हुए घायलों को 5–5 लाख रुपये सरकारी सहायता देने की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी सुदामा माँझी, जिला–गोपालगंज के लिखित आवेदन के आधार पर पाँच अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध उचकागाँव थाना कांड सं0–71/21, दिनांक 25 फरवरी, 2021 धारा–395/397 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट अधिनियम एवं 3(i)(r)/3(2)(va) अनु0 जाति/जन–जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज किया गया है। कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण अंतर्गत सात प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

अभियुक्त 1. नितेश कुमार उर्फ नेहाल, 2. उमाशंकर गुप्ता उर्फ मिट्ठु, उचकागाँव, थाना काण्ड संख्या–160/21 से 3. विरेश यादव, उचकागाँव, थाना काण्ड संख्या–162/21, 4. अमित कुमार पाण्डेय उर्फ बैताल को मीरगंज थाना काण्ड संख्या–155/21 से रिमांड पर अनुसंधानोपरान्त चारों के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–180/21, दिनांक 17 अगस्त, 2021 को माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है।

अभियुक्त 1. सुदामा नट पे0–सर्फद्दीन नट, 2. मंजूर आलम, पे0–स्व0 दरोगा मियाँ, 3. शैलेश चौहान, पिता–सुदामा चौहान सभी थाना–मीरगंज, जिला–गोपालगंज के गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तीनों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने हेतु माननीय न्यायालय में अनुरोध किया गया है। इस तरह की घटना में विभागीय संकल्प संख्या 8960, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के आलोक में अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है।

परिशिष्ट–110

श्री शम्भु नाथ यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

भोजपुर (आरा) और राजधानी पटना को जोड़ने वाला कोईलवर में सोन नदी पर बने हुए नये पुल पर प्रशासन की लापरवाही से विगत 15 दिनों से गिद्धा से बिहटा तक महाजाम लगा हुआ है, जिससे आम जनता एवं मरीजों को पटना आने–जाने में कठिनाई हो रही है, सरकार महाजाम से निजात दिलावे ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि डोरीगंज से छपरा टाउन होकर निकलने वाले वाहनों एवं दूसरी तरफ से सहार, संदेश चांदी की ओर तथा रानी तालाब, मनेर बिहटा एवं अन्य खनन वाली जगहों से निकलने वाली ट्रक बिहटा से कोईलवर की ओर आने वाली रोड में खडी रहने के कारण एक लाईन में ट्रकों की कतार लग जाती है। वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण दूसरी लेन से सवारी/निजी वाहन चालकों द्वारा आगे निकलने की होड़ में ओवरटेक से कभी–कभी जाम की समस्या होती है। यातायात संचालन हेतु उक्त मार्ग पर पटना एवं भोजपुर पुलिस द्वारा पालीवार पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। साथ ही संबंधित थाना स्तर से लगातार निगरानी रखी जाती है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले कुल 1541 वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस द्वारा जनवरी 21 से मार्च 21 तक रु० 14,56,000/– (चौदह लाख छप्पन हजार) एवं आरा पुलिस एवं खनन विभाग द्वारा वर्ष 2020 में रु० 74,35,949/– (चौहत्तर लाख पैंतीस हजार नौ सौ उनचास) तथा थाना द्वारा रु० 2,40,500/– (दो लाख चालीस हजार पाँच सौ) शमन के रूप में वसूल की गई है ।

परिशिष्ट–111

श्री शाहनवाज, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम–महसेली निवासी मो0 इमरान, पिता–मो0 लईक को बौसी थाना द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2021 को हत्या के संदेह के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 28 फरवरी, 2021 के सुबह में हाजत में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया ।

मैं सदन से उच्चस्तरीय जाँच की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बौसी थाना काण्ड सं0–23/21 में अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान में पाये गये साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 28 फरवरी, 2021 को रात्रि में मो0 इमरान उर्फ इम्मा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से कांड की मृतिका चिलनी देवी का मोबाईल फोन बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के पश्चात् मो0 इमरान उर्फ इम्मा को बौसी थाना हाजत में बन्द कर पहरा ड्यूटी को तैनात किया गया था। विदित हो कि बौसी थाना मे लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे के वीडियों फूटेज के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हाजत में बन्द कैदी मो0 इमरान के द्वारा हाजत के गेट में कपड़ा बांध कर फांसी लगाने का प्रयास किया जा रहा था। थाना पर मौजुद पुलिस कर्मी के हाजत की तरफ आने की आहट पर मो0 इमरान बिल्कुल शांत हो ता रहा था परन्तु अन्ततोगत्वा मो0 इमरान के द्वारा थाना हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। तत्पश्चात मो0 इमरान के गले का फंदा काटकर हाजत से निकालने के उपरांत सदर अस्पताल, अररिया भेजा गया तथा उसका पोस्मार्टम कराया गया। उक्त घटना को लेकर बौसी थाना यू0डी0 कांड संख्या–01/21 दिनांक 28 फरवरी, 2021 प्रतिवेदित हुआ है। कांड अनुसंधानांतर्गत है।

परिशिष्ट–112

श्री शाहनवाज, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना।

अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के ग्राम–बलवा के मो0 अशरफ अली, पिता–मो0 बसी अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से दिनांक 23 फरवरी, 2021 शाम से लापता है।

अतः मैं सदन से उच्चस्तरीय जाँच की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि मो0 अशरफ अली, पिता–मो0 बसी अहमद, ग्राम–बलुआ, प्रखंड–पलासी, जिला–अररिया के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से दिनांक 23 फरवरी, 2021 शाम से लापता होने के संबंध में पलासी थाना द्वारा उनके ग्राम बलुआ स्थित निवास पर जाकर सत्यापन किया गया। उस समय मो0 अशरफ अली को अपने घर पर उपस्थित पाया गया। मो0 अशरफ अली द्वारा घोषणा–पत्र दिया गया है कि उनके परिवार द्वारा उनके गुम होने की कोई सूचना पलासी थाना में नहीं दी गई है।

परिशिष्ट–113

श्री संदीप सौरभ, माननीय स०वि०स० का शून्यकाल सूचना।

अरवल–आरा व आरा–छपरा पुल पर आए दिन अवैध बालू उत्खन्न के कारण जाम लगता है। बड़हरा और डोरीगंज थाने की मिली भगत से अवैध खनन चलता है। माफियाओं द्वारा हथियार के बल पर दाहिने साईड से ट्रकों को निकलवाया जाता है।

त्वरित कार्रवाई की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि आरा–छपरा पुल के लिए बबुरा चेक पोस्ट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल कार्यरत हैं तो तीन शिफ्ट में कर्त्तव्यरत रहते हैं। अरवल–आरा पुल पर भी दो से तीन पुलिस कर्मी/चौकीदार प्रतिनियुक्त हैं। वर्तमान में जाम की समस्या समाप्त हो चुकी है। बड़हरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन में संलिप्त कई व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किया गया है एवं अवैध बालू खनन की रोकथाम हेतु टीम गठित कर लगातार छापामारी की जा रही है। आरा–छपरा पुल पर माफियाओं द्वारा हथियारों के बल पर दाहिने साईड से ट्रकों को निकलवाने की बात प्रकश में नहीं आई है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध समुचित जुर्माना एवं वाहन जप्त करने की कार्रवाई की जाती है।

परिशिष्ट–114

श्री संदीप सौरभ, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल

पटना के पीरबहोर थाना प्रभारी दवाई, प्रिंटिंग, शराब, इलेक्ट्रॉनिक, कोचिंग आदि के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, दूसरी ओर वे विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से 307 जैसी संगीन धारायें लगाकर उत्पीड़न करते हैं व मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी हैं।

तत्काल बर्खास्तगी व कार्रवाई की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

पुलिस मुख्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि थानाध्यक्ष, पीरबहोर पर लगाये गये आरोप की जाँच नगर पुलिस उपाधीक्षक, पटना से कराई गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि दवाई, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कोचिंग आदि के व्यवसाय में थानाध्यक्ष की कोई भुमिका नहीं होती है। दवाई, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कोचिंग आदि के व्यवसाय से संबंधित विभाग के द्वारा इन पर निगारानी रखी जाती है तथा आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। पीरबहोर, थानाध्यक्ष के द्वारा ऐसे किसी मामलों में हस्तक्षेप एवं शिकायत की बात प्रकाश में नहीं आयी है।

शराब के मामलों में सूचना/आसूचना मिलने पर पीरबहोर, थानाध्यक्ष के लगातार कार्रवाई की जा रही है और विगत 01 वर्ष में मद्यनिषेध अधिनियम अन्तर्गत पीरबहोर थाना में 142 कांड दर्ज किये गये हैं, जिसमें 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और देशी शराब–1550.95 लीटर एवं विदेशी शराब–885 लीटर बरामद कर जप्त किया गया है। जाँच के क्रम में पीरबहोर, थानाध्यक्ष द्वारा शराब के मामलों में संलिप्त रहने का कोई तथ्य प्रकश में नहीं आया है।

पटना कॉलेज के छात्रों द्वारा आपस में बराबर लड़ाई–झगड़ा, मारपीट किया जाता है तथा छात्रों के अलग–अलग गुटो के बीच आपस में वैमनस्यता के कारण पीरबहोर थाना में प्राप्त आवेदन/फर्दब्यान में वर्णित शिकायत के आधार पर प्रभारी के द्वारा संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी दर्ज की जाती है। जाँच के दौरान छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से 307 जैसी संगीन धाराएँ लगाने, उत्पीड़न करने एवं मानवाविधकार उल्लंघन करने से संबंधित आरोप का सत्यापन नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट–115

श्री संतोष कुमार मिश्र, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"रोहतास जिलान्तर्गत परसथुओं थाना के ग्राम–कथराई के निकट दिनांक 15 मार्च, 2021 को बेखौफ अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी श्री रामाशंकर सेठ को दिन–दहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर आभूषण लेकर फरार हो गये ।

अतः उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी तथा गरीब व्यवसायी के समुचित इलाज की सरकार से मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि मामले के संबंध में कोचस (परसथुआ) थाना कांड सं0–33/21 दिनांक 15 मार्च, 2021 धारा–394/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है।

दिनांक 15 मार्च, 2021 को अपराधियों द्वारा 02 घटना कारित की गई। प्रथम घटना ग्राम–ईटवा के पश्चिम पक्की सड़क है, जहाँ समय 01:30 बजे दिन में वादी राम सूरत सेठ जो फेरी लगाकर आभूषण बेचते हैं, से सफेद बोलेरो पर सवार तीन अपराधकर्मी आकर आभूषण का झोला, जिसमें 03 कि0ग्रा0 चांदी का आभूषण था, को छीनकर कथराई गाँव के तरफ भाग गये। दूसरी घटना पुनः करीब 10 मिनट के बाद कथराई नहर के पास दूसरे फेरी वाले रामाशंकर सेठ (55 वर्ष) पिता–स्व0 जीतबंधन सेठ, सा0–धनेज, थाना–करगहर, जिला–रोहतास से दिन के 01:40 बजे उसी बोलेरो सवार तीन अपराधकर्मियों द्वारा पेट में गोली मारकर आभूषण का झोला छीन लिया गया और सभी कुदरा के तरफ भाग गये। जख्मी रामाशंकर सेठ को बेहतर इलाज हेतु बनारस रेफर कर दिया गया, जहाँ ट्रामा सेंटर में इलाज चला और गोली निकाल दी गयी। दिनांक 28 मार्च, 2021 को इलाजोपरान्त रामाशंकर सेठ वापस घर पर आये, जिसके बाद उनका फर्दब्यान लिया गया है, जिसमें करीब डेढ़ लाख रूपया का आभूषण अपराधियों द्वारा ले लेने की बात बताई गई। साथ ही यह भी आशंका व्यक्त किये कि इस घटना के पीछे वादी रामसूरत सेठ का भी हाथ हो सकता है, जिनसे पूर्व में जमीनी विवाद एवं व्यवसाय को लेकर प्रतिद्वंदिता थी। इस बिन्दु पर रामसूरत सेठ एवं उनके पुत्र धीरत सेठ के मोबाईल नम्बर का डिटेल लेकर विश्लेषण किया जा रहा है।

घटना कारित करने वाले तीनों अपराधियों का हुलिया एवं उम्र के आधार पर आसपास के पूर्व अपराधियों का सत्यापन किया गया है। परसथुआ बाजार के सी0सी0टी0वी0 फुटेज का भी अवलोकन किया गया है, परन्तु बोलेरो के नम्बर की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। घटना स्थल ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण यहां आस–पास के क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा उपलब्ध नहीं पाया है। डी0आई0यू0 टीम के द्वारा घटना स्थल से डम्प डाटा प्राप्त कर विश्लेषण किया गया है। वादी रामसूरत सेठ के लूटे गये मोबाईल सैमसंग की पैड मोबाईल का आई0एम0ई0आई0 नम्बर सर्विलांस में डाला गया है, परन्तु इसमें अभीतक कोई सिम चालू नहीं हुआ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, रोहतास द्वारा SIT का गठन कर छापामारी किया जा रहा है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–116

सं0–2/वि0स0–10–01/2022–गृ0आ0–9911

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 (ई0)।

विषय—श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 3518, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी के उद्देश्य से बक्सर जिला सहित बिहार के अन्य जिलों में यातायात थाना का सृजन करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री महोदय की सैद्धांतिक सहमति के पश्चात् संलेख प्रारूप सहित संचिका प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

अतएव अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से माननीय स0वि0स0 को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप–सचिव।

परिशिष्ट–117

सं0–3 / वि0स0–50–53 / 2021–गृ0आ0–1708

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री अभय शंकर राय,
अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना के संबंध में।

प्रसंग—विधान सभा सचिवालय का पत्र संख्या शून्यकाल सं0–11 / 2021 दिनांक 15 मार्च, 2021।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले पर पुलिस मुख्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कांड वादी रवि भूषण पाण्डेय के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पुत्र को जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला देने तथा इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के आरोप में अंकित कराया गया है।

कांड दर्ज होने के पश्चात् मृतक का अन्य परीक्षण कराकर चिकित्सक के परामर्शानुसार मृतक का भिसरा जाँच हेतु भेजा गया है। भिसरा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर बताया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अनुसंधान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय पुलिस पदाधिकारी के साथ विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के कांड का अनुसंधान शीघ्र पूरा कराकर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया जा रहा है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विधान सभा सचिवालय को पुनः प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–118

श्री सुधाकर सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत आदापुर थानाध्यक्ष द्वारा पुलिसिया जुल्म उजागर करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा आंदोलन तथा प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि आंदोलन बंद करो अन्यथा प्राथमिकि दर्ज की जाएगी। घटना की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करें ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि श्री रमेश कुमार सिंह, राजद जिलाध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ एवं उनके सहयोगियों द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए आदापुर थानान्तर्गत श्यामपुर बाजार में लोकस्थान पर धरना प्रदर्शन एवं आमसभा किया जा रहा था। कोरोना महामारी के तहत निर्गत लॉकडाउन के नियम के अंतर्गत पूर्व अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था ।

श्री रमेश कुमार सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए सार्वजनिक स्थान पर किए जा रहे धरना, प्रदर्शन, आम सभा विधि विरुद्ध प्रतीत होने के कारण नोटिस के माध्यम से सूचना देने पर धरना प्रदर्शन बंद किया गया ।

परिशिष्ट–119

श्री सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"कैमूर जिला में दुर्गावती थाना अंतर्गत दिनांक 06 मार्च, 2021 की रात डिलखिली टोल प्लाजा पर ट्रक लदे बालू माफियाओं ने टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट कर बगैर टोल टैक्स दिये गाड़ी पार किए, घटना की उच्चस्तरीय जाँच कर बालू माफियाओं पर कार्रवाई करें।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत थानाध्यक्ष दुर्गावती एवं मोहनिया थाना से दिनांक 06 मार्च, 2021 की तिथि एवं इसके बाद की तिथि में टॉल प्लाजा कर्मी द्वारा मारपीट की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है। मामला दर्ज होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–120

सं0–8/वि0स0–10–20/2021–गृ0आ0–1566

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 21 फरवरी, 2022 (ई0)।

विषय—श्री सुधाकर सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0स0–18/2021–1609/वि0स0, दिनांक 11 जून, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री सुधाकर सिंह, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक वि0मं0/41–4–269–2021/163, दिनांक 11 फरवरी, 2022 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है।

पत्र के अनुसार विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में नियुक्त मैट्रिकुलेट सिपाही 1986 से 1998 तक के जो हवलदार पद में प्रोन्नति पा गए, उन्हें पुनः स्वेच्छा पत्र प्राप्त कर पुलिस मैनुअल 684 के तहत बिहार पुलिस के सदृश्य सैन्य पुलिस के हवलदारों/सिपाहियों को भी पी0टी0सी0 प्रशिक्षण में सम्मिलित करने हेतु कोई मामला विचाराधीन नहीं है। ज्ञातव्य हो कि बिहार पुलिस हस्तक नियम 684 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पर लागू नहीं है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–121

डॉ0 सुधाकर सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

सिवान जिला के प्रखण्ड दरौंदा अंतर्गत सिरसॉव पंचायत के मुखिया द्वारा सूचनादाता को विगत 22 जनवरी, 2021 को जाकर पिटाई कर घायल किया गया। शिकायत करने पर भी प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मुखिया द्वारा शिकायत वापस लेने हेतु धमकी दिया जा रहा है। सरकार उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों को दंडित करें ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी राजीव कुमार, जिला–सिवान के लिखित आवेदन के आधार पर दरौंदा थाना कांड सं0–292/2021 दिनांक 29 सितम्बर, 2021 धारा–341/323/504/506/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरान्त प्राथमिकी अभियुक्त 01. धनु भारती, 02. मनीष शुक्ला के विरुद्ध धारा–504/506 भा0द0वि0 अंतिम प्रतिवेदन सं0–221/2021 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 असंज्ञेय समर्पित किया जा चुका है।

परिशिष्ट–122

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"शिक्षा, व्यवस्था रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया जिसमें माले विधायक संदीप सौरभ, मनोज मंजिल, अजित कुशवाहा सहित दर्जनों युवा घायल हो गये। सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए अपने वायदेनुसार 19 लाख स्थायी रोजगार की व्यवस्था करावे ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ (आईसा), इंकलाबी नौजवान सभा सहित भाकपा/माले के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा शिक्षा एवं रोजगार की विभिन्न को लेकर दिनांक 01 मार्च, 2021 को गाँधी मैदान के पास जुलूस/प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्त की गई थी। लगभग 13:00 बजे श्री मनोज मंजिल, श्री अजीत सिंह कुशवाहा एवं श्री संदीप सौरव ए0आई0एस0ए0 नेता श्री मुख्तार, इंकलावी नौजवान सभा के श्री सुधीर कुमार आदि के नेतृत्व में करीब 1000–1200 लोक कारगिल चौक होते हुए जुलूस/प्रदर्शन की शक्ल में जे0पी0 गोलम्बर पहुँच गये। इनके द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी ।

करीब 13:30 बजे गाँधी मैदान, जे0पी0 गोलम्बर से विधान सभा की ओर मार्च करने के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ जाने पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस द्वारा आंदोलनकारियो को रोका गया। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा प्रदर्शन को बिना अनुमति का होने, यातायात ठप हो जाने के आधार पर अवैध घोषित करते हुए समाप्त करने का अनेकों बार माईक से उदघोषणा कर अनुरोध किया गया। उसके बावजूद भी आंदोलनकारियों द्वारा धक्का–मुक्की कर बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात् उग्र आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस पर ईंट–पत्थर चलाना शुरू कर दिया गया। पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु अश्रु गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी आंदोलनकारी डटे रहे और पुलिस बल पर रोड़ेबाजी करते रहे। पुलिस द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर आंदोलनकारी को जुलूस को तितर–बितर किया गया, जिसके फलस्वरूप 13:45 बजे जुलूस समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों के ईंट–पत्थर से 01 दंडाधिकारी तथा 07 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी घायल हुए ।

इस संबंध में श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर के टंकित आवेदन के आधार पर गाँधी मैदान थाना कांड सं0–143/2021, दिनांक 01 मार्च, 2021 धारा 269/147/149/188/353/341 भा0द0वि0 एवं 3 Epidemic Disease Act & 3/4 Loudspeaker Act के अंतर्गत माननीय विधायक श्री मनोज मंजिल एवं 06 (छः) नामजद तथा 1000–1200 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। वर्तमान में काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–123

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

थानों में कार्यरत प्राईवेट ड्राईवरों को नियमित करने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि थानों में प्राईवेट ड्राईवर रखने के संबंध में कोई सरकारी प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट–124

सप्दश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

सूचना

गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक एल/एच0जी0–1703/02 के आलोक में पत्रांक 80066, दिनांक 31 जनवरी, 2011 को जिलावार पद 11122 गृह रक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। जिसके अनुसार प0 चम्पारण में भी बहाली की मांग करता हूँ।

उत्तर

1. आंशिक रूप से स्वीकार्य।

2. वस्तुस्थिति यह है कि पत्रांक 80066, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा जिलावार पद 11122 गृह रक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें प0 चम्पारण जिला के लिए 236 ग्रामीण एवं 29 शहरी कुल 265 पदों पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु रिक्तियाँ थी ।

3. प0 चम्पारण जिला के लिए 236 ग्रामीण एवं 29 शहरी कुल 265 पदों पर स्वच्छ नामांकन हेतु जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण के पत्रांक 153, दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर को रोस्टर अभिमत के गठन का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके आलोक में प्रमडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 537, दिनांक 20 फरवरी, 2020 द्वारा आठ बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रस्ताव वापस किया गया है। उक्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु पुराने अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। रोस्टर प्रस्ताव में प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर का अनुमोदन प्राप्त होते ही गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

4. विभाग द्वारा विज्ञापन सं0–02/11 के अंतर्गत, जिन जिलों में नामांकन की प्रक्रिया लंबित है, उनसे संबंधित जिला पदाधिकारियों को वांछित मार्गदर्शन प्रदान करते हुए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु विभागीय पत्रांक 2021, दिनांक 17 मार्च, 2021, पत्रांक–3114, दिनांक 11 जून, 2021 एवं पत्रांक 3824, दिनांक 08 जुलाई, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है तथा प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया है।

परिशिष्ट–125

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

बगहा पुलिस जिला अन्तर्गत आदिवासी छात्रा बलात्कार व हत्या कांड के सभी दोषियों की अविलम्ब गिरफ्तारी व स्पीडी ट्रायल, मृतका के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी देने की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बगहा पुलिस जिलान्तर्गत आदिवासी छात्रा बलात्कार व हत्या के संबंध में वादी प्रभु उरांव के लिखित आवेदन के आधार पर सेमरा (चिउटाहां) थाना कांड सं0–27/21, दिनांक 16 मार्च, 2021 धारा 363/376(D)/302/201/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(s)(w) SC/ST Act. के अंतर्गत कांड दर्ज कराया गया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त राजु बैठा एवं अप्राथमिकी अभियुक्त झुलन खाँ के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप–पत्र सं0–75/2021 दिनांक 06 जून, 2021 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा कांड का निष्पादन हो चुका है। अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड का त्वरित विचारण हेतु प्रतिवेदन उचित माध्यम से माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है।

सेमरा (चिउटाहां) थाना कांड सं0–27/21 दिनांक 16 मार्च, 2021 के वादी श्री प्रभू उरांव को मुआवजा की राशि जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के द्वारा पहली किश्त–4,12,500/–रू0 एवं दूसरी किश्त–4,12,500/– रु0 कुल 8,25,000/– (आठ लाख पच्चीस हजार) रु0 उनके खाते में हस्तगत कराया गया है।

विभागीय संकल्प के आलोक में इस तरह की घटना में मृतक के परिजन को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट–126

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य :–

शून्यकाल

"पूर्वी चम्पारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के हत्यारों के राजनीतिक संरक्षण और हत्याकांड का विरोध कर रही जनता को गिरफ्तार करने की घटना में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि हरसिद्धि थाना कांड सं0–107/21, दिनांक 16 मार्च, 2021 धारा–147/148/149/109/120(बी)/151/152/186/341/323/324/307/353/332/333/431/427/435/337/504/506 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 लोक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम से संबंधित है।

कांड के वादी पुलिस अवर निरीक्षक, शैलेन्द्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष हरसिद्धि के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद 166 अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात लगभग 800 पुरूष एवं महिला के विरुद्ध अपराधिक षड्यंत्र रचकर लोगों को उकसाकर पुलिस पदाधिकारी एवं बल पर जानलेवा एवं प्राणघातक हमला करने, सरकारी कार्य में जान–बूझकर बाधा डालने, हथियार छिनने का प्रयास करने, अपराधकर्मी के पास से बरामद माटरसाइकिल को जला देने, पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ धक्का–मुक्की, मारपीट, ईंट–पत्थर, लाठी–डंडा, भाला, गड़ासा चलाकर जख्मी करने, मृतक के शव को सड़क पर रख मार्ग को अवरूद्ध करने, पुलिस अभिरक्षा में पकड़ाये अपराधकर्मी को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी करे आदि के आरोप में पंजीकृत हुआ है। उक्त कांड में 19 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी जख्मी हुए हैं। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड में सभी दर्ज धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के सभी 166 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात शामिल करीब 800 महिला/पुरूष के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में दिनांक 16 मार्च, 2021 को कुल 52 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तारी उपरांत दिनांक 17 मार्च, 2021 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कांड में किसी भी निर्दोष परिजन एवं जनता को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया है। साक्ष्यनुसार कुल 52 प्राथमिकी अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित किया गया है। बाद में भी 06 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य सत्य पाये गये प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान हेतु कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

मृतक पवन कुमार गुप्ता की हत्या के संबंध में उनकी पत्नी किरण देवी द्वारा कांड दर्ज कराया गया है, जो हरसिद्धि थाना कांड सं0–108/21 दिनांक 18 मार्च, 2021 धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। अनुसंधान पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन से यह कांड धारा 302/120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी के सभी नामजद 10 अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह और जितेन्द्र कुमार उर्फ राजन को गिरफ्तारी उपरान्त न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया है। विजय कुमार उर्फ चुन्नु कुमार को इस कांड में रिमाण्ड किया जा चुका है शेष 07 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तारी सहित अन्य बिंदुओं पर कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–127

पत्रांक–कारा/05–10/2021–6438

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र)
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (ई0)।

विषय––श्री चेतन आनन्द मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत एवं सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

प्रसंग––भवदीय पत्रांक 1337/वि0स0, दिनांक 9 अप्रील, 2021 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, श्री चेतन आनन्द मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत एवं सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल की सूचना का उत्तर 05 (पाँच) प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
(ह0) अस्पष्ट,
सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र)
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

श्री चेतन आनंद, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत एवं सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल की सूचना।

कोरोना संकट के साल पूरे हुए । सभी संस्थान खुल गए। जेलों में बंदियों की मुलाकात पर रोक है। कोरोना के कारण उन्हें अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया। वे अपने परिजनों, वकीलों से बातचीत और भेंट को मुहताज हैं। मैं उनकी वापसी और मुलाकात शुरू करने की मांग करता हूँ।

शून्यकाल की सूचना का उत्तर

1. नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों को नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव हेतु Social Distancing का व्यवहार करने एवं बंदियों के बीच संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों के परिजनों से मुलाकात पर विभागीय पत्रांक 2169, दिनांक 17 मार्च, 2020 के द्वारा रोक लगायी गई है, परन्तु राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों को VC से मुलाकात एवं दूरभाष के माध्यम से वार्ता की सुविधा दी गई है। इस प्रकार VC के माध्यम से दिनांक 25 मार्च, 2020 से 19 जुलाई, 2021 तक कुल–79140 बंदियों को परिजनों से ई–मुलाकात कराया गया एवं दूरभाष के माध्यम से मार्च–2020 से 05 जुलाई–2021 तक कुल–100611 बंदियों को परिजनों से वार्ता की सुविधा दी गई। वर्तमान में भी बंदियों को उक्त दोनो सुविधाएँ दी जा रही है तथा दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक राज्य के काराओं में संसीमित सजावार/विचाराधीन पुरूष/महिला बंदियों को कोविड–19 का 1st Dose 49501 एवं 2nd Dose 4579 का टीकाकरण कराया गया ।

2. कोरोना के कारण बंदियों को एक कारा से दूसरे कारा में स्थानान्तरण के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SUO MOTU WRIT PETITION (C) No. 01/2020 में दिनांक 23 मार्च, 2020 को पारित आदेश के आलोक में Novel Corona Virus (Covid-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य की काराओं में जनाकीर्णता की समस्या को कम करने एवं Social Distancing बनाये रखने हेतु बंदियों को जहाँ संसीमन क्षमता से अधिक बंदी संसीमित है, उन काराओं में स्थानांतरित किया गया है, जहाँ संसीमन क्षमता के कम बंदी संसीमित है।

परिशिष्ट–128

सं0–8/वि0स0–10–09/2021–गृ0आ0–7946

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री अमय शंकर राय,
अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री अरूण सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शून्यकाल–02/2021–536/वि0स0, दिनांक 01 मार्च, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री अरूण सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्र संख्या–वि0मं0/41–4–184/2021/985, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि वादी मलिक पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर संझौली थाना कांड सं0–24/21, दिनांक 21 फरवरी, 2021 धारा 341/323/504/506/307/34 भा0द0वि0 एवं 3(i) (r)(s)sc/st Act दर्ज किया गया है। काण्ड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से काण्ड में अंकित धारा के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद 04 अभियुक्त एवं अज्ञात 08–10 के विरुद्ध सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त सिद्धनाथ सिंह, पे0 स्व0 कपिल सिंह, सा0–तिलई, थाना–संझौली, जिला–रोहतास को गिरफ्तार किया गया है। शेष 03 अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट हेतु प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–129

श्री अरूण सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"काराकाट विधान सभान्तर्गत सकला बाजार पर शिवजी साह की दुकान है। मिठाई खरीदने में मोल भाव का बहाना बनाकर अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई, जिसमें रौशन साह की मौत व अरूण साह घायल हो गया ।

मैं अपराधियों की गिरफ्तारी, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सहित मुआवजे की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि काराकाट थाना कांड सं0–43/21, दिनांक 08 मार्च, 2021 धारा–302/307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम वादी शिव प्रसाद साह, पे0–स्व0 पुनदेव साह, साकिन–नाथा बिगहा, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास के फर्दब्यान के आधार पर दर्ज किया गया है।

दिनांक 08 मार्च, 2021 को समय करीब 04:00 बजे शिव प्रसाद साह (उम्र 48 वर्ष), पे0–स्व0 पुनदेव साह, सा0–नाथा बिगहा, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास के मिठाई दुकान पर 1. सुजित पाण्डेय उर्फ बिट्टू उम्र करीब 30 वर्ष, पे0–सुनिल कुमार पाण्डेय, सा0–सकला बाजार, थाना–कराकाट, जिला–रोहतास आये और मिठाई खाये। मिठाई का पैसा शिव प्रसार साह का बड़ा लड़का रौशन कुमार द्वारा मांगा गया तो उनके द्वारा मिठाई का पैसा देने से आना–कानी किया जाने लगा और गाली–गलौज करते हुए लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगे। यह देखकर आस–पास के दुकानदार आ गये और बीच बचाव कर झगड़ा शान्त कराये। इसके बाद सुजित पाण्डेय उर्फ बिट्टु जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। कुछ देर के बार समय करीब 04:20 बजे सुजित पाण्डेय उर्फ बिट्टु अपने हाथ में देशी पिस्टल लेकर आया और शिव प्रसाद साह के दोनों लड़का पर जान मारने के नियत से अंधाधुंध गोली चलाने लगा, जिससे उनका बड़ा लड़का रौशन कुमार को छाती में गोली लगने से उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई तथा छोटा लड़का अरूण कुमार को पेट में गोली लगा, जिससे वह जख्मी होकर गिर गया। गोली का आवाज सुनकर आस–पास के दुकानदार एवं ग्रामीण लोग आ गये तब अभियुक्त सुजित कुमार पाण्डेय उर्फ बिट्टु पिस्टल लेकर भाग गया । इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी अरूण कुमार को इलाज के लिए करूणा अस्पताल, बिक्रमगंज लाया गया, जहां उसका ईलाज चला।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–02 से कांड को धारा–302/307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त सुजित पाण्डेय उर्फ बिट्टू के विरुद्ध सत्य पाते हुए कांड के एक मात्र अभियुक्त सुजित पाण्डेय उर्फ बिट्टु को दिनांक 09 मार्च, 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–130

श्री अरूण सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना

काराकाट कांड सं0–176/20 दिनांक 15 नवम्बर, 2020 के अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट से कुर्की जप्ती के आदेश के बाद भी पुलिस कुर्की जप्ती नहीं की है। मुदालय डरे सहमे हैं।

मैं माँग करता हूँ कि पुलिस निष्क्रीयता की जाँच कुर्की जप्ती की अविलंब कार्रवाई हो ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि कांड के वादी रंजीत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के 5 अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पिता को गोली मारकर हत्या के आरोप में दर्ज किया गया है। कांड के प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0–22/21 दिनांक 29 जनवरी, 2021 को समर्पित किया जा चुका है। एक अभियुक्त को अनुत्प्रेषित तथा एक को मृत दिखाया गया है। दो अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उनके विरुद्ध भी पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

परिशिष्ट–131

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"मधुबनी जिला के जयनगर थाना में थानाध्यक्ष की लापरवाही से हाल के दिनों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना एवं अन्य अपराधिक घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हो गई है। जयनगर थाना एवं आस–पास के लोगों में दशहत व्याप्त है। शीघ्र विधि–व्यवस्था नियंत्रण हेतु सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि विगत छः माह (सितम्बर 2020–फरवरी 2021) में जयनगर थाना में वृहत शीर्ष यथा हत्या, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, बलात्कार संबंधि कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ है। फरवरी माह में लूट का एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसे चौबीस घंटा के अन्दर उदभेदित करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं लूट की राशि बरामद की गई। जयनगर थाना द्वारा 04 (चार) अभियुक्तों दुर्गेश कुमार यादव, संजय कुमार यादव, जय कुमार यादव उर्फ जय नारायण यादव एवं दिलीप कुमार यादव सभी जिला–मधुबनी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

जयनगर थाना में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 से 24 फरवरी, 2021 तक मोटर साइकिल चोरी के कुल–23 कांड प्रतिवेदित हुए है। उक्त सभी कांडों में कुल–30 मोटर साइकिल चोरी हुई, उसमें से 07 मोटर साइकिल बरामद किया गया है। शेष कांडों में अनुसंधान जारी है और चोरी किये गये मोटरसाइकिल को बरामद किये जाने के लिए विधि–सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

जयनगर थाना के द्वारा सघन गश्ती एवं वाहन चेकिंग कर विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जयनगर थाना क्षेत्र में अपराध एवं विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है।

परिशिष्ट–132

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को सदन में लाये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर थाना के शहरी क्षेत्र में विगत एक सप्ताह के अन्दर दर्जनों गांवों में चोरी हो चुकी है, जिससे पशुपालक दहशत में है। अज्ञात पशु तस्करों के विरुद्ध थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। शीघ्र चोरी एवं तस्करी रोकने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर थाना कांड संख्या–60/21, दिनांक 23 फरवरी, 2021, धारा 379 भा0द0वि0 वादी राजू यादव के लिखित आवेदन के आधार पर वादी के दरवाजे पर बांधा हुआ गाय एवं बछड़ा चोरी कर लेने के आरोप में कांड दर्ज हुआ। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में धारा–379 भा0द0वि0 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट सं0–289/21 दिनांक 04 अगस्त, 2021 सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है।

मधुबनी जिला के जयनगर थाना के शहरी क्षेत्र से गायों की चोरी रोकने के लिए पशु पालकों को बुलाकर अपने–अपने गाय आदि को समय से खोलने एवं पुनः समय से खूँटा पर बांध देने हेतु निर्देश दिया गया। पशु पालक द्वारा उक्त निदेश का पालन किये जाने पर शहरी क्षेत्र में गाय चोरी की घटना बंद हो गई है। साथ ही गश्ती पदाधिकारी एवं विभिन्न पोस्टों पर तैनात चौकीदारों को लावारिस रूप से घूम रहे पशुओं को नगर पंचायत, जयनगर में सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई करवाने का निर्देश दिया गया है। गश्ती पदाधिकारियों को कारगर ढंग से गश्ती करने एवं रात्रि में पिकअप आदि वाहनों की औचक जाँच एवं निरीक्षण कर पशु चोरी की घटना पर अंकुश लगाने हेतु निदेश दिया गया है।

परिशिष्ट–133

श्री अख्तरूल इमान, माननीय स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"किशनगंज जिला में कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने हेतु क्षेत्र के मेहनतकश भारतीय नागरिक शेरशाहाबादीयों को बंगलादेशी घुसपैठ कहकर उन्हें डराने–धमकाने एवं वहाँ के सौहादपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने एवं साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का आपराधिक प्रयास कर रहे हैं ।

अतः ऐसे असामाजिक तत्व के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र से साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने हेतु क्षेत्र के मेहनतकश भारतीय नागरिक शेरशाहाबादीयों को बंग्लादेशी घुसपैठ कहकर उन्हें डराने–धमकाने, वहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाडने एवं साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा किशनगंज जिलान्तर्गत सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष को सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट–134

श्री अनिल कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"सीतामढ़ी के मेहसौल पश्चिम के वार्ड नं0–1 में थाना नं0–316, खेसरा नं0–582 में अवस्थित श्मशान की मिट्टीकरण एवं घेराबन्दी कार्य, जनहित में सरकार मानसून से पूर्व अतिशीघ्र करावें।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा श्मशान की घेराबन्दी एवं उसमें मिट्टी भरने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट–135

सं0–3/वि0स0–50–66/2021–गृ0आ0–7086

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

श्री अभय शंकर राय,
अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री आनंद शंकर सिंह, माननीय स0वि0स0 के शून्यकाल सूचना के संबंध में प्रेषित प्रतिवेदन।

प्रसंग—विधान सभा सचिवालय का पत्र सं0 शू0का0सं0–18/2021–1533 दिनांक 03 जून, 2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले पर पुलिस मुख्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार वादी दीपक सिंह के आवेदन के आधार पर औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना कांड सं0–195/18 दिनांक 17 नवम्बर, 2018 को धारा–147/148/149/323/325/307/385/504/506 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत बलपूर्वक ट्रैक्टर से अवैध वसूली करने/करवाने तथा विरोध करने पर नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर जान मारने की नियम से मारपीट करते हुए जख्मी करने तथा फायरिंग करने के आरोप में 29 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड प्राथमिकी के 21 अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। 10 प्राथमिक अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं जबकि दो प्राथमिक अभियुक्त अनुत्प्रेषित हैं। 10 फिरार प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है एवं 7 के अभियुक्तिकरण के बिंदु पर कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के कांड का अनुसंधान शीघ्र पूरा कराकर पूर्ण प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया जा रहा है। पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पुनः विधान सभा सचिवालय को प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–136

श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार एवं दर्ज करना थानों का कर्तव्य है। पिछले वर्षों में थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करने से अपराधियों के मनोबल एवं कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने वालों की भीड़ बढ़ गई है।

सरकार से अपील है कि सुधार हेतु कड़े कदम उठाए।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार एवं दर्ज करना थानों का कर्तव्य है। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की बात संज्ञान में नहीं आया है। इस तरह के मामले संज्ञान में आने पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

परिशिष्ट–137

सं0–2/वि0स0–10–03/2023–गृ0आ0–12997

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

विषय––श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग––बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र संख्या–183, दिनांक 12 जनवरी, 2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ बाजार रानीगंज थाना से करीब 12 कि0मी0 दक्षिण फरबिसगंज कुर्सेला मुख्य मार्ग पर अवस्थित है, जिसका सीमा पूर्णियाँ जिला के सरसी थाना से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में कालाबलुआ बाजार में विधि–व्यवस्था संधारण एवं आपराधिक घटनाओं की रोक–थाम हेतु चार गृहरक्षक (सशस्त्र बल) एवं एक चौकीदार को नियमित रूप से गश्ती कराया जाता है एवं लगातार निगरानी रखी जा रही है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर स्थिति नियंत्रण में है। वर्तमान में पुलिस आउट पोस्ट बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतएव शून्यकाल सूचना को विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–138

माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, श्री अजय कुमार द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत शून्य काल सूचना पर सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली थाना के बहादुरपुर निवासी श्री राम कुमार अरूणाचल प्रदेश के जिला च्यांगलांग स्थित क्यूपीसी ऑयल एवं गैस कम्पनी में कार्यरत थे, जिन्हें 21 दिसम्बर, 2020 को उल्फा उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया, जिनका अभीतक पता नहीं है।

मैं सरकार से श्री कुमार के सकुशल रिहाई कराने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि यह बात सही है कि श्री राम कुमार, ग्राम–बहादुरपुर, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया निवासी है, जो अरूणाचल प्रदेश के जिला च्यांगलांग स्थित क्यूपीसी ऑयल एंड गैस कम्पनी में कार्यरत थे, उन्हें दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को उल्फा उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में अद्यतन स्थिति यह है कि श्री राम कुमार को उल्फा उग्रवादियों से दिनांक 5 अप्रील, 2021 को मुक्त करा लिया गया है। वर्तमान में श्री राम कुमार अपने पैतृक गाँव बहादुरपुर में अपने माता–पिता एवं परिवार के साथ रह रहे हैं।

परिशिष्ट–139

श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

डुमरॉव विधान सभा अन्तर्गत सोनवर्षा ओ०पी० (थाना–नावानगर) के प्रभारी सुबोध कुमार बाजार करने पहुँचे पुरूषों–महिलाओं के साथ गाली–गलौज कर जलील करते है तथा जबरबस्ती पैसा वसूलते हैं और मना करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देने की धमकी देते हैं।

अतः मैं सोनवर्षा ओ०पी० प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि डुमरॉव विधान सभा अन्तर्गत सोनवर्षा ओ०पी० (थाना–नावानगर) प्रभारी सुबोध कुमार पर लगाये गये आरोप की जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा भौतिक रूप से सोनवर्षा बाजार जाकर किया गया। सोनवर्षा बाजार के 1. साक्षी–ओमप्रकाश सिंह (टी०भी०एस० एजेन्सी के मालिक), 2. साक्षी–नन्द कुमार (पूर्व मुखिया सोनवर्षा पंचायत), 3. साक्षी–हरी साह (सोनवर्षा पंचायत के वर्तमान सरपंच पति), 4. साक्षी–कलामुद्दीन (इलेक्ट्रॉनिक दुकान सोनवर्षा बाजार), 5. साक्षी–तपेश्वर तिवारी (बी०एस०एन०एल० टावर जहाँ स्थित है, उसका जमीन मालिक), 6. साक्षी–वकील यादव, 7. साक्षी–राकेश कुमार एवं 8. साक्षी–रणविजय पाण्डेय, सभी सोनवर्षा ओ०पी० (थाना–नावानगर), जिला–बक्सर से पूछताछ करने पर इन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सोनवर्षा ओ०पी० प्रभारी, पु०अ०नि० सुबोध कुमार करीब दो साल से सोनवर्षा ओ०पी० में पदस्थापित है, परन्तु इन लोगों ने कभी भी सोनवर्षा ओ०पी० प्रभारी को सोनवर्षा बाजार में किसी पुरूष/महिलाओं के साथ गाली–गलौज अथवा जलील करते हुए नहीं देखा है और न ही झूठा मुकदमा में फँसा देने की धमकी देने की बात सुनी है। ये सभी लोग बराबर सोनवर्षा बाजार में ही रहते हैं, परन्तु इस तरह की घटना कभी नहीं सुना और न ही देखा गया है।

जाँच के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ करने तथा उक्त साक्षियों का लिये गये ब्यान से यह स्पष्ट है कि सोनवर्षा ओ०पी० प्रभारी पु०अ०नि० सुबोध कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा उनपर लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं।

परिशिष्ट–140

श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सूचना संख्या–10/2021 के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"जाति और धर्म के नाम पर भोजपुरी गीतों में अश्लीलता परोसा जा रहा है, जिससे सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा है।

अतः सदन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे गीतों पर अविलम्ब प्रतिबंध लगाया जाये तथा इन्हें बनाने और गाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाये।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अश्लील गानें परोसने की शिकायत कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर विधि–सम्मत्/नियमानुकूल कार्रवाई हेतु सभी पुलिस अधीक्षकों को समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट–141

श्री गोपाल रविदास, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"फुलवारी प्रखंड स्थित परसा बाजार थाना के सीमरा मुसहरी के लिए 1 किलोमीटर मुखिया कोष से लगे ईंट खरंजा को 13 मार्च, 2021 को जाति विशेष के दबंग उखाड़कर ईंट घर लेते गए विरोध करने पर महादलितों को जलाकर मारने की धमकी दी।

दबंग अपराधियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि फुलवारी प्रखण्ड स्थित परसा बाजार थाना के सीमरा मुसहरी के लिए 1 किलोमीटर मुखिया कोष से लगे ईंट खरंजा को दिनांक 13 मार्च, 2021 को जाति विशेष के दबंग उखाड़कर ईंट घर लेते गए विरोध करने पर महादलितों को जलाकर मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार की सूचना/लिखित सूचना संबंधित थाना को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आसूचना संकलन किया जा रहा है, घटना के संबंध में किसी प्रकार का सूचना/लिखित सूचना प्राप्त होने पर विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

परिशिष्ट–142

श्री ललित कुमार यादव, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना का सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

"पवन कुमार सिंह दिनांक 14 फरवरी, 2021 को दिल्ली से अपने घर सकरी जा रहे थे, अपनी भतीजी की शादी में। इनका अपहरण हो गया है, ए0टी0एम0 से पैसा भी निकाल लिया, अभी तक उसका अपहरण का पता नहीं चला है।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि भैरवस्थान थाना कांड संख्या–16/21, दिनांक 16 फरवरी, 2021 धारा–302/201 भा0द0वि0 से संबधित है। मृतक पवन कुमार सिंह दिनांक 15 फरवरी, 2021 को दिल्ली से रेलगाड़ी से चलकर सकरी स्टेशन पर उतरे। घर जाने के क्रम में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें कब्जा में ले लिया और भैरवस्थान थाना क्षेत्र के एन0एच0–57 से सटे हेठिवाली कट से गड्ढे में सामान आदि छीन कर हत्या कर दिया। इस कांड का उद्भेदन तकनीकी सेल के सहयोग से किया गया है। यह घटना संगठित नशा खुरानी गिरोह के द्वारा किया गया । अप्राथमिकी अभियुक्त मो0 अकबर एवं अन्य 04 चार अभियुक्त के द्वारा मृतक को अपने चार चक्का वाहन मारूती–800 में बैठाकर उसे घर छोड़ने के झांसे में लेकर खाने की वस्तु में नशा का सामान मिला कर खिला दिया गया। जब मृतक अर्द्ध नशे में था तब अपराधियों द्वारा मृतक से ए0टी0एम0 आदि छीनना शुरू किया जिसका विरोध मृतक के द्वारा किया गया। फलस्वरूप गाडी में बैठे तथा दूसरे मारूति–800 कार में बैठे उनके सहयोगी द्वारा एन0एच0–57 हेठिवाली कट के पास लोहे के रड से मारकर मृतक को जख्मी कर दिया तथा वही सड़क किनारे गढ्ढे में ढकेल दिया। अभियुक्तगण उनका ए0टी0एमम0 आदि सामान लेकर चले गये ।

कांड को अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से 06 अभियुक्तों 1. मो0 अख्तार, 2. मो0 कैसर, 3. लाल बाबू उर्फ मो0 जूबेर, 4. मो0 जाहिद, 5. विनोद दास एवं 6. मो0 आजाद सभी जिला मुजफ्फरपुर के विरुद्ध सत्य पाया गया है। मृतक का लूटा गया मोबाईल बरामद किया गया तथा घटना में शामिल 03 अभियुक्तों 1. मो0 अकबर, 2. मो0 जहीर एवं 3. मो0 आजाद को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन मारुति 800 को बरामद किया गया है। शेष 03 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–143

श्रीमती मंजु अग्रवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के सप्तम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

शून्यकाल सूचना

"बिहार राज्य अंतर्गत अधिकांशतः जिन जिलों में गृह रक्षा वाहिनी की नियुक्ति नहीं की गयी है, उन जिलों में नियुक्ति शीघ्र करने की मांग करती हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य अंतर्गत कुल 40 जिला इकाई (पुलिस जिला सहित) में से कुल 33 जिला इकाई में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

वर्तमान में सात जिला इकाई यथा मधुबनी, अररिया, गया, नवादा, सीतामढ़ी एवं बगहा में गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

उल्लेखनीय है कि मधुबनी जिला के गृह रक्षक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जाँच दिनांक 27 फरवरी, 2023 से 6 मार्च, 2023 तक हवाई अड्डा मैदान, मधुबनी में निर्धारित कर ली गई है। अररिया जिला के गृह रक्षक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जाँच दिनांक 27 फरवरी, 2023 से 06 मार्च, 2023 तक निर्धारित कर ली गई एवं गया जिला के गृह रक्षक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जाँच दिनांक 23 फरवरी, 2023 से 16 मार्च, 2023 तक हरिहर सुब्रहमन्यम स्टेडियम (गाँधी मैदान), गया में निर्धारित कर ली गई है।

शेष जिला इकाई में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

परिशिष्ट–144

श्रीमती निशा सिंह, स०वि०स० द्वारा प्राप्त शून्यकाल सूचना का प्रश्नोत्तर

प्रश्न

कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत के सोनामोड़ से पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपराधकर्मी अनुसूचित जन–जाति महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सदन के माध्यम से अनुसूचित जाति के महिलाओं पर अत्याचार रोकने एवं सोनामोड़ के पास पुलिस कैम्प की स्थापना हेतु मांग करती हूँ ।

उत्तर

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त शून्यकाल सूचना की उत्तर सामग्री पुलिस अधीक्षक, कटिहार का पत्रांक 1095/सा०शा०, दिनांक 27 नवम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट किया गया है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखंड के रोशना ओ०पी० अन्तर्गत गौरीपुर पंचायत स्थित ग्राम शाहगंज संथाली टोला स्थित सोनामोड़ चौक है। चौक पर करीब छोटी–छोटी 08–10 दुकानें चाय–नश्ता एवं आवश्यक वस्तुएँ की किराना दुकान है। उक्त चौक से करीब 300 मीटर पूरब जाने पर पश्चिम बंगाल के मालदा जिला व थाना हरिशचन्द (कुमेदपुर पिकेट) से सटा हुआ है। सोनामोड़ व इनके आसपास के गाँवों में प्रतिवेदित प्राणपुर (रोशना ओ०पी०) मे विगत पाँच वर्षों (2016–2021) का अपराधिक ऑकड़ा निम्नवत है :–

वर्ष 2016 में विविध मामले 01, वर्ष 2017 में शून्य, वर्ष 2018 में महिला अत्याचार 02, विविध 01, वर्ष 2019 में महिला अत्याचार 02, विविध 06, वर्ष 2020 में डकैती का 01, बलात्कार का 01, विविध का 04 वर्ष 2021 में डकैती का 01, विविध का 06 है।

वर्तमान में सोनामोड़ व शाहगंज संथाली टोला में स्थानीय स्तर से ओ०पी० में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। विशेष निगरानी हेतु स्थानीय चौकीदार की उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्ति की गयी है। इस स्थान पर पुलिस गश्ती स्तर से भी कड़ी एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है। यह क्षेत्र थाना से लगभग 05 कि०मी० की दूरी पर है। वर्तमान में सोनामोड़ के पास अलग से पुलिस कैम्प का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट–145

सं0–8/वि0स0–10–15/2021–गृ0आ0–6799

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 08 अगस्त, 2021 (ई0)।

विषय––श्रीमती रेखा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग––आपका पत्र सं0–शू0का0सं0–16/2021–1086/वि0स0, दिनांक 25 मार्च, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्रीमती रेखा देवी, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना पर उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक, (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक वि0मं0/41–4–254–2021/842, दिनांक 27 अगस्त, 2021 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–3017, दिनांक 01 अप्रील, 2011 द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 68 को संशोधित करते हुए नियम 68 (ग) के बाद एक नया उन नियम 68 (घ) जोड़ा गया है। इसके अनुसार "अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (बि0वि0स0पु0 सहित) को क्षेत्र में सक्रिय ड्यूटी के क्रम में लगातार ठहराव के लिए अधिकतम 06 (छः) माह तक पूर्व दर से दैनिक भत्ता देय होगा। उक्त अवधि में संबंधित पुलिस कर्मियों को राशन मनी भी देय होगा" इसी प्रावधान का अनुपालन कर बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग को यात्रा भत्ता दिया जाता है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–146

श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० का शून्यकाल सूचना

पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत धनरूआ थाना द्वारा इस क्षेत्र के निरीह, बेसहारा, अनुसूचित जाति सहित अन्य अज्ञात 500 निर्दोष व्यक्तियों पर दो–दो प्राथमिकी 356/17 एवं 357/17 पर दायर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना की पुलिसिया प्रताड़ना की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की माँग करती हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी पुलिस अवर निरीक्षक, रोहन कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष, धनरूआ थाना के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के 04 नामजद अभियुक्तों एवं 15–20 अज्ञात के विरुद्ध अवैध शराब के साथ पकड़े गए अभियुक्त को जबर्दस्ती छुड़ाने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस बलों पर रोड़ा पत्थर चलाकर जख्मी करने के आरोप में धनरूआ थाना कांड सं0–356/17, दिनांक 07 अगस्त, 2017 धारा–30 (ए)/45 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं एवं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 (ए)/45 के अंतर्गत प्राथमिकी के 4 नामजद एवं 11 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया। 02 प्राथमिक अभियुक्तों को दिनांक 2 अगस्त, 2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। शेष 02 प्राथमिकी के नामजद एवं अप्राथमिकी 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कुर्की जप्ती करने तथा अन्य बिंदु पर कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

पुनः वादी पुलिस अवर निरीक्षक, कामेश्वर साह, धनरूआ थाना के लिखित आवेदन पर कांड सं0–357/17 दिनांक 02 अगस्त, 2017 को प्राथमिकी के 11 नामजद एवं अज्ञात 500 पुरूष एवं महिला के विरुद्ध मारपीट, रोड़ेबाजी एवं सरकारी कार्य को पूर्ण रूप से बाधित करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। अनुसंधानोपरान्त रेखा देवी तथा अरविन्द पासवान तथा अन्य 09 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/323/341/308/332/333/337/338/353/504/506 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप–पत्र सं0–76/21 दिनांक 12 जुलाई, 2021 न्यायालय में समर्पित किया गया है। माननीय विधायिका द्वारा 500 निर्दोष व्यक्तियों पर दो–दो कांड दर्ज करने एवं पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप सत्य नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट–147

सं0–8 / वि0स0–10–13 / 2021–गृ0आ0–6693

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 (ई0)।

विषय—श्री रामानुज प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्र सं0–शू0का0सं0–10 / 2021–783 / वि0स0, दिनांक 10 मार्च, 2021।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री रामानुज प्रसाद, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक वि0मं0 / 41–4–245–2021 / 825, दिनांक 27 अगस्त, 2021 अनुलग्नक सहित (छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है :–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि विशेष कार्य पदाधिकारी, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना का पत्रांक 846 / के0च0प0, दिनांक 26 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा दिनांक 14 मार्च, 2021 को कदाचारमुक्त, स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की लगभग 89.30 प्रतिशत उपस्थिति भी रही है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–148

श्री सी०एन०गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना

सारण जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पंचायत करीगा के ग्राम–बीनटोलिया के रितुजीत कुमार, पिता–कृष्ण कुमार चौधरी की हत्या गोली मारकर दिनांक 03 जनवरी, 2021 को कर दी गई है, जिसका मुफस्सिल थाना कांड सं०–6/21 है। उक्त कांड सं० के अभियुक्तों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के मुफस्सिल थाना कांड सं०–06/21 दिनांक 04 जनवरी, 2021 धारा–302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3 (i) (r) (s) 3 (2) v SC/ST Act के अंतर्गत वादी कृष्ण कुमार चौधरी के फर्द बयान प्राथमिकी के दो नामजद एंव अन्य 02–03 अज्ञात के विरुद्ध वादी के पुत्र की गोली मारकर जख्मी करने एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड दो प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया है। एक प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसने अन्य दो अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–149

श्री सी0एन0गुप्ता, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना

सारण जिलान्तर्गत छपरा–आरा पुल पर प्रत्येक दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। दिनांक 25 फरवरी, 2021 को आरा पुल पर 06 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की जा रही है।

अतः उक्त पुल पर जाम से मुक्ति हेतु मैं सूचना देता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत आरा–छपरा (वीर कुँवर सिंह सेतु) आरा जिला के कोईलवर के पास पटना–आरा मुख्य मार्ग और गंगा नदी के दूसरी तरफ सारण जिलान्तर्गत डोरीगंज बाजार/थाना को जोड़ता है। भोजपुर जिला के तरफ उसका पहुँच पथ कोईलवर तथा बड़हरा थाना क्षेत्र से होकर आरा–पटना मुख्य मार्ग में कोईलवर के पास मिलाता है। पुल के दोनों छोर पर जाम की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक, सारण एवं पुलिस अधीक्षक भोजपुर द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण एवं संचालन के सुचारू व्यवस्था की गयी है। पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा डोरीगंज से मुफ्फसिल तक विभिन्न 12 स्थानों पर तीन पालियों में 115 पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त 03 स्थानों पर थाना स्तर से पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। भोजपुर जिले के बबुरा चेक पोस्ट पर 1 पुलिस अवर निरीक्षक, 2 सहायक अवर निरीक्षक एवं 11 सिपाही प्रतिनियुक्त है जो लगातार तीन पाली में कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय थाना बड़हरा द्वारा भी गश्ती कर यातायात नियंत्रित किया जाता है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए माह जनवरी से जून, 2021 तक सारण जिले में रुपये रु0 4,37,500/– एवं भोजपुर जिले में वर्ष 2020 में रु0 2,12,000/– शमन की राशि वसूल की गई है।

परिशिष्ट–150

डॉ० सी० एन० गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

नालंदा जिलान्तर्गत भीमनगर, थाना–बिहार में प्रवीण कृष्ण, पिता–स्व० अरविन्द कृष्ण जिनका एफ०आई०आर० नं0–149/2021 है, दबंग अपराधियों द्वारा भूमि विवाद में 28 फरवरी, 2021 को नृशंस हत्या कर दी गयी है।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादी सुदर्शन कृष्ण के फर्द बयान पर भूमि विवाद के कारण वादी के भाई प्रवीण कृष्ण की पीटकर हत्या करने व वादी द्वारा बीच–बचाव करने के क्रम में मारपीट के आरोप में बिहार थाना कांड सं0–149/21, दिनांक 28 फरवरी, 2021 को प्राथमिकी के 7 नामजद एवं 10–15 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन–2 के कांड धारा–147/148/149/323/504/506/307/302/ भा0द0वि0 के अंतर्गत एक नामजद एवं 6 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। एक प्राथमिकी अभियुक्त तथा 5 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः आरोप–पत्र सं0–552/21, दिनांक 2 जून, 2021 तथा 788/21 दिनांक 10 अगस्त, 2021 एवं 1115/21 दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 समर्पित किया जा चुका है। पाँच अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–151

श्री रणविजय साहू, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना।

नवादा जिले के रूपौ थाना निवासी युवा व्यवसायी अमरदीप कुमार साव को दिनांक 09 फरवरी, 2023 को अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया। जिसका रूपौ थाना कांड सं0–84 / 2023 है।

अतः घटना में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं उच्च स्तरीय जाँच की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल (रूपौ) ओ0पी0 कांड सं0–84 / 23, दिनांक 09 फरवरी, 2023 धारा–302 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत वादी राजेन्द्र साव के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. कुन्दन सिंह, 2. अखिलेश सिंह उर्फ आको सिंह, 3. टिंकु बिहारी बोस, 4. अमीत कमार उर्फ टुन्नी सिंह, 5. सुनन्द कुमार उर्फ छोटू सिंह के विरुद्ध वादी के पुत्र अमरदीप कुमार से रंगदारी की मांग करने तथा गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. कुन्दन सिंह, 2. अखिलेश सिंह उर्फ आको सिंह, 3. अमीत कुमार उर्फ टुन्नी सिंह, 4. सुनन्द कुमार उर्फ छोटु सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में है एवं 5. टिंकु बिहारी बोस की संलिप्तता एवं अभियुक्तकरण के बिन्दु पर अनुसंधान जारी है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–152

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

भोजपुर जिला के तरारी थाना अंतर्गत घेठवार में 26 जनवरी, 2023 को शिक्षक श्रीराम की बर्बर पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी शिव कुमारी देवी, पति–श्रीराम राम, सा0–जेठवार, थाना–तरारी, जिला–भोजपुर के लिखित आवेदन के आधार पर तरारी थाना कांड सं0–15/23 दिनांक 28 जनवरी, 2023 धारा–447/341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. देवी मुनी, पे0–अयोध्या राम, 2. अमरजीत कुमार, पे0–देवमुनी राम, 3. इन्द्रजीत कुमार, 4. बाबुरतन कुमार दोनो पे0–देवमुनी राम, 5. अभिषेक कुमार, पे0–जितेन्द्र राम, 6. राजेन्द्र राम, पे0–पंचम राम, 7. आशा देवी, पति–देवमुनी, 8. रितु कुमारी, 9. सुजाता कुमारी, 10. जितु कुमारी तीनों पे0–देवमुनी राम, 11. मीना देवी, पति–जितेन्द्र राम एवं 12 उर्मिला देवी, पति–राजेन्द्र राम सभी सा0–जेठवार, थाना–तरारी, जिला–भोजपुर के विरुद्ध गाली ग्लौज करते हुए लाठी–डंडा, रड से मारपीट कर वादिनी के पति श्रीराम को गंभीर रूप से जख्मी कर देने इत्यादि के आरोप दर्ज किया गया है।

उक्त कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से धारा–341/323/302/307/447/504/506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के क्रम में उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. अमरजीत कुमार, 2. इन्द्रजीत कुमार, 3. बाबूरतन कुमार एवं 4. अभिषेक कुमार राम को गिरफ्तार किया गया है तथा इन चारों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0–52/23 दिनांक 15 अप्रील, 2023 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है।

परिशिष्ट–153

श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचना के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

नफरत की राजनीति से भड़के सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कारण तमिलनाडू में हिन्दी भाषी बिहारी मजदूरों पर क्रूरतापूर्ण कायराना हमला किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों जाने जा चुकी है। सदन में बिहार सरकार से तत्काल हमले पर रोक हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखने की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि "नफरत की राजनीति से भड़के सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कारण तमिलनाडू में हिन्दी भाषी बिहारी मजदूरों पर क्रूरतापूर्ण कायराना हमला किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों जाने जा चुकी है" के संबंध में कोई सूचना या लिखित परिवाद पत्र प्राप्त नही हुए हैं।

सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मजदूरी हेतु गए बिहारवासियों पर वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कथित रूप से मारपीट करने का भ्रामक वीडियो बनाकर वायरल करने एवं दोनों राज्यों के जनता का उकसाने एवं विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का कुप्रयास करने के संबंध में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में कांड सं0–03/2023, 04/2023 एवं 05/2023 दर्ज कर इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की गई। तथा इस क्रम में अभी तक यूट्यूबर 1. मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी, 2. राकेश कुमार तिवारी, 3. अमन कुमार, 4. राकेश रंजन कुमार सिंह, 5. प्रशांत कुमार एवं 6. नागेश कुमार पाण्डेय उर्फ नागेश सम्राट की गिरफ्तारी की गई है। उपरोक्त कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–154

श्रीमती गायत्री देवी, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में दिनांक 03 मार्च, 2023 को धरहरवा गाँव में हो रहे नवाह में पुलिस प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर बन्द कराने एवं प्रशासन द्वारा महिलाओं, वृद्ध एवं बच्चों के साथ बुरी तरह से मार–पीट की गई और 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अतः पुलिस द्वारा पकड़े लोगों को छोड़ने तथा पुलिस पर कार्रवाई की मांग सरकार से करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि परिहार थानाध्यक्ष को दिनांक 03 मार्च, 2023 को 17:30 बजे अपराह्न में सूचना प्राप्त हुई कि धरहरवा ग्राम मे लाउडस्पीकर बजाने को लेकर कुछ लोग मस्जिद के पास मकान घेरे हुए हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अवर निरीक्षक, दयाशंकर साह, परिहार थाना के पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे काफी संख्या में भीड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों के 4–5 घरों को घेरे हुए थे और काफी आक्रोशित थे। घटना की सूचना पुलिस अवर निरीक्षक, दयाशंकर साह के द्वारा परिहार थानाध्यक्ष को दिया गया। थानाध्यक्ष दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। आक्रोशित भीड़ द्वारा मस्जिद एवं 4–5 घरों में तोड़–फोड़ किया जाने लगा तथा मस्जिद में रखे समान तथा घर से बरामदे में रखे सामानों को मस्जिद के सामने रखकर आग लगा दिया गया तथा कुछ लोगों के साथ लाठी–फट्टा एवं तलवार व भाला आदि से मारपीट किया जाने लगा। एकत्रित बलवाईयों द्वारा पुलिस बल पर पथराव किया जाने लगा तथा जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर लाठी–फट्टा से हमला कर दिया गया, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक, दयाशंकर साह, सिपाही, कृष्णा प्रसाद यादव, परिहार थाना एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर सीतामढ़ी तथा मो० हनीफ, मो० अलाउद्दीन, जिलानी अंसारी, रौशनी खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गये। घटनास्थल पर बलवाईयों के द्वारा मस्जिद के सामने एवं मस्जिद से सटे मुस्लिम घर के सामने लगाये गये आग को अग्निशमन सेवा के कर्मियों की मदद से बुझाया गया। जले हुए सामान (1. पल्सर मोटर साईकिल चेंचिस नम्बर–BD2A11CY9HRL15393 इंजन नम्बर–DHYRHL01702, 2. सिलाई मशीन का स्टैण्ड, 3. एक चौकी, 4. दो बोरा ईट–पत्थर एवं मस्जिद के गेट के सामने पक्की सड़क पर जले हुए सामान (1. हीरो कम्पनी का जला हुए मोटर साईकिल चेंचिस नम्बर MBLHARO76HHL5060402, इंजन नम्बर–HA10AGMHL5408 2. दो जला हुआ साइकिल 3. एक स्टैंड पंखा जला हुआ, 4. एक टूटा हुआ माईक स्टैंड, 5. एक टूटा हुआ हॉर्न एवं 6. एक लोहे का जला हुआ बेंच) को विधिवत् जप्त किया गया है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में परिहार थाना कांड सं0–58/23 दिनांक 04 मार्च, 2023 धारा 147/148/149/153/(बी)/295/307 /332/333/353/427/436/504/506/भा0द0वि0 एवं 3(2)(v) अनु0 जाति/जन–जाति अत्याचार निषेध अधिनियम अंतर्गत 71 नामजद आरोपी तथा 40–45 अज्ञात बलवाईयों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना स्थल से 32 बलवाईयों को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

परिशिष्ट–155

श्री नितिन नवीन, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को सदन में लाये गये शून्यकाल सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

शून्यकाल

पटना के प्रतिष्ठित डॉ0 संजय कुमार पिछले 120 घंटे से लापता हैं, पुलिस प्रशासन उनके संबंध में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक एकत्रित नहीं कर पाई है। पूरा चिकित्सा जगत जंगल राज वापसी से घबराया हुआ है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि वादिनी प्रोफेसर सलोनी कुमारी, पति–डॉ0 संजय कुमार, सा0–ओ0/66, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग पटना के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध पत्रकार नगर थाना कांड सं0–185/23 दिनांक 02 मार्च, 2023 धारा–365 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि डॉ0 संजय कुमार स्वयं कार से पारा मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण हेतु दिनांक 02 मार्च, 2023 को संध्या 09:30 बजे अपने घर ओ0/66, डॉक्टर्स कॉलोनी मुहल्ला से प्रस्थान किये। वे गांधी सेतु पहुँचे और वहाँ कार खड़ा किये चश्मा एवं दोनों मोबाईल कार में छोड़कर स्वयं पैदल नदी के तरफ पुल के किनारे से अकेले जाते दिखाई दिये। फिर लौटे नहीं, कार खड़ी हालत में पायी गई।

उनकी बरामदगी हेतु कृत कार्रवाई का विवरण निम्नवत् है:–

1. सी0सी0टी0वी0 फुटेज के क्लिप के आधार पर घर से निकलने के बाद क्रमवार लगातार गाड़ी से चलने एवं अंतिम बार दिखने वाले स्थान तक की खोज की गई ।
2. डॉ0 संजय कुमार के मोबाईल का FSL जाँच करायी गई ।
3. गंगा नदी में SDRF/NDRF/NAVY से खोजबीन कराया गया है ।
4. गंगा नदी के किनारे वाले थानों में बंगाल तक यू0डी0 आदि की जांच की गई।
5. धार्मिक स्थलों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, बंगाल, झारखण्ड एवं उड़ीसा में पोस्टर लगाकर प्रसार किया गया ।
6. सी0आई0जी0 प्रकाशन एवं Missing Portal के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है।
7. रेल थाना से अनुसंधान में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
8. सार्वजनिक स्थानों पर प्रसारण एवं फोटो चिपकाया गया ।
9. डॉ0 संजय कुमार के मोबाईल का डाटा रिस्टोर, फेसबुक, ट्वीटर पर प्रेषण किया गया ।
10. डॉ0 संजय कुमार के मोबाईल एवं इसके कॉल चैट की वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में तकनीकी जांच की गई ।

अबतक डॉ0 संजय कुमार के संबंध में सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसंधान जारी है।

परिशिष्ट–156

सं0–8 / वि0स0–10–18 / 2023–गृ0आ0–13070

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

विषय——श्रीमती प्रतिमा कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र संख्या–शू0का0स0–12 / 2023–679 / वि0स0, दिनांक 23 मार्च, 2023।

महाशय,

निदेशानुसार श्रीमती प्रतिमा कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण), बिहार, पटना के पत्र सं0–वि0मं0–41–04–223–2023 / 1055, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 (अनुलग्नक सहित) प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है:–

विषयांकित मामले में वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर हाजीपुर का कार्यालय पत्रांक–2305 / अनु0, दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से श्रीमती प्रतिमा कुमारी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना से संबंधित जाँच के दौरान जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें पासवान चौक के पास यातायात संधारण के दौरान औद्योगिक क्षेत्र थाना में पदस्थापित पु0अ0नि0 लोकेश कुमार चौधरी के द्वारा माननीय विधायक के प्रतिनिधि राजीव रंजन के साथ अभद्र व्यवहार करने की पुष्टि की गयी है, जो उक्त पु0अ0नि0 के मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। इस संबंध में वैशाली जिलादेश संख्या–602 / 2023–सह–पठित ज्ञापांक–1457 / र0का0, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा उपरोक्त के आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक लोकेश कुमार चौधरी, औद्योगिक क्षेत्र थाना को तत्काल प्रभाव से पुलिस केन्द्र, हाजीपुर वापस किया गया है।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
गिरिश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर–सचिव।

परिशिष्ट–157

सं0–ओ0 / बि0वि0स0–22 / 2023–8666

बिहार सरकार

गृह विभाग

विशेष शाखा

प्रेषक

के0 सुहिता अनुपम
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

उप–सचिव,
बिहार, विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2023 (ई0)।

विषय—श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग—बिहार विधान सभा का पत्रांक 755, दिनांक 27 मार्च, 2023 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक (बजट / अपील / कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक 816 दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है (छायाप्रति संलग्न) । प्रतिवेदन के अनुसार वादी मो0 गुड्डू अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर साहेबपुर कमाल थाना कांड सं0–68 / 23 दिनांक 08 मार्च, 2023 धारा 367ए0बी0 / 324 / 354बी0 भा0द0वि0 एवं 04 / 06 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. सोहन कुमार उर्फ छोटू 2. बबलू कुमार 3. हरदेव कुमार 4. रोहन कुमार न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान मे कांड अनुसंधान अंतर्गत है।

अतएव उक्त प्रतिवेदन के आलोक में विषयांकित शून्यकाल सूचना को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
के0 सुहिता अनुपम
सरकार के विशेष सचिव।

परिशिष्ट–158

श्री ललित नारायण मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना संख्या–13/2023 के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड के सजौर पंचायत के सजौर मंसुरी टोला वाले कब्रिस्तान की घेराबन्दी की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की भूमि अनावाद बिहार सरकार एवं किस्म–भिण्डा है। खतियान के अनुसार उक्त भूमि कब्रिस्तान की श्रेणी में अंकित नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि के कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो हाल सर्वे खतियान में कब्रिस्तान के रूप में नामित नहीं है।

परिशिष्ट–159

श्री महानन्द सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र में प्रस्तुत एवं दिनांक 15 मार्च, 2023 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

शून्यकाल सूचना

"अरवल, जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली के लिए एक साल से सारा प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद अभी तक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। होमगार्ड के लिए सफल अभ्यर्थियों को तत्काल बहाल करने की मांग करता हूँ।"

सरकार का वक्तव्य

स्वीकारात्मक ।

अरवल–विज्ञापन संख्या–02/2011 के अंतर्गत अरवल जिला में कुल 201 गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। दिनांक 10 मई, 2023 से गृह रक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण बिहार गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र, वैशाली में प्रारंभ किया जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। बुनियादी प्रशिक्षणोपरांत गृह रक्षकों को जिलों से विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों पर भेजा जाता है।

जहानाबाद–विज्ञापन संख्या–02/2011 के अंतर्गत जहानाबाद जिला में स्वच्छ नामांकन में 212 गृह रक्षकों का अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई है। दिनांक 27 मार्च, 2023 एवं 28 मार्च, 2023 को 196 चयनित अभ्यर्थियों का बॉण्ड भरा गया है। चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं चारित्र सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात् इन्हें बुनियादी प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। बुनियादी प्रशिक्षणोंपरांत गृह रक्षकों को जिलों से विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों पर भेजा जाता है।

परिशिष्ट–160

सं0–8/वि0स0–10–25/2022–गृ0आ0–6234

बिहार सरकार

गृह विभाग

आरक्षी शाखा

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

श्री अभय शंकर राय,
सरकार के अवर–सचिव,
बिहार, विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 27 जून, 2022 (ई0)।

विषय––श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सं0–08/22–1627/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022 के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्र संख्या–शू0का0स0–08/22–1627/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में प्रस्तुत शून्यकाल सं0–08/22–1627/वि0स0, दिनांक 18 अप्रील, 2022 का उत्तर सामग्री अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना के पत्रांक–वि0मं0/41–4–310–2022/1019, दिनांक 15 जून, 2022 अनुलग्नक सहित से प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है:–

विषयांकित मामले में स्थिति यह है कि एम0पी0टी0सी0, डुमरॉव प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2019–2020 के कुल–626 प्रशिक्षण सिपाहियों के सत्रांत परीक्षा का परीक्षाफल, प्रशिक्षणादेश संख्या–23/2022 तद्नुसार ज्ञापांक–989/प्रशि0, दिनांक 28 अप्रील, 2022 एवं प्रशिक्षणादेश संख्या–24/2022 तद्नुसार ज्ञापांक–990/प्रशि0, दिनांक 28 अप्रील, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न)।

कृपया सूचनार्थ ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सं0–सा0शा0 / 01–46–202 / विविध–1404
बिहार पुलिस मुख्यालय
(मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग)

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 02 जून, 2022 (ई0)।

प्रसंग—आपके कार्यालय के पत्र सं0–वि0मं0 / 41–4–310–2022 / 903, दिनांक 30 मई, 2022।

विषय—माननीय विधायक श्री सूर्यकान्त पासवान के द्वारा बिहार विधान सभा में शून्यकाल में एम0पी0टी0सी0, डुमराँव के सत्र 2019–2020 के पी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं का परीक्षाफल घोषित करने के संबंध में वांछित प्रतिवेदन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि एम0पी0टी0सी0, डुमराँव प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2019–2020 के कुल–623 प्रशिक्षु सिपाहियों के सत्रांक परीक्षा का परीक्षाफल, प्रशिक्षणादेश संख्या–23 / 2022 तद्नुसार ज्ञापांक–989 / प्रशिक्षण, दिनांक 28 अप्रील, 2022 एवं प्रशिक्षणादेश संख्या–24 / 2022 तद्नुसार ज्ञापांक–990 / प्रशिक्षण, दिनांक 28 अप्रील, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोपरि।

सत्यनारायण कुमार,
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
बिहार, पटना।

परिशिष्ट–161

श्री कृष्णनन्दन पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्रस्तुत किए गये शून्यकाल सूचना के संबंध में सरकार का वक्तव्य।

शून्यकाल सूचना

"हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के 19 पंचायत एवं तुरकौलिया प्रखंड के 16 पंचायत में अवस्थित शवदाह स्थल को घेराबंदी सहित मुक्तिधाम में तब्दील करना जनहित में महत्वपूर्ण है।

सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त शवदाह स्थल की घेराबन्दी सहित मुक्तिधाम का निर्माण कराने की कृपा करें ।"

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा शवदाह स्थल की घेराबन्दी एवं मुक्तिधाम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान नहीं है ।

बि०स०मु०–107–(एल०ए०)–2026–27–डी०टी०पी०–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026